दृष्टि The Vision

# एडिटोरियल

## (संग्रह)

जुलाई
2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

# अनुक्रम


- दसवीं अनुसूची की प्रासंगिकता 3
- संप्रभु हरित बॉण्ड 6
- बाढ़: एक वार्षिक आपदा 8
- हिरासत में होने वाली मौत 12
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 15
- फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स 22
- शहरी गरीबी एवं इसका समाधान 27
- ऊर्जा निर्धनता 30
- श्रीलंका में संकट 33
- I2U2 एवं भारत 36
- भारत में शहरी स्थानीय शासन 38
- दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन और सशक्तीकरण 43
- भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण 46
- भारत में स्टार्टअप पारितंत्र की स्थिति 48
- राजनीति और शासन में सोशल मीडिया की भूमिका 50
- भारत में ग्रीष्म लहर 53
- भारत में जनजातियों के अधिकार 55
- भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा की भूमिका 58
- भारत में शासन का डिजिटलीकरण 61
- भारत में चीतों की पुन:वापसी 63
- 'मेटावर्स' और इसके अनुप्रयोग 65
- भारत में खेल शासन 67
- धन शोधन निवारण अधिनियम 70
- दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 73


**नोट :**

# दसवीं अनुसूची की प्रासंगिकता

## संदर्भ

वर्ष 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) को शामिल किये जाने के बावजूद विधानमंडल सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदले जाने का अभ्यास आज भी बेरोकटोक जारी है।

- दसवीं अनुसूची को आम तौर पर 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदले जाने के अभ्यास पर रोक लगाना था।
- महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट और इससे पूर्व के अन्य कई दृष्टांत इस बात की ताकीद करते हैं कि दसवीं अनुसूची क्या कर सकती है और क्या नहीं।

दलबदल विरोधी कानून से हमारा क्या तात्पर्य है?

- दलबदल विरोधी कानून एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिये संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों को दंडित करता है।
- संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया था। इसका उद्देश्य था सदस्यों द्वारा राजनीतिक संबद्धता बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और इस प्रकार सरकारों के लिये स्थिरता लाना।
  - यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है।
  - वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदलने से कई राज्य सरकारों के पतन की प्रतिक्रिया में इस अधिनियम को लाया गया।
- हालाँकि इसमें सांसद/विधायकों के किसी समूह को किसी अन्य दल में शामिल होने (या विलय) को अनुमति प्राप्त है और वे किसी दंड से मुक्त रखे गए हैं। यह दलबदल के लिये प्रोत्साहित करने या ऐसे सदस्यों को शामिल करने वाले राजनीतिक दलों को भी दंडित नहीं करता है।
  - वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
  - लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इस प्रावधान को बदल दिया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिये किसी दल के कम से कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में होने चाहिये।
- कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य उसी सदन में पुन:निर्वाचन के लिये किसी भी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं।
- दलबदल के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति या अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है और यह 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है।
  - हालाँकि कानून द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल मामले पर निर्णय दे दिया जाना चाहिये।

### दलबदल के आधार पर निरर्हता

- स्वैच्छिक त्याग:
  - यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- निर्देशों का उल्लंघन:
  - यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
    - उसकी निरर्हता के लिये एक पूर्व शर्त के रूप में यह उपबंध है कि उसके राजनीतिक दल या अधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान से विरत रहने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उसे माफ़ नहीं किया है।

नोट :

- निर्वाचित सदस्य:
  - यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- मनोनीत सदस्य:
  - यदि कोई मनोनीत सदस्य छह माह की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

## दलबदल राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?

- चुनावी जनादेश का अपमान:
  - दलबदल उन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है जो एक दल के टिकट पर चुने जाते हैं, लेकिन फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के लालच के कारण दूसरे में शामिल हो जाने को सुविधाजनक समझते हैं।
- सरकार के सामान्य कार्यकलाप पर प्रभाव:
  - 1960 के दशक में सदन सदस्यों द्वारा लगातार दलबदल की प्रवृत्ति पर 'आया राम, गया राम' का कुख्यात नारा गढ़ा गया था।
  - दलबदल से सरकार के लिये अस्थिरता उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावित होता है।
- 'हॉर्स ट्रेडिंग' को बढ़ावा:
  - दलबदल विधायकों के खरीद-फरोख्त को भी बढ़ावा देता है जो स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ जाता है।

## दलबदल विरोधी कानून के साथ संबद्ध चुनौतियाँ

- कानून का पैरा 4:
  - दलबदल विरोधी कानून का पैराग्राफ 4 तीन महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रस्तुत कर राजनीतिक दलों के बीच विलय के लिये एक 'अपवाद' का निर्माण करता है:
    - मूल राजनीतिक दल:
    - जिस राजनीतिक दल से कोई सदस्य संबंधित है (यह आम तौर पर सदन के बाहर सामान्य रूप से किसी दल को संदर्भित कर सकता है)।
    - विधान दल:
    - एक सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है जो एक राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं।
    - 'डीम्ड मर्जर'
    - पैरा 4 यह स्पष्ट नहीं करता है कि मूल राजनीतिक दल से अभिप्राय राष्ट्रीय स्तर के दल से है या क्षेत्रीय स्तर के दल से, जबकि भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को इसी रूप में मान्यता देता है।
    - पैरा 4 के अनुसार, विलय तभी हो सकता है जब एक मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो और विधान दल के कम-से-कम दो तिहाई सदस्य इस विलय के लिये सहमत हों।
    - पैरा 4 एक 'कानूनी कल्पना' (Legal Fiction) का निर्माण करता हुआ प्रतीत होता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि एक विधान दल के दो तिहाई सदस्यों के विलय को राजनीतिक दलों का विलय माना जा सकता है, भले ही मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में वास्तविक विलय न हुआ हो।
- प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना:
  - दलबदल विरोधी कानून के लागू होने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आँखें बंद कर पालन करना होता है और उन्हें अपने विवेक से मतदान करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है।
  - दलबदल विरोधी कानून के कारण निर्वाचित सदस्यों को मुख्य रूप से राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह रखकर जवाबदेही की जंजीर को तोड़ा गया है।
- अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका:
  - दलबदल विरोधी मामलों में सदन के सभापति या अध्यक्ष की कार्रवाई की समय-सीमा के बारे में कानून में कोई स्पष्टता नहीं है।

नोट :

- कुछ मामलों में छह माह से तीन वर्ष तक का समय लग जाता है। ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जब कार्यकाल समाप्त होने के बाद मामले का निपटारा हुआ।

- विभाजन की कोई मान्यता नहीं:
  - 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के कारण दलबदल विरोधी कानून ने दलबदल विरोधी निर्णयों के लिये अपवाद या छूट का निर्माण किया।
  - लेकिन यह संशोधन विधान दल में 'विभाजन' को मान्यता नहीं देता है, इसके बजाय 'विलय' को मान्यता देता है।
- केवल एक साथ कई सदस्यों को दलबदल की अनुमति:
  - यह एक साथ कई सदस्यों को दलबदल की अनुमति देता है लेकिन बारी-बारी से या एक-एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। अत: इसमें निहित कमियों को दूर करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में चिंता जताई गई थी कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरानउसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिये।
- सदन में बहस और चर्चा पर प्रभाव:
  - दलबदल विरोधी कानून ने भारत में बहस और चर्चा के लोकतंत्र के बजाय राजनीतिक दलों और संख्याओं के लोकतंत्र का निर्माण किया है।
    - इस तरह यह असहमति और दलबदल के बीच अंतर नहीं करता और किसी भी कानून के संबंध में संसदीय विचार-विमर्श को कमज़ोर करता है।

## दलबदल विरोधी कानून से संबंधित विभिन्न सुझाव

- चुनाव आयोगने सुझाव दिया है कि दलबदल के मामलों में इसके लिये निर्णायक प्राधिकारी होना चाहिये।
- दूसरों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को दलबदल याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालयने सुझाव दिया है कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिये ताकि दलबदल के मामलों का तेज़ी और निष्पक्ष रूप से फैसला किया जा सके।
- कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि यह कानून विफल हो गया है और इसे हटाने की सिफारिश की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सुझाव दिया है कि यह केवलअविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकारों को बचाने के लिये लागू होता है।

दलबदल विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- दलबदल विरोधी कानून का तर्कसंगत उपयोग:
  - कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कानून केवल उन मतों के लिये मान्य होना चाहिये जो सरकार की स्थिरता का निर्धारण करते हैं। उदाहरण: वार्षिक बजट या अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना।
- चुनाव आयोग की सलाह:
  - राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC) सहित विभिन्न आयोगों ने अनुशंसा की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति (सांसदों के मामले में) या राज्यपाल (विधायकों के मामले में) को सौंपा जाना चाहिये जहाँ वे चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लें।
- अयोग्यता से निपटने के लिये स्वतंत्र प्राधिकरण:
  - होलोहान (Hollohan) मामले के निर्णय में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है और इसलिये वह एक ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
  - साथ ही, मामले में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उसकी पसंद मूल संरचना के एक अनिवार्य गुण का उल्लंघन करती है।
  - इस प्रकार, दलबदल के मामलों से निपटने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता है।
- अंतरा-दल लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देना:
  - विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस तर्क के साथ अंतरा-दल लोकतंत्र के महत्त्व को रेखांकित किया था कि कोई राजनीतिक दल अपने कार्यकरण में आंतरिक रूप से तानाशाह और बाह्य रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता।

नोट :

- इसलिये, राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों की राय सुननी चाहिये और उस पर चर्चा करनी चाहिये। यह सदस्यों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करेगा और आंतरिक-दल लोकतंत्र को बढ़ावा देगा।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषण:
  - भविष्य में दलबदल विरोधी कानून के उपयोग का मार्गदर्शन करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची का एक अकादमिक पुनरीक्षण करने का यह उपयुक्त समय है और इस दिशा में शीघ्र प्रयास किया जाना चाहिये।

## संप्रभु हरित बॉण्ड

### संदर्भ

पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित COP26 में भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' (Net Zero) अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेने के भारत के विज़न और प्रतिबद्धता को प्रकट किया था। यह रणनीतिक दिशा भारत को हरित संक्रमण (Green Transition) में विकासशील विश्व का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है।

- त्वरित नीति समर्थन के साथ भारत ने ऐसे मूल्य बिंदुओं पर सौर ऊर्जा बाज़ार के निर्माण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जिसे विकासशील देश वहन कर सकते हैं। 'संप्रभु हरित बॉण्ड' (Sovereign Green Bonds- SGB) जारी करना एक ऐसा ही सामयिक विचार है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष पहली बार संप्रभु हरित बॉण्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में वित्त मंत्री ने हरित अवसंरचना के लिये संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 2022-23 के बजट में 'सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करने की सरकार की मंशा की घोषणा की है।
- इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

### 'हरित बॉण्ड' से क्या तात्पर्य है?

- हरित बॉण्ड या ग्रीन बॉण्ड कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से उन परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिये जारी किये जाते हैं जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ निहित होते हैं और जो निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।
  - इन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवन जैसी परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।
- इन बॉण्डों की आय/प्राप्ति (Proceeds) को हरित परियोजनाओं के लिये निर्धारित किया जाता है। ये मानक बॉण्डों से अलग हैं जिसकी प्राप्ति जारीकर्त्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों के लिये उपयोग की जा सकती है।
- लंदन स्थित 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव' के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक विश्व की 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के सॉवरेन ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी (Green, Social and Sustainability- GSS) बॉण्ड जारी किये थे।

### ग्रीन बॉण्ड को प्राप्त संप्रभु/सॉवरेन गारंटी के क्या लाभ हैं?

- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना सरकारों और नियामकों को जलवायु कार्रवाई और सतत विकास संबंधी मंशा का एक प्रबल संकेत भेजता है।
- यह घरेलू बाज़ार के विकास को उत्प्रेरित करेगा और संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीयऊर्जा एजेंसी ( International Energy Agency-IEA) ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO) रिपोर्ट, 2021 में अनुमान लगाया है कि शुद्ध-शून्य की प्राप्ति के लिये अतिरिक्त 4 ट्रिलियन डॉलर के व्यय में से 70% विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये आवश्यक होगा। इस दृष्टिकोण से सॉवरेन जारी किया जाना पूंजी के इन बड़े प्रवाहों को गति देने में सहायता कर सकता है।
- बॉण्ड पर ग्रीन प्रीमियम 10-20 आधार अंकों का 'यील्ड डिस्काउंट' प्रदान करता है जो उन्हें आकर्षक बनाता है।
- एक सॉवरेन ग्रीन बेंचमार्क के विकास से अंततः अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से हरित बॉण्ड जुटाने के एक जीवंत पारितंत्र का निर्माण हो सकता है।

'ग्रीन बॉण्ड प्रिंसिपल्स' (GBP) क्या है?

- ज्यूरिख स्थित 'इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन' ने स्वैच्छिक दिशानिर्देशों और मानदंडों का एक सेट प्रदान किया है जिसे ग्रीन बॉण्ड प्रिंसिपल्स (GBP) के रूप में जाना जाता है।

नोट :

- ये सिद्धांत आय/प्राप्ति के उपयोग, परियोजना मूल्यांकन एवं चयन, आय/प्राप्ति का प्रबंधन और रिपोर्टिंग को कवर करते हैं।
- वे जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव-विविधता के संरक्षण और प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं में आय के उपयोग का प्रावधान करते हैं।
- तीन प्रमुख उपयोगकर्ता खंड हैं: ऊर्जा, भवन और परिवहन।

## ग्रीन बॉण्ड की स्थिति

- वैश्विक स्थिति:
  - पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance- ESG) फंड या ईएसजी फंड लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें यूरोप लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2025 तक प्रबंधन के तहत कुल वैश्विक परिसंपत्ति का लगभग एक-तिहाई भाग ESG परिसंपत्ति का होगा।
  - ईएसजी डेट फंड (ESG debt funds) की हिस्सेदारी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से 80% से अधिक 'पर्यावरणीय' या ग्रीन बॉण्ड हैं, और शेष सामाजिक एवं संवहनीयता बॉण्ड (Social and Sustainability Bonds) हैं।
- राष्ट्रीय स्थिति:
  - जलवायु कार्रवाई के लिये वैश्विक पूंजी जुटाने के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव' के अनुसार, भारतीय संस्थानों ने 18 बिलियन डॉलर से अधिक के ग्रीन बॉण्ड जारी किये हैं।

## शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति के लिये हम और क्या कर रहे हैं?

- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:
  - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य समय के साथ अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी होते गए हैं, जहाँ पेरिस में वर्ष 2022 तक 175 GW, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक 450 GW और अब COP26 में वर्ष 2030 तक 500 GW तक की क्षमता प्राप्त करने की घोषणा की गई है।
  - भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य (जो पहले ही लगभग हासिल कर लिया गया है) का विस्तार करता है।
  - भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिये हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है।
  - ऊर्जा दक्षता के मामले में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade- PAT) की बाज़ार-आधारित योजना ने अपने पहले और दूसरे चक्र के दौरान 92 मिलियन टन $CO_2$ समतुल्य उत्सर्जन को टालने में सफलता पाई है।
- परिवहन क्षेत्र में सुधार:
  - भारत फेम योजना (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles Scheme) के साथ अपने ई-मोबिलिटी संक्रमण को गति प्रदान कर रहा है।
  - भारत ने 1 अप्रैल, 2020 तक भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों की ओर आगे बढ़ने का महत्त्वाकांक्षी कदम उठाया। मूल रूप से इस लक्ष्य को वर्ष 2024 में अपनाना निर्धारित किया गया था।
  - पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिये एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति मौजूदा योजनाओं को पूरकता प्रदान करती है।
  - भारतीय रेलवे भी आगे कदम बढ़ा रही है और वर्ष 2023 तक सभी ब्रॉड-गेज मार्गों के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत का समर्थन:
  - भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो वैश्विक 'EV30@30' अभियान का समर्थन करते हैं। यह अभियान वर्ष 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कम से कम 30% करने का लक्ष्य रखता है।
  - ग्लासगो में आयोजित COP26 में जलवायु परिवर्तन के लिये भारत द्वारा पाँच तत्वों (जिसे प्रधानमंत्री ने 'पंचामृत' कहा) की पैरवी इसी दिशा में प्रतिबद्धता को प्रकट करती है।

नोट :

- भारत ने ईवी पारितंत्र के विकास और प्रोत्साहन हेतु कई उपाय किये हैं:
  - पुनर्संरचित फेम- II योजना
  - आपूर्तिकर्ता पक्ष हेतु एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं हेतु ऑटो एवं ऑटोमोटिव घटकों के लिये हाल ही में शुरू की गई PLI योजना।
- सरकारी योजनाओं की भूमिका:
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 88 मिलियन परिवारों को कोयला-आधारित रसोई ईंधन से LPG कनेक्शन में स्थानांतरित करने में मदद की है।
  - उजाला योजना के तहत 367 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किये गए हैं, जिससे प्रति वर्ष 38.6 मिलियन टन $CO_2$ की कमी हुई है।
  - इन दो योजनाओं और इसी तरह की अन्य पहलों ने भारत को वर्ष 2005 से 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% कमी लाने में मदद की है।
- निम्न-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:
  - ग्राहकों और निवेशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ ही नियामक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पहले से ही जलवायु लक्ष्य की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय सीमेंट उद्योग ने अग्रणी उपाय किये हैं और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक क्षेत्रवार निम्न कार्बन में से एक की अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है।
  - भारत की जलवायु नीति का इसके निजी क्षेत्र की कार्रवाइयों और प्रतिबद्धताओं के साथ वृहत सामंजस्य स्थापित हुआ है।

## आगे की राह

- मसाला बॉण्ड:
  - मसाला बॉण्ड (MB) रुपए मूल्यवर्ग के बॉण्ड हैं; इनके माध्यम से भारतीय रुपए में विदेशी बाज़ारों से धन जुटाया जाएगा।
    - विदेशी बाज़ारों में जारी MB जारीकर्ता की मुद्रा जोखिम समस्या का समाधान करेगा और पूंजी के एक बड़े पूल को आकर्षित करेगा।
    - यह देश में विदेशी निवेश को प्रबल करने में मदद करता है क्योंकि यह भारतीय मुद्रा में विदेशी निवेशकों के विश्वास को सुविधाजनक बनाता है।
- सरकार को हरित और सतत निवेश के अवसरों में सुधार के लिये विभिन्न नीतिगत, नियामक और विकासात्मक कदम उठाने चाहिये।
- सरकार के पास सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड पर एक नीति होनी चाहिये जो मुद्रा एवं बाज़ारों के चयन, गारंटी एवं ऋण संवर्द्धन, आय/प्राप्ति के उपयोग पर प्राथमिकताओं आदि के संबंध में सभी विचारों को समाहित करती हो।
- हरित वित्त की पहुँच के व्यापक विस्तार के लिये छोटी फर्मों और असंगठित क्षेत्र में पात्र उपयोगकर्ता बन सकने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आदर्शत: पेरिस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।

# बाढ़: एक वार्षिक आपदा

## संदर्भ

देश के उत्तर-पूर्वी भाग में बहने वाली ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग हर साल ही बाढ़ आती है, जो अपने पीछे मौत और तबाही की एक कहानी छोड़ जाती है।

- इस वर्ष मानसून के आगमन से पहले ही असम में लगातार जारी वर्षा ने अपना कहर बरपाया है जिससे असम का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं और लाखों लोग विस्थापन के शिकार हुए हैं।

नोट :

- ब्रह्मपुत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है। हाल के वर्षों में बाढ़ के कारण तबाही के स्तर में व्यापक वृद्धि हुई है।
- इस परिदृश्य में प्रासंगिक है कि असम में हर साल आने वाली बाढ़ की स्थिति और इसके पीछे के कारकों पर हम विचार करें।

## बाढ़ से क्या तात्पर्य है ?

- बाढ़ (Flood) जल का अतिप्रवाह है जो आमतौर पर शुष्क रहते स्थल क्षेत्र को जलमग्न कर देती है।
- 'बहते पानी' (Flowing Water) के अर्थ में ज्वार के प्रवाह के लिये भी 'बाढ़' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है।
- बाढ़ के तीन सामान्य प्रकार हैं:
  - 'फ्लैश फ्लड' (Flash Floods) या अचानक आई बाढ़:
    - तीव्र और व्यापक वर्षा के कारण।
  - नदी की बाढ़ (River Floods):
    - जब लगातार बारिश या बर्फ पिघलने से नदी में जल की मात्रा उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है।
  - तटीय बाढ़ (Coastal Floods):
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सूनामी से संबद्ध तूफानों के कारण।
- वर्ष 1998 से 2017 के बीच दुनिया भर में 2 बिलियन लोग बाढ़ की घटनाओं से प्रभावित हुए।

## असम में हर साल बाढ़ के पीछे के प्रमुख कारक:

- ब्रह्मपुत्र की भूमिका:
  - असम हिमालय की तलहटी में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र एवं बराक नामक दो नदी घाटियों की भूमि से निर्मित है।
  - विशाल ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है।
    - यह असम में लगभग 650 किमी की दूरी तय करती है और इसकी औसत चौड़ाई 5.46 किमी है। यह असम के बाढ़ मैदानों से आड़े-तिरछे बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है।
  - कैलाश श्रेणी (उच्च ऊँचाई) से बहकर आती हुई यह नदी असम (निम्न ऊँचाई) में अत्यधिक अवसाद/तलछटी (sediments) लिये प्रवेश करती है।
    - असम के मैदानी इलाके में ढलान के समतल होते ही नदी के वेग में अचानक गिरावट आती है और बहाकर लाए गये अवसाद एवं अन्य मलबे नदी तल में जमा हो जाते हैं, जिससे इसका जल स्तर बढ़ जाता है।
    - ग्रीष्मकाल में हिमनदों के पिघलने से मृदा का क्षरण अधिक होने से अवसादन बढ़ जाता है।
- मानसून:
  - उत्तर-पूर्व भारत में मानसून तीव्र होता है।
    - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में जून-जुलाई में अधिकतम वर्षा के साथ वार्षिक वर्षा औसतन 2900 मिमी होती है।
  - असम के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार ब्रह्मपुत्र घाटी में वार्षिक वर्षा का 85% मानसून के महीनों के दौरान घटित होता है।
  - इसके अलावा, घाटी में अप्रैल और मई माह में आंधी-तूफान की गतिविधियों के कारण अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, जो जून माह में भारी बारिश के दौरान बाढ़ का कारण बनती है (क्योंकि मृदा पहले से ही संतृप्त होती है)।
- नदी तट में कटाव:
  - सहायक नदियों के साथ बहती हुई अवसादयुक्त नदियाँ अपने तटों से मृदा और तलछट साथ लिये आगे बढ़ती हैं।

नोट :

- मृदा के इस कटाव के साथ नदियों का विस्तार होता जाता है क्योंकि इसे अधिक क्षेत्र प्राप्त होता है और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। नदियों की तटवर्ती भूमि का यह कटाव असम के लिये एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है:
  - ग्राम्य भूमि का बह जाना लोगों के आंतरिक विस्थापन का एक प्रमुख कारण है।
  - असम में कुछ स्थानों पर तटों के कटाव के कारण ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किमी तक बढ़ गई है।

- मानव हस्तक्षेप
  - तटबंधों का निर्माण:
    - किसी नदी के मार्ग को नियंत्रित करने के लिये तटबंधों का निर्माण किया जाता है। हालाँकि यह समाधान असम में समय के साथ एक अतिरिक्त चुनौती के रूप में विकसित हुआ है।
    - असम में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये सबसे पहले 1960 के दशक में तटबंधों का निर्माण शुरू हुआ था।
    - छह दशक बाद इनमें से अधिकांश तटबंध या तो अब उपयोगी नहीं रह गए हैं या अत्यंत जीर्ण स्थिति में हैं। इनमें से कई को नदी अपने साथ बहा ले गई।
    - हर साल मानसून के बाद बाढ़ के आते ही नदी का जल इन बाधाओं को तोड़ देता है और घरों तथा स्थलों में जल भर जाता है।
    - पिछले छह दशकों में असम में क्रमिक सरकारों ने तटबंधों के निर्माण पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
    - अपने इलाके से जल निकालने के लिये लोग तटबंधों को काट भी देते हैं। ऐसी ही एक घटना हाल में सिलचर के महिष बील में देखने को मिली जहाँ लोगों ने बेथुकंडी में तटबंध को काट दिया ताकि अतिरिक्त जल बराक नदी की ओर बह सके जो मणिपुर से बहकर आती हुई असम में प्रवेश करती है, फिर विसर्प बनाती हुई बांग्लादेश में बहती है।
    - सिलचर क्षेत्र में बाढ़ का एक प्रमुख कारण इसे ही माना जा रहा है।
    - तटबंधों के कारण नदी के किनारे अतिक्रमण की स्थिति बनी है जहाँ अधिकाधिक लोग नदी के निकट घर और प्रतिष्ठान स्थापित कर रहे हैं।
  - जनसंख्या की तीव्र वृद्धि:
    - राज्य में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने राज्य की पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ाया है।
    - ब्रह्मपुत्र बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मपुत्र घाटी का जनसंख्या घनत्व असम के मैदानी इलाकों में वर्ष 1940-41 में 9-29 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बढ़कर 2011 की जनगणना मंट 398 प्रति वर्ग किमी तक पहुँच गया है।
    - जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित यह बोर्ड ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी की निगरानी करता है और ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आने वाले राज्यों को कवर करता है।
  - अन्य कारक:
    - वनों की कटाई, पहाड़ की कटाई, अतिक्रमण और आर्द्रभूमि के विनाश जैसे अन्य मानवजनित कारकों ने भी बाढ़ की स्थिति को और बदतर किया है।

- जलवायु परिवर्तन:
  - राज्य सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में 38% की वृद्धि होगी।
  - बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के साथ ही मानसून के दौरान लगातार कम या सामान्य वर्षा की जगह भारी वर्षा का अर्थ होगा—
    - हिमालय की नदियाँ असम में प्रवेश करने से पहले ही अत्यधिक जल और अवसाद लेकर आ रही होंगी जहाँ छोटी नदियाँ लगातार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं।
    - इससे निचले इलाकों में बार-बार फ्लैश फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है।

- अन्य कारक:
  - राज्य में अपवाह तंत्र का अभाव।
  - अनियोजित शहरी विकास।
  - बांधों, जल परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं आदि का निर्माण।

**नोट :**

## बाढ़ असम को किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है?

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान:
  - एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र के खतरे के निशान से ऊपर बहने से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 15% से अधिक हिस्सा जलमग्न हो गया है।
    - राष्ट्रीय उद्यान में आई बाढ़ से इस साल अब तक में एक तेंदुए सहित कम से कम पाँच वन्य जीवों की मौत हो चुकी है।
  - हालाँकि अधिक जल को उद्यान के लिये लाभप्रद माना जाता है क्योंकि यह:
    - काजीरंगा के जल निकायों के संभरण और इसके भूदृश्य को बनाए रखने में मदद करता है।
    - मछली के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है।
    - जलकुंभी जैसे अवांछित पौधों से छुटकारा पाने में मदद करता है।
  - लेकिन बार-बार भारी बाढ़ ने राष्ट्रीय उद्यान के लिये समस्याएँ उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।
    - NH-37:
    - जब बाढ़ का जल एक निश्चित स्तर पर पहुँचता है तो वन्य पशु कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के सुरक्षित, उच्च स्थल भूमि की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस क्रम में उन्हें उद्यान से गुज़रते NH- 37 को पार करना पड़ता है, जिससे वे सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।
    - उनकी भेद्यता का शिकारियों द्वारा भी लाभ उठाया जाता है।
    - मानव-वन्यजीव संघर्ष:
    - बाढ़ में ये वन्यजीव ग्रामों की ओर भी भी आगे बढ़ते हैं जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बनती है।
- अवसंरचना पर प्रभाव:
  - रेल पटरियों पर जल भर जाने से रेल सेवा बाधित हुई है।
  - नौका परिवहन के अतिरिक्त परिवहन के सभी साधन बंद हो गए हैं जहाँ कुछ भागों में नाव चालक 100 मीटर की दूरी के लिये 100 रुपए तक वसूल रहे हैं। मछली पकड़ने या नदी पार कराने जैसी उनकी आजीविका प्रभावित हुई है तो वे इस प्रकार भरपाई का प्रयास कर रहे हैं।
  - खाद्य पदार्थ और पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
  - बाढ़ से सड़कों और पुलों को गंभीर नुकसान पहुँचा है।
  - बिजली स्टेशन प्राय: नदियों के पास स्थित होते हैं क्योंकि उपकरण को ठंडा करने के लिये वे नदी से पानी खींचते हैं और गर्म पानी को नदी में वापस पंप करते हैं।
    - बाढ़ के कारण कई ज़िलों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है।
- आम जनजीवन पर प्रभाव:
  - लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के तटबंधों के टूटने से 5,000 से अधिक ग्राम और फसल भूमि जलमग्न हो गई है।
  - कछार, दीमा-हसाओ, गोलपारा, हैलाकांडी, कामरूप (मेट्रो) और करीमगंज ज़िलों में भूस्खलन की घटनाओं से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
  - बाढ़ का विनाश केवल मानव आबादी तक ही सीमित नहीं है। ASDMA की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ की मौजूदा लहर में लगभग 60,000 पशु बह गए और लगभग 36 लाख प्रभावित हुए हैं।

## भविष्य में बाढ़ की घटनाओं पर नियंत्रण के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- सूचना संचार:
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अधिक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि पूर्व तैयारियों में सुधार किया जा सके और निवासियों को समय पर सतर्क किया जा सके।
  - विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि विश्वसनीय और द्रुत चेतावनी प्रणालियों के प्रभावी कार्यकरण के लिये इस भूभाग को अधिक संस्थागत और तकनीकी रूप से उन्नत प्रणालियों की आवश्यकता है।

नोट :

- काजीरंगा की रक्षा:
  - वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित करने और कार्बी पहाड़ियों तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने पर बल देने की ज़रूरत है।
    - एक 'लैंडस्केप-स्केल कंज़र्वेशन' दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के महत्त्व को चिह्नित करे।
    - बाढ़ के दौरान पशु शरणगाह के रूप में कार्बी आंगलोंग उच्चभूमि उद्यान की जीवन रेखा की भूमिका निभाती है।
- जलद्वार या स्लूस गेट्स का निर्माण:
  - ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और बराक आदि अन्य नदियों पर स्लूस गेट (Sluice Gates) का निर्माण किया जाना चाहिये । यह एक प्रभावी कदम साबित होगा।
    - स्लूस गेट के वाल्व एक दिशा में सील करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं और आमतौर पर नदियों और नहरों में जल स्तर और प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिये उपयोग किये जाते हैं। उनका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में भी किया जाता है।
- अन्य उपाय:
  - विभिन्न उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अध्ययन हेतु असम में एक आपदा प्रबंधन केंद्र की (Centre for Disaster Management) स्थापना की जानी चाहिये।

## हिरासत में होने वाली मौत

### संदर्भ

पुलिस बर्बरता और हिरासत में की जाने वाली हिंसा के मामले में भारत का बदतर रिकॉर्ड रहा है । वर्ष 2001 से 2018 के बीच पुलिस हिरासत में 1,727 लोगों की मौत हो गई लेकिन इन मामलों के लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।

- अपराधों की जाँच हेतु वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने पर समय और धन के वृहत व्यय के बावजूद हिरासत में मौतें होना आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिसकर्मी अलग-अलग पृष्ठभूमि और अलग-अलग दृष्टिकोणों के मानव हैं।
- इस संदर्भ में, हिरासत में होने वाली मौतों से जुड़े प्रश्नों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

### हिरासत में होने वाली मौतों से हमारा क्या तात्पर्य है?

- हिरासत में होने वाली मौतें या 'कस्टडियल डेथ' (Custodial Deaths) से तात्पर्य है पुलिस हिरासत में अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में अथवा कारावास में दंड भोगने के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु।
  - यह बात गुप्त नहीं है कि पुलिस जब अपनी पूछताछ के दौरान प्राप्त निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होती तो कई बार यातना और हिंसा का भी सहारा लेती हैं जिससे संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
  - इसमें पुलिस हिरासत या कारावास में यातना, मौत और अन्य ज्यादतियाँ शामिल हैं।

### भारत में हिरासत में होने वाली मौतों का परिदृश्य

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में देश भर में हिरासत में 1,888 मौतें हुईं, पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 893 मामले दर्ज किये गए और 358 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गए। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इसी अवधि में केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर पूरे देश में में और कहीं भी इस तरह की मौतों के लिए किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया था।
- हिरासत में होने वाली मौतों के अतिरिक्त, वर्ष 2000 और 2018 के बीच पुलिस के विरुद्ध 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए थे और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।

हिरासत में होने वाली मौतों के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

- प्रबल कानून का अभाव:
  - भारत में अत्याचार विरोधी कानून (Anti-torture Legislation) मौजूद नहीं है, न ही हिरासत में हिंसा (Custodial Violence) को अपराध घोषित किया गया है, जबकि दोषी पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की स्थिति भी असंतोषजनक है।

नोट :

- संस्थागत चुनौतियाँ:
  - संपूर्ण कारागार प्रणाली अंतर्निहित रूप से अस्पष्ट है और पारदर्शिता को कम अवसर देती है।
  - भारत अति वांछित कारागार सुधार लाने में भी विफल रहा है और कारागार बदतर स्थिति, भीड़भाड़, कर्मियों की भारी कमी और जेलों में हिंसा/आघात के विरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा उपायों के अभाव से ग्रस्त बने हुए हैं।
- चरम बलप्रयोग:
  - राज्य यातना देने सहित चरम बलप्रयोग की प्रवृत्ति रखता है जिसका शिकार हाशिये पर स्थित समुदाय होते हैं। राज्य आंदोलनों में भाग लेने वाले या विचारधाराओं का प्रचार करने वाले उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी बलप्रयोग का सहारा लेता है जिन्हें राज्य अपने विरुद्ध मानता है या खतरे के रूप में देखता है।
- सुदीर्घ न्यायिक प्रक्रियाएँ:
  - अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली सुदीर्घ, महंगी औपचारिक प्रक्रियाएँ गरीबों और कमज़ोरों को हतोत्साहित करती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन नहीं:
  - हालाँकि भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention against Torture) पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि (Ratification) नहीं की है।
  - जबकि यह हस्ताक्षर केवल संधि में निर्धारित दायित्वों की पूर्ति के प्रति देश की मंशा को इंगित करता है, इसकी पुष्टि या अनुसमर्थन के बाद ही प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु कानूनों और तंत्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

## हिरासत ( Custody ) के संबंध में कौन-से प्रावधान उपलब्ध हैं ?

- संवैधानिक प्रावधान:
  - अनुच्छेद 21:
    - अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।''
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत यातना से संरक्षण एक मूल अधिकार है।
  - अनुच्छेद 22:
    - अनुच्छेद 22 ''कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण'' प्रदान करता है।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा कराने का मूल अधिकार भी प्राप्त है।
- विधिक प्रावधान:
  - आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- CrPC):
    - CrPC की धारा 41 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया और इसमें सुरक्षा उपाय शामिल किये गए ताकि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी एवं हिरासत हेतु उचित आधार एवं दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, गिरफ्तारी को परिवार, दोस्तों एवं आम जनता के लिए पारदर्शी बनाया जा सके तथा कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जाए।
  - वर्ष 1972 का मथुरा केस:
    - मथुरा बलात्कार केस हिरासत में बलात्कार (custodial rape) का एक संगीन मामला था जो 26 मार्च, 1972 को घटित हुआ। मथुरा नामक आदिवासी लड़की का कथित तौर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के देसाईगंज पुलिस स्टेशन के परिसर में दो पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया था।
    - इस मामले ने भारत सरकार को देश में बलात्कार कानूनों में संशोधन के लिए प्रेरित किया और वर्ष 1983 में बलात्कार से निपटने वाले आपराधिक कानूनों में एक नई श्रेणी जोड़ी गई।
    - कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि महिला कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी तो अदालत यही मानकर सुनवाई करेगी कि वह सच कह रही है।

नोट :

- मथुरा केस ने बंद कार्यवाही के रूप में इन-कैमरा ट्रायल का भी मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद बलात्कार पीड़िताओं को उनके वास्तविक नाम से चिह्नित किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- हिरासत में बलात्कार को परिभाषित करने के अलावा, संशोधन ने आरोप लगाने वाले से सबूत का बोझ आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया।
- यह प्रावधान भी किया गया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जा सकता।

## हिरासत में पूछताछ के संबंध में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- ब्रेन फ़िंगरप्रिंट सिस्टम (BFS):
  - BFS एक प्रकार की लाई-डिटेक्शन तकनीक है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मस्तिष्क तरंगों को मापा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय कोई व्यक्ति सच कह रहा है या नहीं।
  - यह तकनीक जाँच एजेंसियों को जटिल मामलों में सुराग खोजने में मदद करती है।
- रोबोट:
  - निगरानी के लिए और बम का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा रोबोट का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
  - कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पूछताछ में रोबोट मानव पूछताछकर्ता के समान या उससे बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।
    - संभव है कि संदिग्ध व्यक्ति सच उजागर करने के लिए पुलिस की तुलना में स्वचालित संवादी रोबोटों के प्रति अधिक ग्रहणशील हों।
    - AI और सेंसर तकनीक से लैस रोबोट संदिग्धों के साथ एक सहज संबंध बना सकते हैं, चापलूसी, शर्मसार करने और दबाव डालने जैसी प्रेरक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज का रणनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
  - ऐरिज़ोना विश्वविद्यालय ने एक स्वचालित पूछताछ प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसे 'Automated Virtual Agent for Truth Assessments in RealTime (AVATAR)' नाम दिया गया है।
    - यह पूछताछ के दौरान संदिग्ध की आंखों की गतिविधियों, आवाज़ और अन्य बातों की परख के लिए दृश्य, श्रवण, निकट-अवरक्त और अन्य सेंसर का उपयोग करता है।
- AI:
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) पूछताछ के उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। AI मानवीय भावनाओं का पता लगा सकता है और व्यवहार का पूर्वानुमान कर सकता है।
  - जब पुलिस संदिग्धों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही हो तो ML तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सचेत कर सकता है।
- संबंधित चिंताएँ:
  - प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही पूर्वाग्रह का जोखिम, स्वचालित पूछताछ रणनीति से संबद्ध शंका, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा व्यक्तियों एवं समुदायों को लक्षित करने का खतरा और निगरानी हेतु इसके दुरुपयोग का संकट मौजूद है।
  - जबकि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में लगातार सुधार हो रहा है, यह एक सीमित साधन ही है जो हिरासत में होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।

## आगे की राह

- भारत को 'यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' की पुष्टि करनी चाहिए।
  - यह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास के लिए विचारणीय व्यक्तियों के संबंध में हिरासत और उसके प्रति व्यवहार के औपनिवेशिक नियमों, विधियों, प्रथाओं और व्यवस्थाओं की एक व्यवस्थित समीक्षा को अनिवार्य करेगा।
  - इसका अर्थ यह भी होगा कि पीड़ितों के लिए 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' जैसी संस्थाओं के अलावा निवारण और मुआवजे की विशेष व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
- पुलिस सुधार:
  - स्वतंत्रता से वंचित करने संबंधी मामलों में शामिल अधिकारियों को शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने के लिए भी दिशानिर्देश तैयार किये जाने चाहिए क्योंकि यातना को प्रभावी ढंग से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि पुलिस तंत्र का वरिष्ठ स्तर ऐसे मुद्दों की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाएगी और वर्तमान अभ्यासों में बदलाव नहीं लाएगी।

नोट :

- कारागार तक पहुँच:
  - स्वतंत्र और योग्य व्यक्तियों को वस्तुस्थिति की समीक्षा और निरीक्षण के लिए हिरासत/निरोध स्थलों तक असीमित और नियमित पहुँच की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - पुलिस थानों (पूछताछ कक्ष सहित) में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ।
  - गैर-आधिकारिक आगंतुकों (Non-Official Visitors- NOVs) द्वारा औचक निरीक्षण को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जो हिरासत में यातना के विरुद्ध एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2015 में श्री दिलीप के. बसु मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में इसका सुझाव दिया था।
- विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट का कार्यान्वयन:
  - रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि हिरासत में प्रताड़ना करने के आरोपित—चाहे वे पुलिसकर्मी हों, सैन्य या अर्द्धसैन्य बल के कर्मी हों, पर केवल प्रशासनिक कार्रवाई के बजाय आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि एक प्रभावी निरोध की स्थापना हो।
- अन्य उपाय:
  - नीति निर्माताओं द्वारा कानूनी अधिनियमों, प्रौद्योगिकी, जवाबदेही, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों, सभी को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की जानी चाहिये।
  - पुलिस ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी सहायता पाने के संवैधानिक अधिकार और नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है।
    - इसके लिए हर थाने/कारागार में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाना उपयुक्त होगा।
  - यदि भारत विधि के शासन द्वारा शासित समाज के रूप में बने रहना चाहता है तो न्यायपालिका के लिए यह अनिवार्य है कि वह अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमज़ोर लोगों के बीच न्याय की पहुँच के अंतराल को भरने के उपाय करे।
    - भारत में न्याय की अभिगम्यता केवल एक आकांक्षी लक्ष्य नहीं है, न्यायपालिका को इसे व्यावहारिक रूप से साकार करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है।

## प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

### संदर्भ

प्लास्टिक उन सर्वाधिक दबावकारी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है।

- नगर निकाय के ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट से लेकर ऑटोमोबाइल कचरे तक, देश में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2025 तक 3 गुना हो जाने का अनुमान है। कुल प्लास्टिक के दसवें हिस्से से भी कम का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट में भारी मात्रा में रिसाव देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रयासों के लिये एक प्रबल आह्वान की मांग रखता है।
- इस संदर्भ में प्लास्टिक अपशिष्ट से जुड़े मुद्दों और समाधानों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

### प्लास्टिक का महत्त्व

- प्रतिरोधी, निष्क्रिय और हल्का होने के साथ प्लास्टिक कंपनियों, उपभोक्ताओं और समाज में अन्य लिंक्स के लिये कई लाभ प्रदान करता है। ऐसा इसकी निम्न लागत और बहुमुखी प्रकृति के कारण है।
- चिकित्सा उद्योग में वस्तुओं को रोगाणुहीन या स्टेराइल (Sterile) रखने के लिये प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सीरिंज और सर्जिकल इम्प्लेमेंट्स प्लास्टिक के बने होते हैं और एकल-उपयोग (Single-use) के रूप में व्यवहृत होते हैं।
- मोटर वाहन उद्योग में इसने वाहनों के वजन में उल्लेखनीय कमी लाने, ईंधन की खपत को कम करने और इस प्रकार ऑटोमोबाइल के पर्यावरणीय प्रभाव को कम रखने का अवसर प्रदान किया है।

नोट :

- प्लास्टिक हेलमेट के रूप में हमारे सिर की रक्षा करते हैं, वे हमें हमारी कारों में सीटबेल्ट, ईंधन टैंक, विंडस्क्रीन और एयरबैग के रूप में सुविधा और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

## प्लास्टिक से संबद्ध वास्तविक समस्या कहाँ है ?

- 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक':
  - प्लास्टिक का उत्पादन मुख्य रूप से कच्चे तेल, गैस या कोयले से होता है और कुल प्लास्टिक का लगभग 40% एकल उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है।
    - प्लास्टिक के साथ हमारा संबंध अल्पकालिक आवश्यकता या उपयोग पर केंद्रित है। इनमें से कई उत्पाद, जैसे प्लास्टिक बैग और फूड रैपर का जीवनकाल मात्र कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक का होता है, फिर भी वे सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं।
- 'माइक्रोप्लास्टिक्स':
  - समुद्र, सूर्य की किरणें, हवा और लहरें प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे-छोटे कणों में तोड़ देती हैं, जो प्राय: एक इंच के पाँचवें हिस्से से भी छोटे होते हैं और माइक्रोप्लास्टिक कहे जाते हैं। ये जल-स्तंभ के सभी भागों में फैले हुए हैं और दुनिया के हर कोने में पाये गए हैं।
    - माइक्रोप्लास्टिक और सूक्ष्मतर टुकड़ों में विखंडित होते हुए 'प्लास्टिक माइक्रोफाइबर' का निर्माण करते हैं। ये खतरनाक रूप से नगरपालिका के पेयजल प्रणालियों में और हवा में बहते हुए पाये गए हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कड़ाई से अनुपालन नहीं:
  - वैश्विक स्तर पर लगभग एक चौथाई प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण ही नहीं किया जाता।
    - कम समृद्ध देशों में अपशिष्ट प्लास्टिक को कभी-कभी खुले में जलाया जाता है जिससे हवा में जहरीले रसायन का उत्सर्जन होता है।

## भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंद्ध प्रमुख मुद्दे

- प्रति व्यक्ति अधिक प्लास्टिक:
  - हमारे टूथब्रश से लेकर डेबिट कार्ड तक प्लास्टिक इतना सर्वव्यापी हो गया है कि विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत भी प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के निपटान के लिये संघर्ष कर रहा है। प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण ही नहीं होता।
- असंवहनीय पैकेजिंग:
  - भारत का पैकेजिंग उद्योग प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में पैकेजिंग पर वर्ष 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि अगले दशक में असंवहनीय पैकेजिंग (Unsustainable packaging) के कारण प्लास्टिक सामग्री मूल्य के लगभग 133 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
    - अनसस्टेनेबल पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक के माध्यम से सामान्य पैकेजिंग करना शामिल है।
- ऑनलाइन डिलीवरी:
  - ऑनलाइन रिटेल और फूड डिलीवरी ऐप की लोकप्रियता (यद्यपि बड़े शहरों तक सीमित) प्लास्टिक अपशिष्ट की वृद्धि में योगदान दे रही है।
  - भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी स्टार्टअप 'स्विगी' और 'ज़ोमैटो' कथित रूप से प्रति माह लगभग 28 मिलियन ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं।
  - प्लास्टिक पैकेजिंग के अत्यधिक उपयोग के लिये ई-कॉमर्स कंपनियाँ भी निंदा का शिकार हो रही हैं।
- खाद्य शृंखला में अवरोध:
  - प्रदूषणकारी प्लास्टिक प्लवक (Plankton) जैसे नन्हे जीवों को प्रभावित कर सकते हैं। जब ये जीव प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण के कारण जहरीले बन जाते हैं तो इससे उन पर खाद्य के लिये निर्भर बड़े जीवों के लिये खाद्य संकट उत्पन्न होता है।

नोट :

- प्लास्टिक बैग्स और स्ट्रॉ जैसी बड़ी वस्तुएँ समुद्री जीवों के गले में फँस उनके लिये जीवन का संकट उत्पन्न कर सकती हैं, जबकि प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (माइक्रोप्लास्टिक) समुद्री जीवों में जिगर, प्रजनन और जठरांत्र संबंधी क्षति का कारण बन सकते हैं। यह परिदृश्य प्रत्यक्षत: 'नीली अर्थव्यवस्था' (Blue economy) को प्रभावित कर सकता है।

- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में एक चौंकाने वाला शोध प्रकाशित किया जहाँ पाया गया था कि 90% बोतलबंद जल में माइक्रोप्लास्टिक उपस्थित थे।
    - हम अपने कपड़ों के माध्यम से भी प्लास्टिक का अवशोषण करते हैं, जो 70% तक सिंथेटिक होते हैं और त्वचा के लिये सबसे नुकसानदेह फैब्रिक होते हैं।
    - खुली हवा में कचरा जलाने जैसे खराब कचरा प्रबंधन के कारण हम श्वसन से भी प्लास्टिक ग्रहण करते हैं।
    - मनुष्यों में प्लास्टिक विषाक्तता से हार्मोन संबंधी व्यवधान और प्रतिकूल प्रजनन एवं जन्म परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

## भारत प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी चिंताओं को कैसे संबोधित कर रहा है?

- एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड (National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste Management):
  - भारत ने जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया ।
  - नागरिकों को अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री/उपयोग/विनिर्माण को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के खतरे से निपटने हेतु सशक्त बनाने के लिये 'सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण' के लिये एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022:
  - यह 1 जुलाई, 2022 से विभिन्न एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
  - इसने 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility- EPR) को भी अनिवार्य बनाया है जिसमें उत्पादों के निर्माताओं के लिये उत्पादों के जीवनकाल के अंत में इन उत्पादों को एकत्र और संसाधित करने की जवाबदेही के साथ 'सर्कुलरिटी' की अवधारणा शामिल है।
- 'इंडिया प्लास्टिक पैक्ट':
  - यह एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। प्लास्टिक पैक्ट सामग्री की मूल्य शृंखला के भीतर प्लास्टिक को कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिये हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्त्वाकांक्षी और सहयोगी पहल है।
- 'प्रकृति' शुभंकर:
  - बेहतर पर्यावरण के लिये जीवन शैली में स्थायी रूप से अपनाए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता प्रसार के उद्देश्य से 'प्रकृति' शुभंकर को लॉन्च किया गया है।
- 'प्रोजेक्ट रिप्लान':
  - खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान (REPLAN: REducing PLastic in Nature) लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य अधिक संवहनीय विकल्प प्रदान कर प्लास्टिक थैलियों की खपत को कम करना है।

## प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी समाधान कौन-से हो सकते हैं?

- 'हॉटस्पॉट' की पहचान:
  - प्लास्टिक के उत्पादन, उपभोग और निपटान से संबद्ध प्लास्टिक लीकेज के प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान करने से सरकारों को ऐसी प्रभावी नीतियाँ विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक की समस्या का समाधान करें।
- विकल्पों की अभिकल्पना:
  - इस दिशा में पहला कदम होगा प्लास्टिक की उन वस्तुओं की पहचान करना जिन्हें गैर-प्लास्टिक, पुनर्चक्रण-योग्य या जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से बदला जा सकता है। उत्पाद डिज़ाइनरों के सहयोग से एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों और पुन: प्रयोज्य डिज़ाइन वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

नोट :

- 'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक' (Oxo-biodegradable plastics) के उपयोग को बढ़ावा देना जो कि आम प्लास्टिक की तुलना में अल्ट्रा-वायलेट विकिरण और ऊष्मा से अधिक तीव्रता से विखंडित हो सकते हैं।

- प्लास्टिक अपशिष्ट का अपघटन:
  - प्लास्टिक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इतने अराजक तरीके से फैल गए हैं कि उनके अपघटन के लिये जीवाणु का उभार हुआ है।
    - जापान में खोजे गए प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु को पॉलियेस्टर प्लास्टिक (खाद्य पैकेजिंग और प्लास्टिक की बोतलों में प्रयुक्त) के अपघटन के लिये संवर्द्धित और संशोधित किया गया है।
- प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के माध्यम से पुनर्चक्रण:
  - अपशिष्ट, विशेष रूप से प्लास्टिक मूल्यवान और एक उपयोगी संसाधन भी सिद्ध हो सकता है। पुनर्चक्रण, विशेष रूप से प्लास्टिक पुनर्चक्रण, एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जो अपशिष्ट के लिये एक मूल्य शृंखला का निर्माण करता है।
  - मदुरै में अवस्थित त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने बेकार प्लास्टिक से टाइल और ब्लॉक बनाने का पेटेंट प्राप्त किया है।
    - ये टाइलें अत्यधिक भार सहन कर सकने में सक्षम हैं और इनका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
- प्लास्टिक मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देना:
  - सभी खानपान गतिविधियों को एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
    - कर्मियों और ग्राहकों को अपनी आदतों में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु सभी एकल उपयोग वस्तुओं को पुन: प्रयोज्य वस्तुओं या अधिक संवहनीय एकल उपयोग विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- प्लास्टिक प्रबंधन के लिये परिपत्र अर्थव्यवस्था:
  - परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular economy) सामग्री के उपयोग को कम कर सकती है, सामग्री को कम संसाधन गहन बनाने के लिये पुन:अभिकल्पित कर सकती है और नई सामग्री एवं उत्पादों के निर्माण के लिये अपशिष्ट का संसाधन के रूप में पुन: उपयोग कर सकती है।
    - परिपत्र अर्थव्यवस्था न केवल प्लास्टिक और कपड़ों की वैश्विक धाराओं पर लागू होती है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- बहु-हितधारक सहयोग:
  - राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारी मंत्रालयों को नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और निरीक्षण में सहयोग करना चाहिये, जिसमें औद्योगिक फर्मों, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी संलग्न की जाए।

## प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिये वर्तमान वैश्विक पहलें

- संकल्प:
  - वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (United Nations Environment Assembly) के भारत सहित 124 पक्षकार देशों ने एक समझौते के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये, जो भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिये प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन हेतु उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूर्ण जीवन को संबोधित करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगा।
    - जुलाई 2019 तक 68 देशों में अलग-अलग प्रवर्तन स्तर के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था।
- यूरोपीय संघ:
  - जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ (EU) में 'एकल उपयोग प्लास्टिक पर निर्देश' (Directive on Single-Use Plastics) प्रभावी किया गया।
- 'क्लोजिंग द लूप' (Closing the loop):
  - यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) की एक परियोजना है जो समस्या से निपटने के लिये अधिक आविष्कारशील नीति समाधान विकसित करने में शहरों की सहायता करती है।

नोट :

- वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल (Global Tourism Plastics initiative):
  - इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक कार्रवाई योग्य प्रतिबद्धताओं की एक शृंखला के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है।
    - यह पहल शत प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को पुन: प्रयोज्य, पुनर्चक्रण योग्य या खाद निर्माण योग्य बनाने के लिये बढ़ावा देने हेतु मूल्य शृंखला को भी संलग्न करेगी और प्लास्टिक के लिये पुनर्चक्रण एवं खाद निर्माण दर को बढ़ाने में सहयोग करने तथा निवेश करने के लिये प्रतिबद्ध होगी।

## भारतीय न्यायपालिका में ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र

भारत में न्यायिक प्रणाली भारी कार्य दबाव का सामना कर रही है। मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे जिनमें से लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। न्याय विभाग के एक डेटाबेस 'राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड' से उजागर होता है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच न्यायालयों में लंबित मामलों में 27% से अधिक की वृद्धि हुई।

अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण न्यायालयों का बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मामलों के 'बैकलॉग' की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में यह विचार करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय न्यायपालिका के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है।

## भारतीय न्यायिक प्रणाली में वर्तमान में विद्यमान प्रौद्योगिकी अवसंरचना

- NICNET:
  - वर्ष 1990 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया था।
  - सभी उच्च न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और NIC के उपग्रह आधारित कंप्यूटर-संचार नेटवर्क NICNET के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ा गया है।
    - NIC ने सभी उच्च न्यायालयों में 'लिस्ट ऑफ बिज़नेस इन्फॉर्मेशन' (LOBIS) को भी कार्यान्वित किया है।
- प्रोजेक्ट ई-कोर्ट:
  - इसका उद्देश्य न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रूप से बढ़ाना और न्याय वितरण प्रणाली को वहनीय, सुलभ, लागत-प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाना है।
    - यह कुशल और समयबद्ध नागरिक-केंद्रित सेवा आपूर्ति भी करता है जिसका विवरण ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिटिगेंट चार्टर में मौजूद है।
- 'इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम' (ICMS):
  - इसे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को एकीकृत करने और पूरे देश में ई-फाइलिंग सुविधा को सक्षम करने के लिये वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
  - वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, बम्बई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने वाणिज्यिक प्रभागों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर साक्ष्य की ई-फाइलिंग और प्रस्तुति को सक्षम बनाया है।
- ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) प्रणाली की ओर संक्रमण:
  - ODR विवाद समाधान (विशेष रूप से अल्प महत्त्व और मध्यम महत्त्व के मामलों में) की एक प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution) की तकनीकों का उपयोग करती है।
    - ODR को सरकार, व्यवसायों और यहाँ तक कि न्यायिक प्रक्रियाओं में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है।

## ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली के क्या लाभ हैं?

- समय और लागत का प्रबंधन:
  - ODR में मामले के समाधान में लगने वाले समय को कम करके और चुनिंदा श्रेणियों के मामलों में कानूनी सलाह की आवश्यकता को दूर करके कानूनी लागत को कम करने की क्षमता है।

नोट :

- लचीली प्रकृति:
  - लंबे समय तक अनुपालित कठोर अदालती प्रक्रियाओं की तुलना में ODR बहुमुखी और अनौपचारिक तरीके से त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करता है।
  - यह यात्रा और शेड्यूल के सामंजस्य की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- समझौता वार्ता को प्रोत्साहन:
  - ऑनलाइन समझौता वार्ता और मध्यस्थता जैसे ODR उपाय पारस्परिक रूप से एक समझौते तक पहुँचने पर आधारित हैं जो विवाद समाधान प्रक्रिया को पक्षकारों के लिये कम प्रतिकूल और जटिल बनाते हैं।
- पहुँच की आसानी:
  - पक्षकारों की सुविधा और आवश्यकता के अनुसार ODR किसी भी समय और कहीं भी अभिगम्य है यदि वहाँ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो।
- रिकॉर्ड संग्रहण:
  - दस्तावेज़ या रिकॉर्ड का संग्रहण भारतीय न्यायालयों के समक्ष मौजूद एक आम चुनौती है और ODR तंत्र ने इस आवश्यकता को भी प्रतिस्थापित किया है।

## ऑनलाइन विवाद समाधान से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- संरचनात्मक समस्याएँ:
  - डिजिटल अवसंरचना की कमी:
    - ODR एकीकरण के लिये एक पूर्व शर्त यह है कि देश भर में सुदृढ़ प्रौद्योगिकी अवसंरचना का निर्माण किया जाए।
    - इसमें कम से कम सार्थक सुनवाई की अवधि तक कंप्यूटर, स्मार्ट फोन और मध्यम से उच्च बैंडविड्थ के इंटरनेट कनेक्शन तक पहुँच शामिल है।
    - इन आवश्यकत सुविधाओं की कमी उन लोगों के लिये अलाभकर हो सकती है जो डिजिटल अवसंरचना तक सीमित पहुँच रखते हैं।
  - डिजिटल साक्षरता का अभाव:
    - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत में केवल 38% परिवार ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं।
    - शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता 61% के स्तर पर है जो ग्रामीण क्षेत्रों के 25% की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
    - इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र एक तिहाई है।
    - इसलिये ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो ODR सेवाओं तक पहुँच के लिये आवश्यक बुनियादी कौशल सेट को लोकप्रिय बनाने हेतु समर्पित पहल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
- कार्यान्वयन संबंधी समस्याएँ:
  - निजता और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:
    - इसमें ऑनलाइन इम्पर्सनैशन (वास्तविक व्यक्ति के बदले किसी और का उपस्थित होना), ODR प्रक्रियाओं के दौरान साझा किये गए दस्तावेजों एवं डेटा के संचलन द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन, डिजिटल साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या डिजिटल रूप से प्रदत्त अवार्ड/समझौते जैसी समस्याएँ शामिल हैं।
  - ODR प्रक्रिया के निर्णय का प्रवर्तन:
    - भारत में मध्यस्थ निर्णयों का प्रवर्तन जटिल और बोझिल रहा है।
    - अधिकांश राज्यों में इसके लिये स्टांप शुल्क की आवश्यकता होती है। दस्तावेज़ के साथ एक ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र संलग्न करने की पुरातन आवश्यकता अन्यथा पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है।
- व्यवहारगत समस्याएँ:
  - ODR सेवाओं में भरोसे की कमी:
    - प्रौद्योगिकी की क्षमता पर संदेह से लेकर ODR निर्णयों की प्रवर्तनीयता को लेकर आशंका तक, कई स्तरों पर भरोसे की कमी मौजूद है।

नोट :

- पक्षकारों की आपसी सहमति:
  - ODR की स्वीकार्यता या ग्राह्यता (Admissibility) प्रमुख और महत्त्वपूर्ण समस्याओं में से एक है।
  - ODR प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिये पक्षकारों की आपसी सहमति आवश्यक है (चाहे वह एक स्पष्ट संविदात्मक खंड के माध्यम से निर्मित हो या पक्षकारों के बीच एक अलग आपसी समझौते के माध्यम से), अन्यथा निष्पक्ष रूप से किया गया कोई भी निर्णय कानूनी रूप से वैध और पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होता।

## हम ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र में सुधार कैसे ला सकते हैं?

- डिजिटल अवसंरचना तक पहुँच में वृद्धि:
  - प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना तक भौतिक पहुँच में वृद्धि केवल दो प्रमुख हितधारकों—सरकार और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयासों से ही की जा सकती है।
    - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर लक्षित हैं।
- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना:
  - प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना तक भौतिक पहुँच डिजिटल अवसंरचना तक पहुँच का केवल एक पहलू है। इसकी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिये ऐसी प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्त्ताओं को डिजिटल रूप से साक्षर होना चाहिये।
    - प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) समाज के सबसे दूरस्थ और सबसे वंचित वर्गों की भी न्याय तक पहुँच सुनिश्चित कर सकने के लिये दीर्घकालिक योगदान करेगा।
- नवाचार मंच:
  - पहुँच को अधिकतम करने के लिये ODR प्लेटफॉर्म को मोबाइल में उपयोग हेतु अनुकूल रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिये ताकि उन्हें व्यापक रूप से अपनाया जा सके। इसके अलावा, यह भी वांछनीय है कि डिजिटल साक्षरता की सीमाओं को देखते हुए इसमें 'वॉयस प्रॉम्प्ट' प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाए।
    - LIMBS भारत की केंद्र सरकार से संबद्ध मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निगरानी के लिये एक वेब-आधारित ऐप्लिकेशन है।
    - यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की एक पहल है।
- क्षमता निर्माण:
  - पूरे देश में सभी ODR पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने, समुदायों के भीतर अर्द्ध-न्यायिक सेवाओं को प्रबल करने और प्रदर्शन एवं अनुकरण के माध्यम से व्यावहारिक कौशल पर आधारित सार्वभौमिक प्रशिक्षण मानकों को लागू करने की आवश्यकता है।
    - ODR पाठ्यक्रमों के लिये सरकार की 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (SWAYAM) पहल का लाभ उठाया जा सकता है और इस मंच के माध्यम से ODR प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- उपयुक्त विनियमन:
  - यह आवश्यक है कि भारत द्वारा अपनाया गया नियामक मॉडल अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता हो, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अति-विनियमन नवाचार को बाधित नहीं करे। कुछ श्रेणी के मामलों में अनिवार्य प्री-लिटिगेशन ऑनलाइन मध्यस्थता शुरू करने के लिये ODR को शामिल करने हेतु मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है।
    - हाल ही में ODR-सक्षम जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करने के लिये मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया।
    - यह न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 111 स्पष्ट करती है कि जीएसटी न्यायाधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
- ई-स्टाम्पिंग को मुख्यधारा में शामिल करना:
  - चूँकि ODR प्राय: अंतर-राज्यीय विवादों से संबोधित होता है जहाँ विवादित पक्ष अलग-अलग न्यायिक क्षेत्राधिकारों के वासी होते हैं, विभिन्न राज्यों में स्टाम्प-शुल्क और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

नोट :

- ऑनलाइन नोटरीकरण की अनुमति देना:
  - सुरक्षित ई-हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक नोटरी सील के माध्यम से ऑनलाइन नोटरीकरण (online notarisation) इस चुनौती का समाधान कर सकता है और प्रमाणीकरण एवं सत्यापन के लिये एक ऑनलाइन साधन प्रदान कर सकता है।
  - ऑनलाइन नोटरीकरण के माध्यम से नोटरी किये गए दस्तावेजों के लिये सभी आवश्यक रिकॉर्ड के संग्रहण और रखरखाव के लिये नोटरियों को डिजिटल लॉकर प्रदान किये जा सकते हैं।

- ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी:
  - किसी हेरफेर से ई-साक्ष्य की सुरक्षा के लिये इसका लाभ उठाया जा सकता है और इस प्रकार साक्ष्य का हेरफेर-रहित संग्रहण उपलब्ध कराया जा सकता है।

- सरकार की भागीदारी:
  - भारत में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) सबसे बड़े वादियों (litigants) में शामिल हैं।
    - अंतर-सरकारी और अंतरा-सरकारी विवादों के समाधान के लिये ODR को अपनाया जाना इस प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
    - यह स्वत: ODR प्रक्रियाओं और निर्णयों में भरोसे की समस्या को संबोधित कर सकेगा।

## विश्व में अन्य कौन-से ODR तंत्र कार्यान्वित हैं?

- यूनाइटेड किंगडम:
  - यूनाइटेड किंगडम में स्थानीय काउंटी कोर्ट प्रबंधन प्रणाली के एक अंग के रूप में CASEMAN मामलों के पंजीकरण के लिये आरंभिक कोर्ट रिकॉर्ड के सृजन, सम्मन जारी करने एवं उनकी निगरानी करने, साक्ष्यों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के संग्रहण, कॉज-लिस्ट के निर्माण, रिकॉर्ड अपडेट करने, कोर्ट डायरी के रखरखाव और स्वचालित रूप से अन्य प्रासंगिक दस्तावेज एवं रिकॉर्ड तैयार करने जैसे अनगिनत कार्यों को पूरा करता है।
- ऑस्ट्रेलिया:
  - ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट में ई-लॉजमेंट सिस्टम (e-Lodgment system) पर किसी भी समय कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज़ दाखिल किये जा सकते हैं। उन्हें फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीलबंद या स्टाम्प कर दिया जाता है।
- कनाडा:
  - कनाडा ने अपना ऑनलाइन 'सिविल रिजॉल्यूशन ट्रिब्यूनल' (CRT) पेश किया है जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में छोटे दावों के विवादों के साथ-साथ किसी भी राशि की संपत्ति संबंधी विवादों पर विचार करता है।
- रवांडा:
  - रवांडा पेपर-रहित कोर्ट सेवाओं की ओर आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम (EFS) का उपयोग कर रहा है।

# फास्ट-मूविंग कंज़्यूमर गुड्स

## संदर्भ

फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCGs) को ऐसे पैकेज-बंद वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनकी नियमित रूप से और छोटे अंतरालों पर उपभोग या बिक्री होती है। FMCG उद्योग की कुल बिक्री में घरेलू एवं व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद 50%, स्वास्थ्य सेवा उत्पाद 31-32% और खाद्य एवं पेय पदार्थ शेष 18-19% की हिस्सेदारी रखते हैं।

- FMCG भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है । यह लगभग 3 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जो भारत में कारखाना रोज़गार का लगभग 5% है। भारत के जीडीपी विकास में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के परिदृश्य में सुधार के कारण देश के FMCG क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है।
- रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2022 में FMCG सेक्टर 10-12 प्रतिशत के दोहरे अंकों की वृद्धि के लिये तैयार है। इस संदर्भ में, भारत में FMCG उद्योगों के भविष्य और संबंधित चुनौतियों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

नोट :

## FMCG क्षेत्र के विकास के लिये उत्तरदायी प्रेरक कारक कौन-से हैं?

- डिजिटलीकरण:
  - एक ऐसे देश में जहाँ आज भी 80% बिक्री स्थानीय किराना स्टोर से होती है, यह सुनिश्चित किया जाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे चैनलों से ऑर्डर या मांग स्थिर बने रहें। पिछले कुछ वर्षों में कोरोनावायरस महामारी की कई लहरों के दौरान डिजिटलीकरण ने यही सुनिश्चित किया है।
    - कुल FMCG बिक्री की ई-कॉमर्स हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 11% बढ़ने की उम्मीद है।
  - FMCG कंपनियाँ डिजिटल क्षमताओं की मदद से आपूर्तिकर्ताओं, इन्वेंट्री प्रबंधन और वितरक प्रबंधन को एक पारितंत्र के अंदर ला रही हैं।
    - FMCG कंपनियों द्वारा ग्राहकों के व्यवहार का सटीक अनुमान लगाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि वास्तव में उनके ग्राहकों की क्या दिलचस्पी है।
    - ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर और ऑनलाइन रिटेल स्टोर FMCG उत्पादों को अधिक आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं।
    - ई-वॉलेट और यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल भुगतान लेनदेन को आसान और अधिक सुविधाजनक बना रहे हैं।
    - भारत में ऑनलाइन उपयोगकर्त्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 850 मिलियन को पार कर जाने का अनुमान है।
- सरकार की पहलों और निवेशों में वृद्धि:
  - भारत में FMCG क्षेत्र ने वर्ष 2020 में 18.19 बिलियन डॉलर का सुदृढ़ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह पाया।
    - वस्तु एवं सेवा कर (GST): FMCG कंपनियों के लिये जीएसटी पर्याप्त अनुकूल रहा है। इसने भारतीय बाज़ार को एक छत्र के नीचे ला दिया है।
    - वस्तु एवं सेवा कर के प्रवर्तन के साथ जीएसटी परिषद ने अधिकांश प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों पर कर की दरों को घटाकर 5% कर दिया है, जिससे खाद्य उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है।
    - इसके साथ ही, नवंबर 2020 में प्रस्तावित उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना इस क्षेत्र के लिये विनिर्माण क्षमता एवं निर्यात को बढ़ावा देने में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई है।
    - FMCG क्षेत्र को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विकास से भी समर्थन प्राप्त होगा।
- ग्रामीण बाज़ार का विकास:
  - ग्रामीण भारत में खुदरा बाज़ार और ग्रामीण उपभोग में वृद्धि भी FMCG बाज़ार को आगे बढ़ाने के लिये ज़िम्मेदार है।
    - समग्र FMCG व्यय में ग्रामीण भारत के खुदरा बाज़ार का योगदान 36 प्रतिशत है।
- बढ़ती युवा आबादी :
  - भारत में युवा आबादी की वृद्धि भी उपभोग रुझान को बदल रही है जो 'रेडी-टू-ईट' खाद्य संस्कृति की ओर अधिक झुकाव रखती है।
    - भारत की आबादी का 50% से अधिक 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, जबकि 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।
    - भारत के प्रसंस्करित खाद्य बाज़ार के वर्ष 2020-21 में 263 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 470 बिलियन डॉलर के हो जाने का अनुमान है।
- बाज़ार में नया उत्पाद:
  - FMCG क्षेत्र विभिन्न उद्योगों की प्रोडक्ट-लॉन्च क्षमता को बढ़ाता है।
    - नवंबर 2021 में 'Tru Nativ' नामक एक स्मार्ट न्यूट्रीशन FMCG कंपनी ने भारत का पहला 'फैमिली फ्रेंड नेचुरल प्रोटीन-एवरीडे प्रोटीन' (Everyday Protein) लॉन्च किया जो ग्राहकों को प्राकृतिक फूड फोर्टिफिकेशन समाधान प्रदान कर भारत की वृहत पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट कमियों को दूर करने का उद्देश्य रखता है।
    - 'Beco' नामक एक भारतीय स्टार्टअप निम्न-लागत और पर्यावरण-अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं के साथ FMCG बाज़ार में क्रांति ला रहा है।

नोट :

## FMCG क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- उच्च मुद्रास्फीति:
  - घरेलू FMCG उद्योग मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और मात्रा पर भी असर पड़ा है।
    - अप्रैल-जून 2022 के दौरान शहरी बाज़ारों की तुलना में ग्रामीण बाज़ारों में धीमी वृद्धि देखी गई।
  - प्रभाव:
    - कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का अर्थ है कि कच्चे तेल से जुड़े मध्यवर्ती उत्पाद महंगे हो जाएँगे, जिससे कपड़े और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिये इनपुट लागत भी प्रभावित होगी।
    - ईंधन की उच्च कीमतों से माल ढुलाई लागत में वृद्धि होगी। इससे पैकेजिंग की लागत भी बढ़ेगी।
- नकली उत्पाद:
  - वितरण केंद्र, रिटेल आउटलेट और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाता नकली उत्पादों (Counterfeit Products) की घुसपैठ के लिये सबसे अधिक संवेदनशील या असुरक्षित हैं।
    - नकली उत्पाद जाली या असली उत्पाद के अनधिकृत प्रतिकृति होते हैं।
- कमज़ोर आपूर्ति शृंखला अवसंरचना:
  - कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत के साथ ही भंडारण और परिवहन सुविधाओं की कमी भारतीय FMCG बाज़ार के लिये एक बड़ी चुनौती रही है।
    - भारतीय बाज़ार में कोल्ड चेन अवसंरचना की कमी के कारण FMCG की कई श्रेणियों का विकास गंभीर रूप से बाधित हुआ है।
    - कोल्ड चेन अवसंरचना में तापमान-नियंत्रित भंडारण सुविधाएँ और कुशल प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ परिवहन-प्रशिक्षित संचालन और रखरखाव कर्मी शामिल हैं।
- वृहत भौगोलिक विस्तार:
  - भारत में मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दो निकटवर्ती बाज़ारों के बीच बड़ी दूरी की समस्या पाई जाती है।
    - इसका चैनल पार्टनर्स की व्यवहार्यता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो अलग-थलग बाज़ारों में कार्यरत होते हैं।

## आगे की राह

- कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:
  - आपूर्ति शृंखला के कुप्रबंधन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये भारत में FMCG कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वितरण चैनल पर अधिक नियंत्रण रखें, न कि इसे बाज़ार की शक्तियों के अधीन छोड़ दें।
- नकली उत्पादों की रोकथाम:
  - भारतीय FMCG कंपनियाँ अधिक दृश्यता और अनुरेखणीयता (Greater Visibility and Traceability) की पेशकश के साथ खुदरा उद्योग से साझेदारी कर सकती हैं।
    - नकल/जालसाजी पर रोक के लिये नियमित रूप से मौके की जाँच, उचित निगरानी प्रणाली, स्थानीय एवं राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग जैसे उपाय किये जा सकते हैं।
- साइबर सुरक्षा:
  - उपभोक्ता बाज़ार में डिजिटलीकरण निजता के लिये खतरा बनता जा रहा है। FMCG क्षेत्र को एक स्वस्थ राष्ट्रीय साइबरस्पेस के साथ डेटा सुरक्षित करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिये।
- परिवहन लागत में कमी लाना:
  - थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ विनिर्माण उद्योग का सहयोग अतिरिक्त शिपिंग लागत को कम करने में मदद कर सकता है।

नोट :

- उत्पादन क्षमता बढ़ाना:
  - श्रम की विशेषज्ञता (Specialisation of labour) और अधिक एकीकृत प्रौद्योगिकी (Integrated technology) उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देती है।
    - कुशल श्रमिक कार्यबल के निर्माण के लिये कौशल विकास पर बल दिया जाना चाहिये।
    - नवंबर 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) अपनी महत्त्वाकांक्षी 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)' कार्यक्रम के लिये फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups- SHGs) को ई-कॉमर्स के दायरे में लाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
  - तंत्र के उचित उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

## भारत में डिजिटल अभिव्यक्ति

### हालिया मुद्दा:

- ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विभिन्न ट्वीट और हैंडल को ब्लॉक करने के निर्देशों के विरुद्ध सरकार को कानूनी चुनौती दी है।
- कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों के मामले में स्वयं ट्विटर के पारदर्शिता तंत्र में कई समस्याएँ हैं।
  - हालाँकि वह भारतीय कानूनों की मुखर अवज्ञा के बजाय अपने प्लेटफॉर्म की अखंडता की रक्षा के लिये न्यायालय का रुख करने को प्रेरित हुआ है।
- संसदीय आँकड़ों के अनुसार, सरकार के ऐसे आदेशों की संख्या वर्ष 2014 में 471 से बढ़कर वर्ष 2020 में 9,849 हो गई, जो 1991% वृद्धि को सूचित करती है।
  - ऐसे आदेशों की बस संख्या ही ज्ञात है, ऐसे आदेशों का व्यापक गुणात्मक मूल्यांकन आधिकारिक गोपनीयता द्वारा निरुद्ध किया जाता है।
  - प्रकटीकरण की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से श्रेया सिंघल और अनुराधा भसीन मामले के निर्णयों के संयुक्त वाचन से उभरती है।
- ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाना:
  - जून 2022 के अंतिम सप्ताह में खुलासा हुआ कि ट्विटर ने भारत में कई अकाउंट्स और ट्वीट्स को निरुद्ध किया था।
  - ऐसे अकाउंट में राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं और यहाँ तक कि 'फ्रीडम हाउस' जैसे वैश्विक थिंक टैंक के अकाउंट भी शामिल थे।
  - यही परिदृश्य फरवरी और अप्रैल 2021 में भी देखने को मिला जब कथित रूप से किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और कोविड-19 की दूसरी लहर पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना करने वाले कंटेंट को निरुद्ध किये जाने के निर्देश दिये गए थे।

### सरकार द्वारा 'डिजिटल स्पीच' पर नियंत्रण के साधन

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021:
  - परिचय:
    - सोशल मीडिया के लिये वृहत सतर्कता के अभ्यास का अधिदेश:
    - आईटी नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में वृहत सतर्कता (Diligence) के अभ्यास का निर्देश देता है।
    - शिकायत अधिकारी की नियुक्ति:
    - उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होगी।
    - प्लेटफॉर्म के शिकायत निवारण तंत्र का शिकायत अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को ग्रहण करने और उनका समाधान करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।

नोट :

- संशोधन का मसौदा प्रस्तावित:
  - शिकायत अपीलीय समिति:
  - इसने निगरानी के एक अतिरिक्त स्तर का प्रस्ताव रखा, जिसे 'शिकायत अपीलीय समिति' (Grievance Appellate Committee) कहा गया है। यह मध्यस्थ शिकायत निवारण अधिकारी के ऊपरी स्तर पर कार्यरत होगी।
  - इसका अर्थ यह है कि यदि कोई उपयोगकर्ता मध्यस्थ द्वारा प्रदान किये गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह सीधे अदालत जाने के बजाय अपीलीय समिति में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।
  - हालाँकि इसने न्यायालय में अपील करने के उपयोगकर्त्ता के अधिकार का आहरण नहीं किया है।

- आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66A:
  - धारा 66A द्वारा पुलिस को इस आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था कि कोई कंटेंट उनके व्यक्तिपरक विवेक के अनुसार 'आक्रामक' या 'धमकी-पूर्ण' हो अथवा विद्वेष, पीड़ा देने आदि की मंशा से प्रकट किया गया हो।
  - इसने कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से विद्वेषपूर्ण या धमकी-पूर्ण संदेश भेजने के लिये दंड का प्रावधान किया था जहाँ दोषी को अधिकतम तीन वर्ष का कारावास दिया जा सकता था।
  - वर्ष 2015 में न्यायालय द्वारा धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था, लेकिन अभी भी कई मामलों में इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

- आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A:
  - यह केंद्र और राज्य सरकारों को किसी "किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिये" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं:
    - देश की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिये।
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में।
    - लोक व्यवस्था के हित में या उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के किये जाने में उद्दीपन को रोकने के लिये।
    - किसी भी अपराध की जाँच के लिये।
  - धारा 69A केंद्र सरकार को किसी प्राधिकृत एजेंसी या किसी मध्यस्थ को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना की सार्वजनिक पहुँच के अवरोध के लिये निदेश देने में सक्षम बनाती है।
    - पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित रूप से दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये।

## सरकार के विनियमों में निहित चुनौतियाँ

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में समस्याजनक संशोधन का प्रस्ताव:
  - अभिव्यक्ति के दमन के लिये सरकार को मध्यस्थ बनाना:
    - हालाँकि सरकार ने संशोधन के मसौदे को उसी दिन वापस ले लिया था लेकिन इससे सरकार की मंशा का पता चला। प्रस्तावित संशोधन ने सरकार को इंटरनेट पर स्वीकार्य अभिव्यक्ति का विवाचक या मध्यस्थ बना दिया होता और वह सरकार के लिये किसी भी प्रतिकूल अभिव्यक्ति के दमन के लिये सोशल मीडिया पर दबाव रख सकती थी।
    - इसने सरकार को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A या संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लेख नहीं किये गए आधारों पर भी अभिव्यक्ति को सेंसर करने का अधिकार दिया होता।
  - शिकायतों के समाधान का दायित्व सोशल मीडिया पर:
    - मसौदे में यह दायित्व सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों पर रखा गया था कि रिपोर्टिंग के 72 घंटों के अंदर सभी शिकायतों का समाधान किया जाए।
    - जबकि उल्लेखनीय है कि मध्यस्थ सेंसर के लिये निर्देशित कंटेंट और उपयोगकर्त्ता अकाउंट की पूरी तरह से जाँच करने और निर्णय लेने में पर्याप्त समय लेते हैं।
    - इस प्रकार, एक अल्प समय-सीमा ने कार्रवाई में अति जल्दबाजी संबंधी आशंकाओं को जन्म दिया।

नोट :

- धारा 66A:
  - अपरिभाषित कृत्यों पर आधारित:
    - न्यायालय ने पाया कि धारा 66A की कमज़ोरी इस तथ्य में निहित है कि इसने अपरिभाषित कृत्यों, जैसे ''असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान" के आधार पर अपराध का निर्धारण किया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेख किये गए अपवादों में शामिल नहीं हैं।
  - प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का अभाव:
    - इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि धारा 66A में समान उद्देश्य रखने वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (जैसे कार्रवाई से पहले केंद्र का अनुमोदन प्राप्त करना) शामिल नहीं थे।
    - स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से (वस्तुत: अपने राजनीतिक आकाओं की मर्जी से) कार्रवाई हेतु आगे बढ़ सकते थे।
  - मौलिक अधिकारों के विरुद्ध:
    - धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य) और 21 (जीवन का अधिकार ) दोनों के प्रतिकूल थी।
    - जानने का अधिकार (Right to know) अनुच्छेद 19(1)(A) द्वारा प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है।

### आगे की राह

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक जानकारी साझा करने हेतु विवश करना अनुत्पादक साबित हो सकता है जहाँ नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पक्ष द्वारा किये गए उल्लंघन से स्वयं की रक्षा के लिये कोई डेटा गोपनीयता कानून मौजूद नहीं है।
- इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित करने में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।
- उसके बाद भी यदि विनियमन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो इसे संसद में बहस के साथ पारित कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिये, न कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्यकारी के नियम-निर्माण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- हितधारकों के साथ विचार-विमर्श: नए नियमों में वास्तव में कई समस्याएँ मौजूद हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा समस्या यह है कि इन्हें बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के पेश किया गया था।
  - इन नियमों को लेकर जारी आलोचना का समाधान यह होगा कि एक श्वेत पत्र के प्रकाशन के साथ नए सिरे से शुरुआत की जाए।

## शहरी गरीबी एवं इसका समाधान

### संदर्भ

भारत लगभग दो दशकों से विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा है। भारत के इस आर्थिक विकास में इसके शहरों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत के शहर न केवल इसके आर्थिक 'पावरहाउस' हैं, बल्कि बेहतर जीवन की चाह रखने वाली एक बड़ी ग्रामीण आबादी के लिये चुंबक की तरह भी कार्य करते हैं।

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट द्वारा वर्ष 2007 में आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत की 40.76 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी।
- शहरी गरीबी (Urban Poverty) गरीबी का एक रूप है जो विशेष रूप से बड़े शहरों या महानगरों में दिखाई देती है और यह बदतर जीवन परिस्थितियों एवं निम्न आय के साथ-साथ जीवन के एक सभ्य स्तर के लिये आवश्यक उपयोगिताओं की कमी के रूप में परिलक्षित होती है।
- शहरी गरीबी विशेष रूप से इस आशय में अद्वितीय है कि यह विकास के कुछ तय प्रारूप या पैटर्न का अनुसरण करती है। यद्यपि पिछले दशकों में शहरी गरीबों के अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन उनकी संख्या में वृद्धि जारी है।
- इस परिदृश्य में हमारे लिये भारत में शहरी गरीबी की वास्तविक स्थिति और संबंधित चुनौतियों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

नोट :

## शहरी गरीबी के पीछे के प्रमुख कारण

- ग्रामीण-शहरी प्रवास का वृहत स्तर:
  - शहरी गरीब मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों के अतिप्रवाह से उत्पन्न हुए हैं जो वैकल्पिक रोज़गार एवं आजीविका की तलाश में गाँवों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की कमी ('पुश फैक्टर') और शहरी क्षेत्रों में तेज़ी से औद्योगीकरण ('पुल फैक्टर') के कारण विषम विकास की स्थिति बनी है और इससे प्रवासन को बल मिला है।
- कौशल की कमी:
  - अधिकांश गरीब शहरी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते रोज़गार अवसरों का लाभ उठा सकने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिये आवश्यक ज्ञान और कौशल का अभाव है।
    - इसके कारण अकुशल या अर्द्ध-कुशल कार्यबल का सृजन होता है जिनके लिये अच्छे और उपयुक्त वेतन वाली नौकरी पाना कठिन होता है।
- ऋणग्रस्तता:
  - बेरोज़गारी (Unemployment) या अल्प-रोज़गार (Underemployment) और शहरी क्षेत्रों में कार्य की आकस्मिक एवं सविराम (Intermittent) प्रकृति ऋणग्रस्तता की ओर ले जाती है, जो फिर गरीबी को पुष्ट करती है।
    - बेरोज़गारी से तात्पर्य उस आर्थिक स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति जो सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश में हो, उसे कार्य नहीं मिल रहा हो।
    - अल्प-रोज़गार एक ऐसी स्थिति है जहाँ रोज़गार के अवसरों और कर्मियों के कौशल एवं शिक्षा के स्तर के बीच असंगति हो।
- मुद्रास्फीति:
  - खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि शहरी क्षेत्रों में निम्न-आय वर्ग के लोगों की कठिनाई और अभाव को और अधिक बढ़ा देती है।

## शहरी गरीबों के सामने विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- अति भीड़भाड़:
  - घरेलू कार्य, ऑटो/टैक्सी चलाना, मध्यम वर्ग के लोगों के लिये वाहन चलाना, निर्माण स्थल पर कार्य जैसे विभिन्न अनौपचारिक रोज़गार के लिये लाखों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं।
    - यह पहले से ही भीड़भाड़ भरे शहरी अवसंरचना में अति भीड़भाड़ (Overcrowding) की स्थिति उत्पन्न करता है।
- जल और सफ़ाई व्यवस्था:
  - कोविड-19 महामारी ने मलिन बस्ती क्षेत्रों में खराब स्वच्छता मानकों का खुलासा किया। इन मलिन बस्तियों में हाथ धोने और शारीरिक दूरी का पालन करने जैसे प्रोटोकॉल का पालन किया जाना असंभव ही था।
    - दिल्ली में लगभग 21.8 प्रतिशत मलिन बस्ती परिवार सार्वजनिक नल जैसे साझा जल स्रोतों पर निर्भर हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल:
  - इन समुदायों की निम्न आय का अर्थ है कि मानक चिकित्सा सहायता उनके लिये प्रायः वहनीय नहीं होती है।
    - वर्ष या जलजमाव जैसी स्थिति में उनकी बस्तियाँ विभिन्न रोग परजीवियों और संक्रमणों के लिये प्रजनन स्थल बन जाती हैं और यह चक्र लगातार चलता रहता है।
- शिक्षा:
  - झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा विभिन्न समस्याओं से प्रभावित होती है।
    - इन परिवारों के कुछ बच्चे स्कूल में नामांकित हो भी जाते हैं तो कई बार उन्हें अपने परिवार की आर्थिक रूप से सहायता कर सकने के लिये पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

नोट :

- जबरन बेदखली का जोखिम:
  - सस्ते आवास की कमी के कारण वे आधिकारिक रूप से पता-विहीन (Address-less) होते हैं। उन्हें जहाँ भी अवसर मिलता है, वहीं बस सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही अवैध रूप से बसा एक पूरा समुदाय उभर आता है जिससे फिर उनकी जबरन बेदखली का जोखिम उत्पन्न होता है।
    - जबरन बेदखली (Forced eviction) को व्यक्तियों, परिवारों और/या समुदायों को उनके कब्जे के घरों और/या भूमि से उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थायी या अस्थायी निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है।

## शहरी गरीबों की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

- उचित सामाजिक सुरक्षा:
  - अधिकांश राहत धनराशि और लाभ मलिन बस्ती निवासियों तक नहीं पहुँच पाते, जिसका मुख्य कारण यह है कि ये बस्तियाँ सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता-प्राप्त नहीं होती हैं।
    - अनौपचारिक श्रमिकों के लिये उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव उभरकर सामने आया है और इसका शहरी गरीबी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, समय की आवश्यकता है कि शहरी नियोजन (Urban Planning) और प्रभावी शासन के लिये नए दृष्टिकोण अपनाए जाएँ।
  - शहरी मलिन बस्ती आबादी को रोज़गार लाभ प्रदान करने के लिये शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा (MNREGA) जैसी एक योजना शुरू की जा सकती है।
- बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना:
  - मलिन बस्ती क्षेत्रों में स्वच्छ जल, स्वच्छता और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिये।
    - मलिन बस्तियों के पुनर्वास और उन्नयन के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची के आधार पर पहचान चिह्न स्थापित करने की आवश्यकता है। इनमें उन वंचित परिवारों को भी दर्ज करने की आवश्यकता है जो सूची से बाहर छूट गए हैं।
- समुदाय संपर्क अभियान:
  - समाज कल्याण योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये विशेष सामुदायिक संपर्क अभियान (Community Connect Campaigns) शुरू किये जाने चाहिये।
    - इस तरह के अभियानों में एलपीजी कनेक्शन, बैंक खाते, जीवन एवं दुर्घटना बीमा और कर्मचारी राज्य बीमा सुविधाओं से संबंधित योजनाओं तथा आयुष्मान भारत एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) जैसे स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये।
    - सामुदायिक संपर्क प्रक्रिया द्वारा गरीबों की भागीदारीपूर्ण पहचान के माध्यम से NFSA के गैर-हकदार लाभार्थियों को सूची से हटाया जाना भी संभव हो सकता है।
- बस्ती-स्तरीय स्वयं सहायता समूह:
  - शहरी क्षेत्रों में वंचित परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा पूर्ण कवरेज देने के प्रयास को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
    - इस प्रक्रिया के साथ ही आजीविका के विविधीकरण के लिये ऋण तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये।
    - स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिये ऋण की व्यवस्था इस दिशा में बढ़ाया गया प्रशंसनीय कदम है।
    - बस्ती-स्तरीय महिला समूहों के सृजन से कई कठिन चुनौतियों को संबोधित किया जा सकेगा।
- प्रवासन सहायता केंद्र :
  - काम की तलाश में प्रवासियों के शहरों की ओर आगमन की प्रक्रिया को कम पीड़ादायी बनाना होगा। इसके लिये प्रवासन सहायता केंद्र (Migration Support Centres) स्थापित किये जा सकते हैं।
    - बुनियादी शर्तों की पूर्ति करने वाले अधिवासियों के लिये किराये के आवास और संपत्ति स्वामित्व के विस्तार से ऋण तक उनकी पहुँच भी आसान बनेगी।
    - बेसहारा और बेघरों के लिये सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

नोट :

- न्यूनतम मज़दूरी लागू करना:
  - असंगठित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या कारखाना अधिनियम जैसे कई कानूनों का लाभ नहीं मिल पाता है।
    - ठेकेदार प्राय: उन्हें न्यूनतम मज़दूरी से भी कम भुगतान करते हैं। इस परिदृश्य में पूरे देश के असंगठित क्षेत्र में भी सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी लागू किये जाने की आवश्यकता है।

### शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- अटलनवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन- अमृत मिशन (AMRUT)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
- जल जीवन मिशन- शहरी
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी।

## ऊर्जा निर्धनता

### संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ऊर्जा निर्धनता (Energy Poverty) को संवहनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच की कमी के रूप में परिभाषित किया है। यह उन सभी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जहाँ विकास का समर्थन करने के लिये पर्याप्त, सस्ती, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ऊर्जा सेवाओं की कमी है।

- यह तथ्य है कि 'ऊर्जा सभ्यता का इंजन है', लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में दुनिया में पर्याप्त और वहनीय स्रोतों तक पहुँच सभी के लिये एकसमान रूप से उपलब्ध नहीं है। केवल दक्षिण एशिया में ही 1 बिलियन से अधिक लोग ऊर्जा की अत्यंत सीमित पहुँच के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
- मानव विकास और ऊर्जा उपयोग मूलभूत रूप से परस्पर-संबद्ध हैं। स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल, शिक्षा और मानवाधिकार जैसी बुनियादी मानवीय ज़रूरतों की पूर्ति के लिये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिये भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन विश्व भर में भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण ऊर्जा लागतें आसमान छू रही हैं।
- भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) क्रांतियों के बावजूद भारतीय घरों में, विशेष रूप से ग्रामीण घरों में, ऊर्जा तक सीमित पहुँच की ही स्थिति बनी हुई है।
- इस परिदृश्य में, भारत के संदर्भ में ऊर्जा निर्धनता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

### भारत में ऊर्जा निर्धनता के प्रमुख कारण

- ऊर्जा अवसंरचना की कमी:
  - बिजली संयंत्रों, पारेषण लाइनों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के वितरण के लिये भूमिगत पाइपलाइनों जैसे आधुनिक ऊर्जा अवसंरचनाओं की कमी के कारण ऊर्जा निर्धनता की स्थिति बनी है।
    - वे आज भी लकड़ी ईंधन, काष्ठ कोयला, पराली और लकड़ी के छर्रों जैसे पारंपरिक बायोमास पर अत्यधिक निर्भर हैं।
    - बिजली कनेक्टिविटी रहित लोगों की संख्या के मामले में नाइजीरिया भारत के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि वह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।
    - प्राकृतिक गैस के संग्रहण या वितरण हेतु अवसंरचना के अभाव में नाइजीरिया के तेल क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस का अधिकांश भाग जलकर हवा में उड़ जाता है।
- वहनीयता की कमी:
  - आय और विकास के निचले स्तर पर स्थित परिवार ऊर्जा की सीढ़ी पर सबसे नीचे होते हैं, जो सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंधन का उपयोग करते हैं जो स्वच्छ या कुशल ऊर्जा स्रोत नहीं होते।

नोट :

- ऊर्जा की अक्षमता:
  - ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की अनुपातहीन रूप से उच्च क्षति ऊर्जा निर्धनता का एक प्रमुख कारक है।
    - जब ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 1 अंक की वृद्धि होती है तो ऊर्जा निर्धनता दर में 0.21% की गिरावट आती है, इस प्रकार ऊर्जा निर्धनता में ऊर्जा दक्षता का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है।
- भू-राजनीतिक तनाव:
  - भू-राजनीतिक अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करती है।
    - 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का तेल आयात बिल बढ़कर 119 बिलियन डॉलर का हो गया क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि हुई।

## भारत में ऊर्जा निर्धनता से आय निर्धनता कैसे संबद्ध है?

- ऊर्जा निर्धनता को आय निर्धनता का एक पहलू माना जाता है।
  - बिजली जैसी ऊर्जा सेवाओं का प्रावधान देश में औद्योगिक और कृषि विकास को सुविधाजनक बनाता है।
  - इस तरह की वृद्धि और विकास रोजगार के वृहत स्तर और उद्यमशीलता के अवसरों के संदर्भ में आजीविका के अवसरों की वृद्धि करते हैं।
  - यह आगे परिवारों के लिये उच्च आय और फिर गरीबी के स्तर में कमी जैसे परिणाम देगा।
- गरीब परिवार (शहरी और ग्रामीण दोनों) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की तुलना में अपने कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा ईंधन प्राप्त करने पर खर्च करते हैं।
  - आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से परिवारों के लिये नियमित रूप से स्वच्छ ऊर्जा ईंधन तक पहुँच होना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

## भारत में ऊर्जा निर्धनता के प्रभाव

- व्यामोह (Labyrinth) का दुष्चक्र:
  - अपर्याप्त ऊर्जा आमतौर पर कृषि और विनिर्माण को विकसित करने की असंभावना के रूप में अभिव्यक्त होती है और इस प्रकार ऊर्जा निर्धनता से प्रभावित आबादी को एक दुष्चक्र में फँसाती है, जहाँ वे उस ऊर्जा का वहन ही नहीं कर सकते जो उन्हें निर्धनता से बाहर निकाल सकती है।
- स्वास्थ्य को खतरा:
  - लकड़ी, गोबर, पराली जैसे पारंपरिक ऊर्जा ईंधन के दहन से घर के अंदर वायु प्रदूषण होता है जिससे मानव स्वास्थ्य को भारी हानि पहुँचती है।
    - आकलन किया जाता है कि घरेलू वायु प्रदूषण (HAP) के कारण होने वाली वार्षिक वैश्विक अकाल मृत्यु में प्रत्येक 4 में से 1 भारत में होती है।
    - इनमें से 90 प्रतिशत महिलाएँ होती हैं, क्योंकि वे अपर्याप्त हवादार रसोई में इन ईंधनों के निकट संपर्क में कार्य करती हैं।
- ऊर्जा संकट:
  - ऊर्जा की मांग में वृद्धि और ऊर्जा उत्पादन एवं परिवहन के लिये जीवाश्म आधारित ईंधन पर निरंतर निर्भरता न केवल प्राकृतिक संसाधनों को कम कर रही है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है। यह औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिये भी ज़िम्मेदार है।
    - ग्रीनहाउस गैसों का सांद्रण स्तर लगातार बढ़ रहा है।

## ऊर्जा निर्धनता को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन:
  - G20 और ब्रिक्स (BRICS) जैसे शक्तिशाली मंचों को ऊर्जा पहुँच, निर्धनता और सुरक्षा जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पहुँच एवं न्याय और ऊर्जा एवं जलवायु पर विशेष रूप से समर्पित वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन स्थापित किया जाना चाहिये।

नोट :

- प्रभावी नीतिनिर्माण के लिये डेटाबेस का निर्माण:
  - नीतिनिर्माताओं एवं अन्य प्रासंगिक हितधारकों की सुविधा के लिये अंतर घरेलू और सामूहिक विभेदों का डेटा एकत्र करना महत्त्वपूर्ण है ताकि ऊर्जा, आय और लिंग असमानता के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सके और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ऊर्जा अंतर को दूर किया जा सके।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान देना:
  - नवीकरणीय स्रोतों (सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि) से उत्पन्न ऊर्जा स्वच्छ, हरित और अधिक संवहनीय होगी।
    - नवीकरणीय स्रोतों से संबद्ध परियोजनाएँ निम्न कार्बन विकास रणनीतियों में भी सकारात्मक योगदान दे सकती हैं और देश की कामकाजी आबादी के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगी।
- सुदृढ़ संस्थागत तंत्र:
  - भारतीय परिवारों को ऊर्जा कुशल मशीनरी और सब्सिडी प्रदान करने के लिये ऊर्जा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा वित्त क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध आवश्यक है।
    - ऊर्जा निर्धनता को कम करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय संस्थानों को एक साथ आने और सामूहिक पेशकश के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- लक्ष्यों को प्रवर्तनीय कार्रवाई में बदलना:
  - जागरूकता अभियान:
    - सब्सिडी के संबंध में जागरूकता अभियान और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों से संबंधित शिक्षण का प्रसार समाज के निचले पायदान तक किये जाने की आवश्यकता है ताकि कुशल ऊर्जा उपभोग के प्रति जागरूकता की वृद्धि हो।
  - निगरानी:
    - नीतियों के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने के लिये एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

## भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली विभिन्न पहलें

- विद्युतीकरण क्षेत्र में:
  - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)
  - हरित ऊर्जा गलियारा (GEC)
  - राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (SMNP)
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में:
  - राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)
  - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और सतत् (SATAT)
  - लघु जल विद्युत (SHP)
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM)
  - उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
- ऊर्जा दक्षता के विषय में:
  - उजाला योजना (उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All-UJALA)
- स्वच्छ रसोई ईंधन के लिये:
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- औद्योगिक डी-कार्बनीकरण के लिये:
  - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना

नोट :

- संवहनीय परिवहन के लिये:
  - फेम योजना (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles-FAME)
- जलवायु स्मार्ट शहर के विषय में:
  - स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)
- भारत की वैश्विक पहलें:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
  - स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM)
  - मिशन इनोवेशन (MI)

## श्रीलंका में संकट

### संदर्भ

नागरिकों के ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के दबाव में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिलि विक्रमसिंघे द्वारा इस्तीफ़ा देने की घोषणा के एक दिन बाद श्रीलंका के विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सरकार निर्माण के प्रयास तेज़ कर दिये हैं।

- श्रीलंका के विभिन्न भागों में सरकार विरोधी भावना के लगातार प्रसार ने देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देश में आर्थिक संकट की स्थिति में जनता सड़क पर उतर आई है और सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं।
- श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन (BoP) की गंभीर समस्या के कारण एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घटता रहा है और देश के लिये आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का आयात करना कठिन होता जा रहा है।
- श्रीलंकाई रुपए का 80% से अधिक अवमूल्यन हुआ है, खाद्य लागतों में 50% से अधिक की तीव्र वृद्धि हुई है और पर्यटन (जो देश का एक प्रमुख राजस्व स्रोत है) में कोविड-19 महामारी के कारण भारी कमी आई है।
- इस परिदृश्य में, श्रीलंका में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के उभार के कारणों और इसके प्रभावों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

### श्रीलंकाई संकट का उभार क्यों हुआ ?

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2009 में जब श्रीलंका 26 वर्ष लंबे गृहयुद्ध से उबर कर बाहर आया, तब इसकी युद्धोत्तर जीडीपी वृद्धि 8-9% प्रति वर्ष के पर्याप्त उच्च स्तर पर थी और यह स्थिति वर्ष 2012 तक बनी रही।
  - लेकिन वर्ष 2013 के बाद इसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी हो गई क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई, निर्यात मंद हो गया और आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  - युद्धकाल में श्रीलंका का बजट घाटा उच्च स्तर पर रहा था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था जिसके कारण देश को वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा था।
    - वर्ष 2016 में वह फिर 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण के लिये IMF के पास पहुँचा, लेकिन IMF की शर्तों के पालन ने श्रीलंका के आर्थिक स्वास्थ्य को और खराब कर दिया।
- श्रीलंका का उर्वरक प्रतिबंध:
  - वर्ष 2021 में सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातोंरात 100% जैविक कृषि देश में परिणत करने की घोषणा कर दी गई।
  - जैविक कृषि की ओर इस त्वरित कदम ने देश में खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
  - बिगड़ते परिदृश्य में बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा के अवमूल्यन और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिये सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी।

नोट :

- विदेशी मुद्रा की कमी के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर रातोंरात आरोपित प्रतिबंध ने खाद्य कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति उत्पन्न कर दी।

- हाल के आर्थिक झटके:
  - कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों की घटना में 253 लोग हताहत हुए, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई।
  - वर्ष 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिये व्यापक SoPs का वादा किया था।
    - नई सरकार द्वारा इन वादों के त्वरित कार्यान्वयन ने समस्या को और बढ़ा दिया।
  - वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने चाय, रबर, मसालों, कपड़ों और पर्यटन क्षेत्र के निर्यात को प्रभावित किया।
  - चीन की ऋण जाल नीति (Debt Trap Policy) ने भी श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - श्रीलंका का संकट मुख्यत: विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है, जो पिछले दो वर्षों में 70% घटकर फ़रवरी 2022 के अंत तक केवल 2 बिलियन डॉलर रह गया था।
    - जबकि वर्तमान में देश पर लगभग 7 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण दायित्व का भार है।
- वर्तमान राजनीतिक शून्यता की स्थिति:
  - प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति राजपक्षे ने संकेत दिया था कि वे इस्तीफ़ा दे देंगे ताकि एक सर्वदलीय सरकार निर्माण की राह खुल सके।

## श्रीलंकाई संकट भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है?

- चुनौतियाँ:
  - आर्थिक:
    - भारत के कुल निर्यात में श्रीलंका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 2.16% रही थी जो घटकर वित्त वर्ष 2022 में मात्र 1.3 प्रतिशत रह गई है।
    - टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसी ऑटोमोटिव फर्मों ने श्रीलंका को वाहन किट का निर्यात बंद कर दिया है और देश के अस्थिर विदेशी मुद्रा भंडार एवं ईंधन की कमी को देखते हुए अपनी श्रीलंकाई असेंबली इकाइयों में उत्पादन रोक दिया है।
- शरणार्थी संकट:
  - जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट आया है, भारत को पाक जलडमरूमध्य और मुन्नार की खाड़ी के रास्ते से जातीय तमिल समुदाय के शरणार्थियों की एक बड़ी आमद का सामना करना पड़ा है।
    - भारत के लिये तमिल शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या को संभालना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत जटिल हो सकता है, इसलिये इस संकट से निपटने के लिये एक सुदृढ़ नीति की ज़रूरत है।
    - तमिलनाडु राज्य ने संकट के प्रभाव को अनुभव करना शुरू भी कर दिया है जहाँ श्रीलंका से अवैध तरीकों से 16 व्यक्तियों का आगमन दर्ज हुआ है।
- अवसर:
  - चाय बाज़ार:
    - वैश्विक चाय बाज़ार में श्रीलंकाई चाय आपूर्ति के अचानक अवरुद्ध होने के बीच भारत इस आपूर्ति अंतराल को भरने का इच्छुक है।
    - भारत ईरान के साथ ही तुर्की, इराक जैसे नए बाज़ारों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ कर सकता है।
    - ईरान, तुर्की, इराक और रूस के बड़े श्रीलंकाई चाय आयातक कथित तौर पर असम और कोलकाता में चाय बागानों की तलाश में भारत आ रहे हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप हाल ही में कोलकाता में हुई नीलामियों में पारंपरिक रूप से उत्पादित चायपत्तियों (orthodox leaf) के औसत मूल्य में पिछले वर्ष की इसी बिक्री की तुलना में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई।

नोट :

- परिधान (वस्त्र) बाज़ार:
  - यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों के कई परिधान ऑर्डर अब भारत को भेजे जा रहे हैं।
  - ऐसे कई ऑर्डर तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र तिरुपुर में अवस्थित कंपनियों को मिले हैं।

## श्रीलंका की सहायता करना भारत के हित में क्यों है?

- श्रीलंका भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भागीदार रहा है। भारत इस अवसर का उपयोग श्रीलंका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को संतुलित करने के लिये कर सकता है, जो चीन के साथ श्रीलंका की निकटता के कारण कुछ प्रभावित हुआ है।
  - चूँकि श्रीलंका और चीन के बीच उर्वरक के मुद्दे पर असहमति बढ़ती जा रही है, श्रीलंका के अनुरोध पर भारत द्वारा उर्वरक आपूर्ति को द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है।
- श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल' नीति से श्रीलंकाई द्वीपसमूह को दूर रखने के प्रयासों में मदद कर सकेगा।
  - श्रीलंका के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये भारत की यथासंभव सहायता को इस सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये कि उसकी मदद दृष्टिगोचर भी हो ताकि श्रीलंका में भारत के लिये एक सौहार्द का प्रसार हो।

## श्रीलंका इस संकट से कैसे उबर सकता है?

- लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लागू करना:
  - बेहतर संकट-प्रबंधन के लिये श्रीलंका में प्रबल राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। प्रशासन के सैन्यीकरण में कमी लाना भी एक उपयुक्त कदम होगा।
    - गरीब एवं भेद्य आबादी को पुन: सक्षम करने और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक क्षति को रोकने में मदद करने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है।
    - इन उपायों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना, गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में वृद्धि करना, सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन करना और पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल होगा।
- भारत से समर्थन:
  - पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों की मज़बूती के लिये 'नेबरहुड फ़र्स्ट नीति' का अनुसरण करने वाले भारत को श्रीलंका को मौजूदा संकट से उबरने के लिये और अपनी क्षमताओं को साकार करने के लिये अतिरिक्त मदद देनी चाहिये जिसका लाभ एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोस के रूप में स्वयं भारत को भी प्राप्त होगा।
  - भारतीय व्यवसाय ऐसी आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं जो आवश्यक वस्तुओं से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक वस्तु एवं सेवा के व्यापक दायरे में भारतीय और श्रीलंकाई अर्थव्यवस्थाओं को परस्पर संबद्ध करे।
    - भारत द्वारा श्रीलंका को मार्च के मध्य से अभी तक 270,000 मीट्रिक टन से अधिक डीजल और पेट्रोल दिया गया है।
    - इसके अलावा, हाल ही में विस्तारित 1 बिलियन डॉलर की ऋण सुविधा के तहत भारत द्वारा लगभग 40,000 टन चावल की आपूर्ति भी की गई है।
  - भारत G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में श्रीलंका की उपस्थिति की राह को भी आसान बना सकता है जो श्रीलंका को विकसित राष्ट्रों से सहायता पा सकने का आधार प्रदान करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत:
  - श्रीलंका ने 'बेलआउट' के लिये IMF से संपर्क किया है। IMF मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के श्रीलंका के प्रयासों का समर्थन कर सकता है।
    - IMF गरीबों एवं कमज़ोरों की रक्षा, वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा और भ्रष्टाचार संबंधी भेद्यताओं को दूर करने एवं श्रीलंका की विकास क्षमता को साकार करने हेतु संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ वृहत आर्थिक स्थिरता और ऋण संवहनीयता की पुनर्बहाली के रूप में योगदान कर सकता है।

नोट :

- चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का उपयोग:
- श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता के संदर्भ में आयात पर निर्भरता को चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है जो रिकवरी में सहायता के लिये एक स्थायी विकल्प प्रदान करेगा।

## I2U2 एवं भारत

### संदर्भ

I2U2 चार देशों—भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे 'आर्थिक सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच' (International Forum for Economic Cooperation) का नाम दिया गया था।

- यह मध्य-पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्त्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय करना शामिल है। चार देशों का यह समूह आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देगा।
- I2U2 का पहला आभासी शिखर सम्मेलन यूक्रेन में संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा।

### I2U2 समूह की पृष्ठभूमि

- अब्राहम समझौते:
  - सितंबर, 2020 में इज़रायल, यूएई और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में अब्राहम समझौते (Abraham Accords) पर हस्ताक्षर किये, जिसने आगे इज़रायल और खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न अरब देशों के बीच सामान्य संबंधों की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।
    - I2U2 को आरंभिक रूप से अक्टूबर, 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये गठित किया गया था।
    - इसका उद्देश्य भागीदार चार देशों की क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव की अनूठी सरणी का दोहन करना था जिसने अंततः I2U2 के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

### I2U2 के लिये सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन से हो सकते हैं?

- सुरक्षा:
  - इससे देशों को इन नए समूहों के ढाँचे के भीतर आपसी सुरक्षा सहयोग के निर्माण और विस्तार में मदद मिलेगी।
    - उल्लेखनीय है कि भारत का इज़रायल, अमेरिका और यूएई के साथ पहले से ही एक सुदृढ़ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग स्थापित है।
- प्रौद्योगिकी:
  - इनमें से प्रत्येक देश एक प्रौद्योगिकी केंद्र होने की स्थिति रखते हैं, जहाँ जैव प्रौद्योगिकी इनमें से प्रत्येक देश में एक प्रमुख क्षेत्र है।
  - इज़रायल को पहले से ही एक 'स्टार्टअप नेशन' के रूप में जाना जाता है। भारत भी स्वयं अपनी क्षमता से एक व्यापक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की दिशा में कार्यरत है।
  - यूएई भी इस बात को समझता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य केवल हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस पर आधारित नहीं होगा और उसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कार्य करने की ज़रूरत है।
    - इस वर्ष मई में एक परियोजना शुरू की गई जिसके तहत एक इज़रायली कंपनी ईकोपिया (Ecoppia) भारत में रोबोटिक सोलर क्लीनिंग प्रौद्योगिकी का निर्माण करेगी। यह संयुक्त अरब अमीरात की एक परियोजना के लिये है।
- खाद्य सुरक्षा:
  - खाद्य सुरक्षा और अहानिकारकता संबंधी परिणामों से निपटने और उन्हें कम करने के लिये इन चार देशों के संयुक्त प्रयास अत्यंत महत्त्वपूर्ण होंगे।
    - विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट-2020 के अनुसार, भारत की कुल आबादी का लगभग 14 प्रतिशत कुपोषण का शिकार है।

नोट :

- व्यापार और संपर्क:
  - I2U2 चारों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुन:प्रेरित करने में योगदान दे सकता है ।
    - उल्लेखनीय है कि अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
  - संपर्क/कनेक्टिविटी:
    - I2U2 एक 'कनेक्टिविटी कॉरिडोर' के निर्माण के लिये संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत की परियोजना को बढ़ावा देगा जो भारत से अरब प्रायद्वीप में अरब की खाड़ी से गुज़रता हुआ इज़रायल, जॉर्डन तक और फिर वहाँ से यूरोपीय संघ तक विस्तृत होगा।
    - इस गलियारे का निर्माण पूरा होने पर भारत के लिये कंटेनर परिवहन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी (उदाहरण के लिये मुंबई से ग्रीस तक वहन हेतु लागत में 40% से अधिक की कमी आ सकती है)।

## भारत के लिये I2U2 का क्या महत्त्व है?

- भारत की पश्चिम-एशियाई नीतियाँ:
  - अब तक भारत की पश्चिम एशियाई नीतियों ने मुख्यत: अरब देशों और इज़रायल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक-दूसरे से अलग रखने पर बल दिया है।
    - अब भारत के पास अवसर है कि यूएई और इज़रायल के साथ अपने संबंधों का अभिसरण कर सके।
    - अब्राहम समझौते से लाभ:
    - अब्राहम समझौते से भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इज़रायल के साथ संबंधों को गहरा कर सकने का लाभ मिलेगा।
- मुनाफा बाज़ार:
  - भारत एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार है। यह उच्च-प्रौद्योगिकीय और अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक भी है जो पश्चिम एशिया के निवेशकों को आकर्षित करेगा।
- भू-राजनीतिक उपस्थिति को प्रोत्साहन:
  - I2U2 विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भारत की भू-राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा और भारत रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से स्वयं को प्रमुख विश्व खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकेगा।
  - पश्चिम एशिया में लगभग 8-9 मिलियन भारतीय निवास करते हैं जिनमें से केवल संयुक्त अरब अमीरात में ही 25 लाख भारतीय मौजूद हैं। वे भारत के 'सद्भावना दूत' के रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं।
    - पश्चिम एशिया के भारतीय समुदाय धन प्रेषण (Remittances) के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। I2U2 के माध्यम से पश्चिम एशियाई देशों के साथ सहयोग की वृद्धि से आवक धन प्रेषण में वृद्धि होगी।
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में खाड़ी देशों से भारत को प्राप्त आवक प्रेषण 38 बिलियन डॉलर का रहा था।

## I2U2 से संबद्ध चुनौतियाँ

- इज़रायल के लिये चुनौतियाँ:
  - जहाँ तक शांति स्थापना और अरब-इज़रायल संघर्ष के समाधान का प्रश्न है, अब्राहम समझौते को एक बड़ी सफलता माना जा सकता है।
    - हालाँकि इस भूभाग के अन्य देश अभी भी इज़रायल के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध निर्माण को लेकर अनिच्छुक बने हुए हैं।
  - इसके साथ ही, वास्तविक धरातल पर इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष अभी भी चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है।
- अरब दुनिया के आंतरिक संघर्ष:
  - ईरान-सऊदी अरब: ईरान और सऊदी अरब के बीच शिया-सुन्नी संघर्ष जारी है जो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में भी संघर्ष का एक प्रमुख विषय है।

नोट :

- देशों का गुटों में बँटना:
  - अरब जगत में आंतरिक संघर्ष ईरान जैसे भारत के महत्त्वपूर्ण साझेदारों को दूसरे समूह में शामिल होने को प्रेरित कर सकता है।
  - विकसित हो रहे नए समीकरण देशों को दो गुटों में बाँट सकते हैं जहाँ एक ओर चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की होंगे जबकि दूसरी ओर भारत, इज़रायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात होंगे।
- मध्य-पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका:
  - भारत को चीन को लेकर भी सतर्कता रखनी होगी जो इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।
  - इज़रायल:
    - इज़रायल के हाइफ़ा बंदरगाह (Haifa port) का चीन द्वारा विस्तार किया गया है जहाँ उसने 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
    - चीन अशदोद बंदरगाह (Ashdod port) का भी निर्माण कर रहा है जो भूमध्य सागर में इज़रायल का एकमात्र बंदरगाह है।
  - संयुक्त अरब अमीरात:
    - संयुक्त अरब अमीरात विश्व के उन पहले देशों में से एक था, जिन्हें 5G परियोजना के लिये चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआवेई (Huawei) की सहायता मिली थी।

## आगे की राह

- अवसर का लाभ उठाना:
  - I2U2 सभी संबंधित देशों के लिये लाभ का सौदा है। जहाँ तक पश्चिम एशिया के साथ सहयोग का संबंध है, भारत को एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
    - भारत को इस भूभाग में अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, श्रमिक, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे भारत के कई मूलभूत हित इस क्षेत्र से संलग्न हैं।
- पश्चिम एशिया में अन्य भागीदारों को आश्वस्त करना:
  - भूभाग के दो देशों- ईरान और मिस्र को विशेष रूप से आश्वस्त किये जाने की आवश्यकता है कि यह नई व्यवस्था उनके विरुद्ध लक्षित नहीं है।
  - भारत के लिये अफगानिस्तान के वर्तमान संदर्भ में ईरान महत्त्वपूर्ण है। भारत को इस क्षेत्र में कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह की चुनौतियों से निपटना होगा।
    - मिस्र का इस गठबंधन के सभी चार देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है लेकिन फिर भी उसे आश्वस्त किया जाना चाहिये कि इस समूह से वह आर्थिक या राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं होगा।
- चारों देशों के बीच आपसी सहयोग:
  - पश्चिम एशियाई क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने की राह में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं।
    - एक-दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिये प्रतिद्वंद्वी देशों को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित करना चारों देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।

# भारत में शहरी स्थानीय शासन

## संदर्भ

शहरीकरण भारतीय समाज की एक आम विशेषता बन गया है। चूँकि शहर वैश्वीकरण के मुख्य लाभार्थी रहे हैं और शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, रोज़गार की तलाश में लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

- यह भारतीय शहरों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के संचालक या प्रेरक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके लिये आधारभूत संरचना में वृद्धि और उनके उन्नयन की आवश्यकता है जिसके लिये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन की ज़रूरत है।

नोट :

- हमारा संविधान न केवल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से बल्कि विशेष रूप से संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, जो देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिये एक संस्थागत ढाँचा तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं, के माध्यम से भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिये एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान करता है।
- हालाँकि संवैधानिक अधिदेश के बावजूद देश में शासन के तृतीयक स्तर के रूप में स्वशासी स्थानीय निकायों का विकास असमान और धीमा ही रहा है। इन निकायों को 3'F' (Funds, Functions and Functionaries) का हस्तांतरण नाममात्र (केरल जैसे उल्लेखनीय अपवादों के साथ) ही रहा है।
- स्थानीय शासन में संस्थागत सुधारों को आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ना गांधीजी के 'पूर्ण स्वराज' में अंतर्निहित दूरदर्शी दृष्टि रही थी। लेकिन वर्तमान वस्तुस्थिति इसके विपरीत है जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2021 में जारी अपनी 'राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन' शीर्षक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तृतीय स्तर की सरकारें रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन एवं परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वित करके, टीकाकरण शिविर आयोजित करके और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखकर महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में आ गई है और वे अपने व्यय में कटौती करने तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिये बाध्य हो रही हैं।

## भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना का स्वरूप

शहरी स्थानीय सरकार आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत हैं:

- नगर निगम:
  - नगर निगम (Municipal corporations) आमतौर पर बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े नगरों में कार्यरत हैं।
- नगरपालिका:
  - छोटे शहरों में नगरपालिकाओं (Municipalities) का प्रावधान है।
  - नगरपालिकाओं को प्राय: नगर परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है।
- अधिसूचित क्षेत्र समिति:
  - तेज़ी से विकसित हो रहे क़स्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित क़स्बों के लिये अधिसूचित क्षेत्र समितियों (Notified area committees) का गठन किया जाता है।
  - अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
- नगर क्षेत्र समिति:
  - नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) छोटे शहरों में पाई जाती है।
  - इसके पास स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज रोड और कंजर्वेंसी जैसे न्यूनतम अधिकार होते हैं।
- छावनी बोर्ड:
  - छावनी बोर्ड (Cantonment Board) आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया जाता है।
  - इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित और संचालित किया जाता है।
- टाउनशिप:
  - किसी संयंत्र या प्लांट के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये टाउनशिप के रूप में शहरी सरकार स्थापित की जाती है।
  - इसका कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता और यह नौकरशाही संरचना का ही विस्तार होता है।
- पोर्ट ट्रस्ट
  - पोर्ट ट्रस्ट (Port trusts) मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं।
  - यह बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है।
  - यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

नोट :

- विशेष प्रयोजन एजेंसी:
  - विशेष प्रयोजन एजेंसियाँ (Special Purpose Agency) नगर निगमों या नगरपालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं।

## शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष विद्यमान समस्याएँ

- वित्तीय कमी:
  - ज़मीनी स्तर पर सुशासन हेतु वित्तीय तंगी सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
  - अंतर-सरकारी स्थानांतरण पर निर्भरता:
    - शहरी स्थानीय सरकार राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
  - राजस्व में हिस्सेदारी की गंभीर कमी:
    - सामान्यत: उनके कार्यों की तुलना में उनकी आय का स्रोत अपर्याप्त होता है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा एकत्र विभिन्न प्रकार के कर हैं।
    - हालाँकि शहरी निकायों द्वारा एकत्र किये जाते कर प्रदत्त सेवाओं पर व्ययों की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं होते।
    - यद्यपि वे कुछ नए कर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य अपने मतदाताओं को नाराज कर देने के भय से ऐसा करने से संकोच रखते हैं।
- अनियोजित शहरीकरण:
  - उचित योजना के अभाव में नगर निकाय सेवाओं के लिये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन होता है।
    - स्थानीय निकायों की प्रशासनिक मशीनरी अपर्याप्त है। भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, स्कूल, पार्क और अस्पताल जैसी आवश्यक सुविधाओं के बिना कॉलोनियों की स्थापना की जा रही है, मलिन बस्तियों के विकास पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है और यातायात भीड़ की स्थिति समस्याजनक है।
    - इससे शहरी निर्धनता, बेरोज़गारी और पारिस्थितिक क्षरण जैसे परिणाम भी उत्पन्न होते हैं।
- राज्य सरकार का अत्यधिक नियंत्रण:
  - राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों का नियंत्रण रखती है। उन पर विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय नियंत्रण उन्हें स्वशासन सरकारों के रूप में कार्य करने देने के बजाय अधीनस्थ इकाइयों में परिणत कर देता है।
    - नगर निकायों को वैधानिक शर्तों के अनुरूप अपने बजट को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनके द्वारा लिये जाते किसी भी उधार को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।
    - केंद्र और राज्यों के विपरीत शहरी स्थानीय सरकार के स्तर पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है।
- एजेंसियों की बहुलता:
  - राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में और शहरी स्थानीय सरकार के प्रति किसी जवाबदेही के बिना एकल प्रयोजन एजेंसियों (Single Purpose Agencies) का गठन किया जाता है। नगर निकायों को इन एजेंसियों के लिये बजट में योगदान करना होता है, जबकि वे इनके ऊपर कोई नियंत्रण शक्ति नहीं रखते।
    - उदाहरण: राज्य परिवहन निगम, राज्य विद्युत बोर्ड, जल आपूर्ति विभाग आदि।
- लोगों की निम्न भागीदारी:
  - साक्षरता और शैक्षिक स्तर के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद शहर के निवासी शहरी सरकारी निकायों के कार्यकरण में पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं।
    - विशेष प्रयोजन एजेंसियों और अन्य शहरी निकायों की बहुलता लोगों को उनकी भूमिका सीमितताओं के बारे में भ्रमित करती है।

नोट :

## शहरी स्थानीय सरकारों को कैसे सशक्त बना सकते हैं?

- आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना:
  - शहरी स्थानीय सरकारों के स्वतंत्र और वित्तीय रूप से सुरक्षित होने के लिये वित्तीय विकेंद्रीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - राजस्व को सुदृढ़ करना:
    - सभी वित्त आयोगों ने नगर निगम के वित्त में सुधार के लिये संपत्ति कर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता की अनुशंसा की है। विशेष रूप से—
    - 12वें वित्त आयोग ने संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित किया।
    - 13वें वित्त आयोग ने राज्यों की निष्पादन अनुदान पात्रता (Performance Grant Eligibility) के लिये आवश्यक शर्तों में से एक के रूप में राज्य संपत्ति कर बोर्ड (State Property Tax Board) की स्थापना को अनिवार्य बनाया।
    - राज्य संपत्ति कर बोर्ड का उद्देश्य एक पारदर्शी और कुशल संपत्ति कर व्यवस्था स्थापित करने में नगर निगमों और नगर परिषदों की मदद करना है।
    - 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि नगर निकायों को खाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम किया जाए।
- बेहतर वित्तीय डेटाबेस:
  - स्थानीय स्तर पर खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के अभाव में नगर निकायों के लिये कोई सत्यापन-योग्य वित्तीय डेटा नहीं होता जिसके कारण निष्पादन अनुदान से इनकार कर दिया जाता है।
    - 13वें और 14वें दोनों ही वित्त आयोगों ने बेहतर डेटा उपलब्धता को निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति के लिये आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया।
- सक्रिय नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना:
  - शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है।
    - इसे सुनिश्चित करने के लिये, शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों जैसे कार्यात्मक, विकेंद्रीकृत मंच का गठन कर सकते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच चर्चा और विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान करेगा।
- नागरिक शिकायत निवारण तंत्र का सृजन:
  - शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों को दर्ज करने के लिये एक प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच स्थापित कर सकते हैं जो शहर की सरकारों को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाएगा।
    - इस तंत्र के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक देने और शिकायतें क्लोज़ करने की भी अनुमति दी जानी चाहिये।
    - शहरी शासन की इन संरचनात्मक और स्थापत्य संबंधी समस्याओं को संबोधित करने से शहरों में प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित होगा, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

## द्रविड़ नाडु की मांग

'द्रविड़ नाडु' को एक राजनीतिक विचार के रूप में मूल रूप से पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की योजना की प्रतिक्रिया में वर्ष 1938 में 'तमिलों के लिये तमिलनाडु' का नारा दिया था।

आरंभ में द्रविड़ नाडु की मांग तमिलभाषी क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसे उन राज्यों (वर्तमान समय के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक) तक विस्तृत किया गया जहाँ बहुसंख्यक आबादी द्रविड़ भाषाएँ (तेलुगु, मलयालम, कन्नड़) बोलती थी। प्रस्तावित संप्रभु राज्य के लिये 'साउथ इंडिया', 'डेक्कन फेडरेशन' और 'दक्षिणापथ' जैसे अन्य नाम भी प्रयोग किये जाते हैं।

विभिन्न समयावधियों में द्रविड़ नाडु की मांग की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। कभी इसका अभिप्राय केंद्र द्वारा राज्यों को शक्तियों का अधिकाधिक हस्तांतरण रहा है तो कई अन्य अवसरों पर इसका आशय पूर्ण संप्रभुता और पूर्ण अलगाव (यानी अलग देश) रहा है।

## द्रविड़ नाडु की पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता से पहले:
  - द्रविड़ नाडु की अवधारणा का मूल तमिलनाडु में चले ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन में था जहाँ सामाजिक समता और वृहत शक्ति एवं नियंत्रण की आरंभिक मांगें की गई थीं।

नोट :

- समय के साथ इसमें एक अलगाववादी आंदोलन भी शामिल हो गया, जिसमें तमिल लोगों के लिये एक अलग संप्रभु राज्य की मांग की गई।

- वर्ष 1921 में जस्टिस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी।
  - उस समय मद्रास सरकार में ब्राह्मणों की उपस्थिति राज्य में उनकी आबादी की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक थी।
- वर्ष 1925 में पेरियार ने आत्म-सम्मान आंदोलन (Self-Respect Movement) शुरू किया।
  - उन्होंने तमिल राष्ट्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर बल दिया।
- वर्ष 1938 में जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन एक साथ आ गए जो पार्टी और आंदोलन के विलय का प्रतिनिधित्व करते थे।
  - वर्ष 1944 में इसके नए संगठन का नाम 'द्रविड़र कड़गम' (Dravidar Kazhagam) रखा गया।

- स्वतंत्रता के बाद:
  - वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), जिसने भाषाई राज्यों का निर्माण किया, ने इस मांग को दुर्बल कर दिया।
  - 1980 के दशक में 'तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी' नामक एक छोटे आतंकवादी संगठन ने द्रविड़ नाडु की मांग को पुनर्जीवित किया जब भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका भेजा गया था।

## पृथक राज्य की मांग के कारण

- भाषाई कारक: हिंदी को देश की साझा भाषा बनाने का विचार पेरियार को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने इसे तमिलों को उत्तर भारतीयों के अधीनस्थ बनाने के प्रयास के रूप में देखा और इस भावना ने अलग द्रविड़ नाडु पर ज़ोर दिया।
  - वे शिक्षा में हिंदी के प्रवेश का विरोध करते रहे।
  - राजनीतिक कारक: राज्य की स्वायत्तता तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के शीर्ष राजनीतिक एजेंडे में से एक रही है, जहाँ उनके चुनाव घोषणापत्र 'संघवाद' के संदर्भ से शुरू होते हैं।
  - पार्टियों ने तमिल फिल्म निर्माण के माध्यम से अपने विचारों के प्रचार का एक अनूठा माध्यम इस्तेमाल किया।
- आर्थिक कारक: आर्थिक दृष्टिकोण से, उनका तर्क यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की तुलना में उन्हें अपर्याप्त लाभ प्राप्त होता है।
  - यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.8% का योगदान करती है।
- जनसांख्यिकीय कारक: उत्तरी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है।
  - जनसंख्या एक कारक है जिसके आधार पर वित्त आयोग के हस्तांतरण और लोकसभा सीटों का राज्य-वार वितरण निर्धारित होता है। इस पर नियंत्रण के लिये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिये लोकसभा सीटों को स्थिर रखा गया है।
  - इस संदर्भ में, जनसांख्यिकीय विचलन ने उप-राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को प्रेरित किया है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को भारत की संसद में पर्याप्त सीट हिस्सेदारी को लेकर एक आशंका थी जिसने अलगाववादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया।

## पृथक मांग के साथ संबद्ध चुनौतियाँ

- समस्याओं का 'पैंडोराबॉक्स': एक राज्य की स्वायत्तता अन्य राज्यों के लिये समस्याओं का पैंडोराबॉक्स खोल देगी जो प्रभावी शासन और राष्ट्रवाद की भावना को प्रभावित करेगी।
- संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध: भारत परिसंघ या फ़ेडरेशन के बजाय 'अविनाशी राज्यों का संघ' (Indestructible Union of Destructible States) है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार राज्य की स्वायत्तता की मांग संविधान के विरुद्ध है।

नोट :

### आगे की राह

- प्रभावकारी अखिल भारतीय सेवा: एक केंद्रीकृत स्थायी इकाई होने के रूप में अखिल भारतीय सेवाएँ कल्याणकारी नीतियों, विकास योजनाओं की अभिकल्पना एवं प्रवर्तन के लिये और ज़मीनी स्तर पर सरकारी मशीनरी के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये भारत की बुनियादी प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण करती हैं।
  - प्रभावकारी अखिल भारतीय सेवा न केवल पूरे देश में प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अखंडता का संदेश भी फैलाएगी।
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: इस आधार पर कि मज़बूत राज्य एक मज़बूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देने से सभी शासी निकायों को आगे आने और साझा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक समस्याओं को हल करने में सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
  - केंद्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि राज्यों का आर्थिक उदारीकरण और विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो अलगाववादी प्रवृत्तियाँ स्वत: नियंत्रित हो जाएँगी।
- समग्र संस्कृति को बढ़ावा देना: त्रिभाषा सूत्र को समावेशी तरीके से लागू किया जा सकता है, जबकि भारत की सभी भाषाओं को एकसमान मान्यता दी जा सकती है।
  - एकता की भावना को विकसित करने के लिये भारत के सभी भागों में अतुल्य भारत कार्यक्रम (Incredible India Programme) को सच्ची भावना से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- अंतर-राज्य परिषद को सशक्त बनाना: क्षेत्रीय समस्याओं के संज्ञान और अंतर-राज्य परिषद में उनके समाधान को सच्ची भावना से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
  - नदी के जल के बँटवारे को लेकर सबसे गंभीर झड़पें हुई हैं, जहाँ हर राज्य का लक्ष्य अपने हिस्से को अधिकतम करना है। इस तरह के मुद्दों को सहकारी तरीके से संबोधित किया जा सकता है।

## दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन और सशक्तीकरण

### संदर्भ

नि:शक्तता दिव्यांगजन और उन अभिवृत्तिक एवं परिवेशीय अवरोधों के बीच की अंत:क्रिया से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर दिव्यांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% थी, जिसमें से 7.62% दिव्यांगजन 0-6 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और फिर 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टि भी की। एक नए दिव्यांगता कानून (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के अधिनियमन ने दिव्यांगता की संख्या को 7 स्थितियों से बढ़ाकर 21 कर दिया।
- नि:शक्तताओं पर ध्यान व्यक्ति से हटकर समाज की ओर स्थानांतरित हो गया है, अर्थात यह नि:शक्तता के चिकित्सा मॉडल से नि:शक्तता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल में स्थानांतरित हो गया है।

### नि:शक्तता के विभिन्न मॉडल कौन-से हैं?

- चिकित्सा मॉडल (Medical Model):
  - चिकित्सा मॉडल में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक नि:शक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दिव्यांग माना जाता है।
    - इसके अनुसार नि:शक्तता व्यक्ति में निहित होती है क्योंकि इसे निरुग्नता, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से परिवेश के साथ समायोजन के बोझ सहित गतिविधि के प्रतिबंधों के समान देखा जाता है।

नोट :

- सामाजिक मॉडल (Social Model):
  - सामाजिक मॉडल उस समाज पर ध्यान केंद्रित करता है जो दिव्यांगजनों के व्यवहार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।
    - इसके अंतर्गत नि:शक्तता व्यक्तियों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों और समाज के बीच होने वाली अंत:क्रिया में होती है।

## भारत में दिव्यांगजनों के लिये संवैधानिक ढाँचा

- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है।

## भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- भेदभाव:
  - दिव्यांगजनों से संबद्ध 'कलंक' के आधार पर निरंतर भेदभाव के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में समझ की कमी उनके लिये अपने मूल्यवान शक्तता या कार्यकरण (Functioning) की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन बना देती है।
    - दिव्यांग महिलाएँ और बालिकाएँ यौन और लिंग-आधारित हिंसा के अन्य रूपों का अनुभव करने का अधिक जोखिम रखती हैं।
- स्वास्थ्य:
  - कई प्रकार की नि:शक्तता निवारण-योग्य होती है। इनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याएँ, गर्भवती स्त्री से संबद्ध समस्याएँ, कुपोषण के साथ ही दुर्घटनाओं और आघातों से उत्पन्न होने वाली नि:शक्तताएँ शामिल हैं।
    - लेकिन जागरूकता की, देखभाल की और अच्छी एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक कमी की स्थिति है।
- शिक्षा और रोज़गार:
  - दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालयों, विद्यालयों तक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षकों और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता की कमी है।
  - भले ही कई दिव्यांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं, दिव्यांग वयस्कों की रोज़गार दर सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम है।
- राजनीतिक भागीदारी:
  - देश में राजनीतिक क्षेत्र से दिव्यांगजनों का बहिर्वेशन राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और विभिन्न तरीकों से घटित होता है, जैसे:
    - निर्वाचन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सही संख्या पर उपलब्ध समग्र डेटा का अभाव।
    - मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता (जैसे ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता)।
    - दलगत राजनीति में भागीदारी के मार्ग में बाधाएँ।
  - भारत में राजनीतिक दल दिव्यांगजनों को किसी बड़े या मज़बूत मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से संबोधित करें।
- प्रवर्तन की शिथिलता:
  - दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने कुछ सराहनीय पहलें की है।
    - लेकिन भारत सरकार द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को अपने भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश के बावजूद भारत में अधिकांश भवन दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
    - इसी प्रकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण का एक कोटा प्रदान किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।

## आगे की राह

- निवारक कार्रवाई:
  - निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और आरंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिये।

नोट :

- केरल ने पहले ही एक आरंभिक निवारक कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
  - व्यापक नवजात स्क्रीनिंग (Comprehensive Newborn Screening- CNS) कार्यक्रम शिशुओं में कमियों की आरंभ में ही पहचान कर लेने और इस प्रकार राज्य पर नि:शक्तता का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है।

- समुदाय-आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation- CBR) दृष्टिकोण:
  - यह सुनिश्चित करने के लिये CBR दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि दिव्यांगजन अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें, नियमित सेवाओं एवं अवसरों तक उनकी पहुँच हो और अपने समुदायों के भीतर वे पूर्णत: एकीकृत हो सकें।

- नि:शक्तता के संबंध में समझ और जन जागरूकता बढ़ाना:
  - सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यावसायिक संघों को ऐसे सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये जो दिव्यांगजनों से संबंधित कलंकित मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।
  - इस संदर्भ में मुख्यधारा मीडिया ने सही कदम आगे बढ़ाया है जहाँ 'तारे ज़मीन पर' और 'बर्फ़ी' जैसी फिल्मों में दिव्यांगजनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया गया है।
    - 'स्पेशल नीड' लेबल वाले विशेष विद्यालय कलंक या नकारात्मक संकेतार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों के पास केवल विशेष आवश्यकता वाले साथियों से ही संवाद करने और सीखने का अवसर होगा।
    - वे प्रभावों की एक विस्तृत शृंखला के संपर्क में नहीं आ सकेंगे।
    - दिव्यांगजनों के बीच समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये विशेष विद्यालयों और बाहरी दुनिया के बीच संक्रमण का एक उचित माध्यम होना चाहिये।

- राज्यों के साथ सहयोग:
  - गर्भवती माताओं की देखभाल के बारे में जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएँ नि:शक्तता उत्पन्न होने की समस्या को संबोधित कर सकने के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।
    - इन दोनों ही विषयों में कार्रवाई कर सकने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य संविधान में 'राज्य सूची' के अंतर्गत शामिल है।

## दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये हाल की कुछ प्रमुख पहलें

- भारत में:
  - विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
  - सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
  - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
  - दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
  - दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)

- विश्व स्तर पर:
  - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
  - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।
  - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (International Day of Persons with Disabilities)
  - दिव्यांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (UN Principles for People with Disabilities)

नोट :

# भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण

## संदर्भ

- 4 बिलियन आबादी के साथ भारत में विश्व की आबादी के लगभग 17.5 प्रतिशत का वास है। पृथ्वी पर प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति भारत में रहता है।
- संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या परिप्रेक्ष्य (World Population Prospects- WPP), 2022 में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत वर्तमान में युवा आबादी के एक बड़े प्रतिशत के साथ जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुज़र रहा है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट जारी की है, जिससे पता चलता है कि देश में युवाओं की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो रही है जबकि वर्ष 2021-2036 की अवधि में कुल जनसंख्या में वृद्धों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
- कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात वर्ष 1991 में 6.8% से बढ़कर वर्ष 2016 में 9.2% हो गया और वर्ष 2036 में इसके 14.9% तक पहुँचने का अनुमान है। इसके विपरीत, 15-29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या वर्ष 2021 में 27.2% थी जो वर्ष 2036 तक घटकर 22.7 रह जाएगी।
- कार्य भागीदारी और निर्भरता अनुपात पर युवा आबादी के प्रभाव को देखते हुए इनकी बड़ी संख्या को देश की वृद्धि और विकास के संदर्भ में 'अवसर की खिड़की' माना जाता है। यह ऐसा अवसर है जिसका इस खिड़की के बंद होने से पहले लाभ उठा लेना आवश्यक और विवेकपूर्ण होगा।

### भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

- परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ उस आर्थिक विकास संभावना या क्षमता से है जो जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप साकार हो सकता है।
    - मुख्य रूप से जब कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) की आबादी की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी गैर-कार्यशील आयु (14 वर्ष एवं उससे कम और 65 वर्ष एवं उससे अधिक) की हिस्सेदारी से अधिक हो।
- मध्यम/औसत आयु:
  - चीन एवं अमेरिका में 38, पश्चिमी यूरोप में 43 और जापान में 48 की तुलना में भारत की औसत आयु 28 वर्ष है।
- भारतीय राज्यों में विविधता:
  - जबकि भारत एक युवा देश है, इसके विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की आयु वृद्धि की स्थिति और गति भिन्न-भिन्न है।
    - दक्षिणी राज्य, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत स्थिति रखते हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है।
    - जबकि केरल की जनसंख्या पहले से ही वृद्ध होती जा रही है, बिहार में कामकाजी आयु वर्ग के वर्ष 2051 तक बढ़ते रहने का अनुमान है।
  - आयु संरचना में अंतर राज्यों के आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में अंतर को दर्शाता है।

### भारत जनसांख्यिकीय लाभांश से कैसे लाभ उठा सकता है?

- वित्तीय अवसर में वृद्धि: वित्तीय संसाधनों को बच्चों पर व्यय के बजाय आधुनिक भौतिक और मानव अवसंरचना में निवेश की ओर मोड़ा जा सकता है जिससे भारत की आर्थिक संवहनीयता में वृद्धि होगी।
- कार्यबल में वृद्धि: 65% से अधिक कामकाजी आयु आबादी के साथ भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है जो आने वाले दशकों में एशिया के आधे से अधिक संभावित कार्यबल की आपूर्ति कर सकता है।
  - श्रम बल में वृद्धि अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाती है।
  - महिला कार्यबल में वृद्धि, जो स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर में गिरावट लाती है, और जो विकास का एक नया स्रोत हो सकता है।

नोट :

## भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश से संबद्ध चुनौतियाँ

- अधूरी शैक्षिक आवश्यकताएँ: जबकि भारत के 95% से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि सरकारी स्कूलों में बदतर अवसंरचना, कुपोषण और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण गुणवत्ताहीन लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए हैं।
  - शिक्षा में लैंगिक असमानता चिंता का विषय है जहाँ भारत में बालिकाओं की तुलना में बालकों के माध्यमिक और तृतीयक स्तर के विद्यालयों में नामांकित होने की अधिक संभावना रहती है।
    - फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में इसके विपरीत स्थिति है, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में लैंगिक अंतर पर्याप्त कम है।
- न्यून मानव विकास मानक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास सूचकांक, 2020 में भारत 131वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है।
  - इस प्रकार, भारतीय कार्यबल को सक्षम और कुशल बनाने के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों में पर्याप्त सुधार लाने की आवश्यकता है।
- रोज़गार-विहीन विकास: इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि गैर-औद्योगीकरण, वि-वैश्वीकरण और औद्योगिक क्रांति 4.0 के कारण भविष्य की वृद्धि रोज़गार-विहीन वृद्धि का परिदृश्य उत्पन्न करेगी।
  - NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, 15-59 आयु वर्ग के लिये भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 53% है, यानी कामकाजी आयु आबादी का लगभग आधा बेरोज़गार है।
    - अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के लाभों को प्राप्त करने में एक और बाधा है।
- उपयुक्त नीतियों का अभाव:
  - उपयुक्त नीतियों के बिना कामकाजी आबादी में वृद्धि से बेरोज़गारी की वृद्धि हो सकती है, आर्थिक और सामाजिक जोखिम बढ़ सकते हैं।
- वृद्ध आबादी में वृद्धि: वर्तमान में युवाओं के अधिक अनुपात के परिणामस्वरूप भविष्य में जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात अधिक होगा।
  - इससे वृद्ध जनों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के विकास की मांग पैदा होगी।
    - सामान्यत: अनौपचारिक रोज़गार से संलग्न लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, इससे संबंधित राज्य पर बोझ बढ़ेगा।

## आगे की राह

- शिक्षा मानकों का उन्नयन: ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा उच्च विद्यालय की शिक्षा पूरी करे और उसे बाज़ार की मांग के अनुरूप उपयुक्त कौशल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए।
  - विद्यालय पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) के साथ वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने के लिये नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और खुले डिजिटल विश्वविद्यालयों में निवेश से उच्च शिक्षित कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अधिक वित्त के साथ ही उपलब्ध धन से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है; इसके अतिरिक्त, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर सुलभ बनाने की आवश्यकता है।
- कार्यबल में लैंगिक अंतर को दूर करना: महिलाओं और बालिकाओं के लिये नए कौशल और अवसरों की तत्काल आवश्यकता है जो 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के अनुकूल हो। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
  - अलग-अलग आँकड़ों और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये कानूनी रूप से अनिवार्य 'जेंडर बजटिंग'
  - बाल-देखभाल लाभ को बढ़ाना
  - अंशकालिक कार्य के लिये कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देना
- विविध राज्यों के लिये संघीय दृष्टिकोण: जनसांख्यिकीय लाभांश के लिये शासन सुधारों हेतु एक नया संघीय दृष्टिकोण अपनाना होगा जो प्रवास, आयु वृद्धि, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण जैसे जनसंख्या संबंधी विषयों पर राज्यों के बीच नीति समन्वयन स्थापित करे।

नोट :

- रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी और मार्ग सुधार के लिये अंतर-मंत्रालयी समन्वय इस शासन व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिये।
- स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय महत्त्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिये परस्पर सहयोग कर सकते हैं ताकि किशोरों को अपने स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता की रक्षा करने में मदद मिले।

- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: किशोरों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए बेहतर अंतर- क्षेत्रीय सहयोग के लिये तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।
  - उदाहरण के लिये, विद्यालय मध्याह्न भोजन इस बात का उदाहरण है कि कैसे बेहतर पोषण लर्निंग क्षमता को बढ़ाता है।
  - विभिन्न अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि किशोरों में पोषण और उनके संज्ञानात्मक स्कोर के बीच मज़बूत संबंध थे।

## भारत में स्टार्टअप पारितंत्र की स्थिति

### संदर्भ

स्टार्टअप घातीय वृद्धि के इंजन कहे जाते हैं, जो नवाचार की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। आज की कई बड़ी कंपनियाँ अतीत में स्टार्टअप के रूप में ही शुरू हुई थीं जो वर्तमान में नवाचार की चमकदार मिसालें बन गई हैं।

भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के तीसरे सबसे बड़े आधार वाला देश है। एक बढ़ती उद्यमशील संस्कृति और सहायक पारितंत्र के साथ भारत के स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों से न केवल आर्थिक और व्यावसायिक रूपांतरण को आगे ले जाने की उम्मीद की जाती है, बल्कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के स्वप्न को साकार करने में एक प्रमुख विकास चालक के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति और भूमिका को भी सबल किया है।

### भारत में स्टार्टअप विकास परिदृश्य

- भारत स्टार्टअप्स के लिये 'हॉटस्पॉट' के रूप में उभरा है। केवल वर्ष 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप ने 23 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं, 1,000 से अधिक सौदों में उनकी संलग्नता है और 33 भारतीय स्टार्टअप प्रतिष्ठित 'यूनिकॉर्न क्लब' में प्रवेश कर चुके हैं।
- वर्ष 2022 में अब तक 13 और स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं।
- 'बैन एंड कंपनी' द्वारा प्रकाशित 'इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021' के अनुसार, संचयी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2012 से 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है और 1,12,000 की संख्या को पार कर गई है।

### भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र के तेज़ उभार के कारण

- स्टार्टअप्स के महत्त्व को मान्यता: भारत ने अपने वृहत छात्र समुदाय में अकादमिक संस्थानों के माध्यम से नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिये नवाचार और ऊष्मायन केंद्र (Innovation and Incubation Centres) विकसित करने की आवश्यकता को चिह्नित किया है।
  - इन्क्यूबेटरों की बढ़ती संख्या और अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने की दिशा में युवा कार्यकारियों का सतत झुकाव भी भारत में उद्यमिता और आरंभिक चरण के स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा दे रहा है।
  - अटल नवाचार मिशन (AIM) के माध्यम से अटल ऊष्मायन केंद्रों (Atal Incubation Centres-AICs) जैसे नए इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना ने भी नवोन्मेषी स्टार्ट-अप व्यवसायों को मापनीय और संवहनीय उद्यम के रूप में उभरने के उनके प्रयासों को संपोषित किया है।
- क्षमता की उपलब्धता: वर्ष 2021 में टेक स्टार्टअप पर एक अध्ययन से पता चला है कि 'एडटेक' संस्थापकों की एक बड़ी संख्या आईआईटी और प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवा स्नातकों या वैश्विक परामर्श फर्मों के लिये कार्य कर चुके युवाओं की है।
  - जोखिम लेने को तैयार महत्त्वाकांक्षी युवाओं के साथ ही भारतीय उद्यमियों में जुनून, विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का सही मिश्रण एक तेज़ी से उभरते बाज़ार के अवसरों का लाभ उठा सकने में भारत के आरंभिक चरण के स्टार्टअप पारितंत्र को एक लाभप्रद स्थिति प्रदान करता है।

नोट :

- स्टार्टअप विशिष्ट पहल: भारत सरकार प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन और प्रासंगिक आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
  - वर्ष 2016 में शुरू की गई 'स्टार्टअप इंडिया पहल' के तहत सरकार ने आरंभिक चरण के संभावित स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु जटिल कानूनी, वित्तीय और ज्ञान आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रयास किया है।
- स्टार्टअप-कॉर्पोरेट सहयोग: सुस्थापित कॉर्पोरेट (जिनके पास नवाचार क्षमता एवं दक्षता की कमी हो) और दक्ष आरंभिक चरण के स्टार्टअप (जिनके पास विकास के लिये नकदी की कमी के साथ ही बाज़ार पहुँच के लिये नेटवर्क की कमी हो) ऐसे सहयोग और गुणित धन सृजन के लिये एक अद्वितीय और मापनीय मंच प्रदान करते हैं।
  - विभिन्न कॉर्पोरेट-स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रम भारत में आरंभिक स्टार्टअप के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं और नवाचार को गति दे रहे हैं।
    - माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 4,000 से अधिक स्टार्टअप्स को गति प्रदान की है, जबकि टाटा मोटर्स आधा दर्जन स्टार्टअप्स के साथ संलग्न है और 20 अन्य स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी पर विचार कर रहा है।

## डेटा स्थानीयकरण—यह भारत में स्टार्टअप के विकास को कैसे प्रभावित करेगा?

- वैश्विक कवरेज के लिये एक बाधा: कई स्टार्टअप भारतीय ग्राहकों के अलावा विदेशी ग्राहक भी रखते हैं और डेटा स्थानीयकरण (Data Localization) का अधिदेश उनके लिये अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ व्यापार करना कठिन बना सकता है।
- 'थर्ड पार्टी सर्वर' का मुद्दा: कई भारतीय स्टार्टअप उन कंपनियों की थर्ड-पार्टी सेवाओं का उपयोग करते हैं, संभव है जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं हो। इस प्रकार, डेटा स्थानीयकरण का अधिदेश सीमा-पार व्यापार के लिये बाधाकारी है।
- इन सेवाओं को प्राय: ग्राहकों के मूल डेटाबेस तक पहुँचने की आवश्यकता होती है। केवल स्थानीय स्टार्टअप कंपनियों ने ही नहीं, गूगल और मेटा जैसे बिग टेक ने भी प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण प्रावधानों पर आशंका व्यक्त की है।
- विदेशी अधिवास: वर्तमान में भारत के लगभग 30 यूनिकॉर्न देश के बाहर अधिवासित हैं। जीर्ण पड़ चुके विदेशी मुद्रा नियमों, प्रासंगिक संघीय नियमों के अप्रवर्तन, मनमाने कर और स्थानीय पूंजी प्रोत्साहन की कमी के कारण वे बाहर जाने को बाध्य हुए हैं।
  - 'डीपटेक' (DeepTech) और हेल्थकेयर स्टार्ट-अप को अभी भी देश में विकसित होने के लिये पर्याप्त आरंभिक पूंजी नहीं मिल सकी है और वे बाहर ही कार्यरत बने रहने के लिये विवश हैं।
- डेटा सेवा निर्यात पर प्रभाव: डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत के अग्रणी देश होने के पीछे के प्रमुख कारकों में सीमाओं के पार डेटा का निर्बाध प्रवाह और अनुकूल नीतियाँ शामिल हैं।
  - डेटा स्थानीयकरण कंपनियों के लिये—विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये एक नियामक अनुपालन लागत जोड़ सकता है।
  - यह वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में घरेलू स्टार्टअप की भागीदारी में भी बाधा डालेगा, जिससे देश में विदेशी निवेश और नवाचार प्रभावित होगा।

## डेटा स्थानीयकरण से क्या अभिप्राय है?

- डेटा स्थानीयकरण का अभिप्राय है देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महत्त्वपूर्ण और गैर-महत्त्वपूर्ण डेटा (Critical data/non-critical data) का संग्रहण।
- स्थानीयकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है हमारे स्वयं के डेटा पर हमारा नियंत्रण है जो देश को गोपनीयता, सूचना लीक होने, पहचान की चोरी, सुरक्षा आदि समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है।
  - इसने विभिन्न देशों को अपने स्वयं के स्टार्टअप विकसित करने, स्थानीय रूप से विकसित होने और अपनी भाषा में पनपने में भी मदद की है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा के संरक्षण पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
  - मसौदा विधेयक के तहत उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा से संलग्न संस्थाओं को भारत के भीतर ऐसे डेटा की एक प्रति संग्रहीत करने का आदेश दिया गया है और अपरिभाषित 'क्रिटिकल' व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है।

नोट :

- व्यक्तिगत डेटा में ऐसी सूचना (ऑनलाइन या ऑफलाइन) शामिल है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिये किया जा सकता है और इस प्रकार उस व्यक्ति की 'प्रोफाइलिंग' का अवसर देता है।

किन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है?

- उपयुक्त वित्तपोषण का अभाव: भारतीय स्टार्टअप्स एक भारी वित्तपोषण मंदी का सामना कर रहे हैं।
  - 'PwC India' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव, टेक स्टॉक वैल्यूएशन में कमी और मुद्रास्फीति के कारण अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय स्टार्टअप्स में वित्तपोषण में 40% की गिरावट आई।
- शिक्षा और कौशल उन्नयन: मौजूदा क्षमताओं से परे संक्रमण और जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिये भारतीय कार्यबल की शिक्षा, पुन:कौशल और कौशल उन्नयन महत्त्वपूर्ण है।
  - यह समझने की आवश्यकता है कि घरेलू नीतिगत परिवेश के अलावा वैश्विक माहौल एवं तकनीकी उन्नति में भी बदलाव आ रहा है और इसलिये यह आवश्यक है कि भारत इस क्रांति के लिये तैयार हो।

### स्टार्टअप पारितंत्र को सबल करने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- डेटा संरक्षण: भारत नियामक प्रभाव मूल्यांकन सहित एक 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' दृष्टिकोण अपना सकता है।
  - स्थानीय निजी कंपनियों को भारत में डेटा सुरक्षा केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - निजता और नवाचार के बीच सतर्क संतुलन बनाने की ज़रूरत है।
- निवेशकों से समर्थन: स्टार्टअप पारितंत्र के त्वरित विकास के लिये पर्याप्त वित्त की आवश्यकता है और इसलिये उद्यम पूंजी निवेशकों एवं एंजेल निवेशकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
  - उद्यम पूंजी निवेशकों के पास पोर्टफोलियो स्तर पर पर्याप्त जोखिम प्रबंधन ढाँचे की आवश्यकता है, क्योंकि यह सभी सफल उद्यम पूंजी संचालन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र का सहयोग: उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले नीति-स्तरीय निर्णयों के अलावा भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी यह ज़िम्मेदारी है कि वे उद्यमशीलता को संपोषण दें और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी समाधान तथा संवहनीय एवं संसाधन-कुशल विकास के निर्माण के लिये तालमेल का सृजन करें।
- भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी: भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत की अप्रयुक्त क्षमता का 'उद्योग 4.0' (Industry 4.0) के लिये और उससे आगे भी उपयोग किया जा सकेगा।
- बदलती विश्व व्यवस्था के बीच अवसरों के लाभ उठाना: चीन में पूंजी अविश्वास पैदा करने वाली हालिया घटनाओं के साथ विश्व का ध्यान भारत में उपलब्ध आकर्षक तकनीकी अवसरों और सृजित किये जा सकने वाले मूल्य की ओर बढ़ रहा है।
  - इसके लिये भारत को डिजिटल इंडिया पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। भारत को स्टार्टअप में वैश्विक और घरेलू निवेश दोनों के लिये मज़बूत विनियमों की भी आवश्यकता है।
  - पता लगाने की क्षमता (Traceability) और निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिये निवेशक-केवाईसी का एक रिपॉजिटरी सृजित करना भी महत्त्वपूर्ण है।

## राजनीति और शासन में सोशल मीडिया की भूमिका

### संदर्भ

पाषाण युग से धातु युग की ओर आगे बढ़ा मानव इतिहास अब डिजिटल युग में है जहाँ सोशल मीडिया इसका सबसे आशाजनक उपस्कर है। यह वास्तविक दुनिया का दर्पण है।

- जनमत (Public Opinion) को 'लोकतंत्र की मुद्रा' कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिनानुदिन सार्वजनिक चर्चा और जनमत निर्माण के प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं। यह ऐसा माध्यम है जहाँ लोग दैनिक जीवन के विषयों से लेकर राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों तक बहस और संवाद करने में सक्षम हुए हैं।

नोट :

- सोशल मीडिया अब मित्रों और परिवार से जुड़ने के अबोध माध्यम भर नहीं रह गए हैं। इसके बजाय ये राजनीतिक गतिविधि के और एक नए राजनीतिक संवाद के निर्माण के माध्यम में रूपांतरित हो गए हैं।

सोशल मीडिया भारतीय राजनीति को कैसे लाभ पहुँचाता है?

- जनता में जागरूकता का प्रसार: ऐतिहासिक रूप से लोग कभी भी सरकारी नीतियों को लेकर इतने जागरूक नहीं थे, जितने अब हैं।
  - सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सरकारी पहुँच बढ़ रही है जहाँ विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।
    - उदाहरण के लिये, कोविड महामारी के दौरान सतर्कता संबंधी जागरूकता के प्रसार में और चिकित्सा हेतु लोगों के मार्गदर्शन में सोशल मीडिया अत्यंत प्रभावी साबित हुआ।
- अंतराल को दूर करना: सोशल मीडिया लोगों और उनके प्रतिनिधियों को निकट लाने में सहायक रहा है।
  - संचार की बाधाएँ, जो लोगों को अपने नेताओं के साथ संवाद की अनुमति नहीं देती थीं, सोशल मीडिया के कारण पर्याप्त कम हो गई हैं।
  - सोशल मीडिया पर राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों तक पहुँच रहे हैं।
    - वे सोशल मीडिया पर अपनी संलग्नताओं और पोस्टों के माध्यम से जनता को एक लूप या पाश में बनाए रखना सुनिश्चित कर रहे हैं।
    - इसने आम नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि की है।
  - इसके अलावा, भारत और उसके मित्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने के लिये सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है।
- बाधाओं को कम करना: सोशल मीडिया मंच जनता-राजनेता संवाद का सस्ता और निम्न-बाधाकारी माध्यम प्रदान करते हैं जहाँ कई व्यक्तियों को राजनीतिक दौड़ में प्रवेश करने की अनुमति देकर राजनीतिक लोकतंत्र को संभावित रूप से गहन किया जा रहा है।
- बेहतर विश्लेषणात्मक प्रणाली: जनमत संग्रह के पारंपरिक तरीकों की तुलना में सोशल मीडिया कम मानवीय प्रयास के साथ समय और लागत प्रभावी डेटा संग्रह और विश्लेषण का अवसर देता है।
  - 'डेटा एनालिटिक्स' प्रत्येक चुनाव अभियान का मूल रणनीति बनने के लिये स्वयं को विकसित कर चुका है। यह चुनाव अभियान समिति को मतदाताओं को बेहतर ढंग से समझने और अपनी नीतियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में मदद करता है।

## सोशल मीडिया के राजनीतिकरण के नकारात्मक प्रभाव

- राजनीतिक ध्रुवीकरण: सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह 'इको चैंबर' (Echo Chambers) का निर्माण करता है जहाँ लोग केवल उन दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत हैं।
  - राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा करते हैं।
  - सोशल मीडिया ने लोकलुभावन राजनीति (Populist Politics) की एक शैली को सक्षम किया है, जो अपने नकारात्मक पक्ष में 'हेट स्पीच' (Hate Speech) और अतिवादी संभाषण (Extreme Speech) को (विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में) डिजिटल स्पेस में पनपने की अनुमति देता है जिस पर प्राय: कोई नियंत्रण नहीं है।
- 'प्रोपेगैंडा' का प्रसार: 'गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट' के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुख्यत: पिछले दो वर्षों में चुनावी विज्ञापनों पर लगभग 800 मिलियन डॉलर (5,900 करोड़ रुपए) खर्च किये हैं।
  - सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण (Micro-targeting) प्रवंचक अभियानों को बिना अधिक परिणाम भोगे वैमनस्यपूर्ण विमर्श के प्रसार में सक्षम बना सकता है।
- असमान भागीदारी: सोशल मीडिया जनमत के संबंध में नीति-निर्माताओं की धारणा को विकृत भी करता है।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि भ्रमित रूप से ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया मंच जीवन के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सबकी आवाज़ एकसमान रूप से नहीं सुनी जाती है।

नोट :

- राजनीतिक रणनीति: राजनीतिक दल सोशल मीडिया की मदद से मतदाताओं की पसंद-नापसंद के बारे में सूचनाएँ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और फिर उन्हें भ्रमित कर अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। 'स्विंग वोटर्स' पर विशेष रूप से यह दाँव आजमाया जाता है जिनके विचारों को सूचनाओं के हेरफेर से बदला जा सकता है।
  - सोशल मीडिया लोगों की अभिव्यक्ति को प्रबल करते हैं और कई बार किसी के भी द्वारा इसका गलत इस्तेमाल अफ़वाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार के लिये किया जा सकता है।
    - सोशल मीडिया ने लोगों को बेहतर सूचना सक्षम तो बनाया है लेकिन उन्हें बहकाना भी आसान बना दिया है।

## भ्रामक सूचना बनाम दुष्प्रचार बनाम विकृत सूचना

- प्राय: झूठी ख़बर या 'फेक न्यूज़' में तीन अलग-अलग धारणाएँ शामिल होती हैं: भ्रामकसूचना (Misinformation), दुष्प्रचार (Disinformation) और विकृत सूचना (Mal-information)।
- भ्रामक सूचना झूठी ख़बर ही होती है, लेकिन कोई व्यक्ति इसे सच मानते हुए ही साझा करता है।
- दुष्प्रचार वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानने के बाद भी कि यह सच नहीं है, जानबूझकर साझा किया जाता है, यहाँ गुमराह करना ही उद्देश्य होता है।
- विकृत सूचना वह है जो वास्तविकता पर आधारित होती है लेकिन किसी व्यक्ति, संगठन या देश को हानि पहुँचाने की नीयत से प्रसारित की जाती है।

## आगे की राह

- पारदर्शिता को सुगम बनाने हेतु कानून: वृहत स्तर पर दुष्प्रचार से निपटने के लिये एक सार्थक ढाँचा इस समझ के साथ बनाया जाना चाहिये कि यह एक राजनीतिक समस्या है।
  - अभिव्यक्ति व्यवस्था (Governance of Speech) को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिये और सोशल मीडिया के शस्त्रीकरण को नियंत्रित करने के लिये पारदर्शिता और विनियमन लाने की आवश्यकता है।
  - कानून में उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिये सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये क्योंकि ये सोशल मीडिया मंच नागरिकों की निजी सूचनाओं का भंडार रखते हैं।
- मंचों में संरचनात्मक सुधार: 'मध्यस्थों' के रूप में मंचों को प्रदत्त पूर्ण प्रतिरक्षा का अब कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये मंच उपयोगकर्ता कंटेंट के साथ कहीं अधिक हस्तक्षेपवादी हैं।
  - इसलिये, मंच की जवाबदेही को उनके वितरण मॉडल से संबद्ध किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ताओं के लिये एक सूचित विकल्प उपलब्ध कराना चाहिये कि वे किस फ़ीड को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या किस फ़ीड से ऑप्ट-आउट करना चाहते हैं।
  - व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नियंत्रण: चुनावी अभियानों के संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नियंत्रण रखा जाना चाहिये।
- सबके लिये समान अवसर: लोकतंत्र, अपनी वास्तविक भावना में, सभी दलों के लिये एकसमान अवसर की मांग रखता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सभी दलों को प्रतिस्पर्द्धा का समान अवसर प्रदान करते हैं।
  - राजनीतिक उद्देश्यों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर कठोर मानदंडों की स्थापना करना समय की आवश्यकता है ताकि अल्पमत राजनीतिक अभियानों पर समान ध्यान दिया जा सके।
  - भारत का निर्वाचन आयोग और इसकी आदर्श आचार संहिता यह सुनिश्चित करने का वृहत प्रयास प्रयास करती है कि एक दल को केवल इस आधार पर दूसरे दल की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त न हो, क्योंकि वह सत्ता में है।

नोट :

# भारत में ग्रीष्म लहर

## संदर्भ

ग्रीष्म लहर या हीटवेव (heatwaves) के उभार ने पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है। 'लैंसेट' (Lancet) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच अत्यधिक गर्मी के प्रति भारत की भेद्यता/अतिसंवेदनशीलता में 15% की वृद्धि हुई। भारत में अब तक दर्ज किये गए पाँच सबसे गर्म वर्षों में से सभी पिछले दशक में ही दर्ज किये गए।

- मई 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने उत्तर-पश्चिम भारत के कई भागों में भूमि की सतह का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया, जबकि कुछ इलाकों में तो यह 60 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था।
- इसके साथ ही आर्द्रता, कम बारिश और उच्च तापमान ने विकलता या बेचैनी के स्तर को बढ़ा दिया है, जिससे बिना शीतलन सुविधाओं के लोगों का जीवन और भी कठिन हो गया है। ग्रीष्म लहर का उभार अब कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं रह गई है और यह एक व्यापक प्रतिक्रिया की मांग रखती है।

### ग्रीष्म लहर क्या है?

- ग्रीष्म लहर या हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत में मई-जून माह के दौरान एक सामान्य परिघटना है और कुछ दुर्लभ मामलों में इसका विस्तार जुलाई माह तक भी देखा गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विभिन्न क्षेत्रों और उनके तापमान परास के अनुसार ग्रीष्म लहरों को वर्गीकृत करता है। IMD के अनुसार भारत में ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या वर्ष 1981-1990 में 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 से भी अधिक हो गई है।
  - ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या में यह तेज़ वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है।

### ग्रीष्म लहर घोषित करने के मानदंड

- ग्रीष्म लहर की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान (स्टेशन) का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30°C तक पहुँच जाता है।
- यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।
- इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7°C या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।
- यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को चरम ग्रीष्म लहर की स्थिति माना जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान से परे वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है तो भी यह ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित की जाती है।
- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की मुख्य रणनीति तैयार करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किये।

### भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभाव

- आर्थिक प्रभाव: ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
  - उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
  - ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मज़दूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- कृषि क्षेत्र पर प्रभाव: जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है।
  - हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की उपज में नुकसान होने की सूचना दी है। भारत भर में ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूँ के उत्पादन में 6-7% कमी होने का अनुमान किया गया है।
  - पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है।

नोट :

- कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव (heat stress) के कारण वर्ष 2100 तक भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25% (वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में) की कमी आ सकती है।

- बिजली के उपयोग पर प्रभाव: ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है।
  - वर्ष 2022 में उत्तर भारत में अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग वर्ष 2021 की तुलना में 13% अधिक थी, जबकि मई में यह 30% अधिक थी।
- मानव मृत्यु: ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है क्योंकि असह्य चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है।
  - टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे।
  - बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी।
- खाद्य असुरक्षा: ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।
  - गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी।
    - ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।
- श्रमिकों पर प्रभाव: वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है।
- कमज़ोर वर्गों पर विशेष प्रभाव: जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है।
- यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हज़ारों कमज़ोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है।

ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिये भारत को कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है?

- 'हीटवेव एक्शन प्लान': ग्रीष्म लहरों के प्रतिकूल प्रभाव से संकेत मिलता है कि 'हीटवेव ज़ोन' में ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु प्रभावी आपदा अनुकूलन रणनीतियों और अधिक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है।
  - चूँकि ग्रीष्म लहरों के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, इसलिये सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - समय की आवश्यकता है कि 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30' (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-30) का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए जिसमें राज्य प्रमुख भूमिका निभाए और अन्य हितधारकों के साथ ज़िम्मेदारी साझा करे।
- सार्वजनिक जागरूकता और पूर्व-चेतावनी प्रणाली: प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार, ग्रीष्मकाल के दौरान 'हीट-प्रूफ' आश्रय सुविधाएँ उपलब्ध कराने, सार्वजनिक पेयजल तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण से ग्रीष्म लहर से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी।
  - बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणाली की स्थापना के साथ ग्रीष्म लहरों से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है. यह प्रणाली ग्रीष्म लहर संबंधी खतरों की सूचना देने, विभिन्न निवारक उपायों की सिफारिश करने और आपदा प्रभावों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान कर सकती है।
- जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करना: समावेशी विकास और पारिस्थितिक संवहनीयता के लिये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिये ।

नोट :

- प्रकृति-आधारित समाधानों को न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अपनाया जाना चाहिये, बल्कि इसे इस तरह से अपनाया जाए जो नैतिक हो और अंतर-पीढ़ी न्याय को बढ़ावा देता हो।
- ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा के रूप में चिह्नित करना: ग्रीष्म लहर को प्रमुख आपदा के रूप में चिह्नित करना समय की आवश्यकता है। भारत को जन जागरूकता के निर्माण में, विशेष रूप से व्यक्तियों और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयं की देखभाल कर सकने के संदर्भ में, अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
- ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने से राज्य और ज़िला प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा, स्कूलों में गर्मी छुट्टी की घोषणा अथवा घरों में आवश्यक शीतलन हेतु प्रबंधों अथवा घर से बाहर रह सकने (यदि बाहर रहना अपरिहार्य ही हो) की अधिकतम समय सीमा आदि के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

- 'सस्टेनेबल कूलिंग': पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी—जो प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिये अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को संबोधित करने हेतु एक बेहद उपयोगी विकल्प हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की AR6 रिपोर्ट में प्राचीन भारतीय भवन डिज़ाइनों का हवाला दिया गया है जहाँ इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक भवनों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- 'डार्क रूफ्स' को प्रतिस्थापित करना: ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों के अत्यधिक गर्म होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे गहरे रंग की छतों, सड़कों और पार्किंग स्थलों से ढके हुए हैं जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और उन्हें देर तक बनाए रखते हैं।
  - दीर्घकालिक समाधानों में से एक यह होगा कि गहरे रंग की इन सतहों को हल्के रंग के और अधिक हल्का और परावर्तक सामग्री से प्रतिस्थापित किया जाए; यह अपेक्षाकृत शीतल वातावरण का निर्माण करेगा।
- जलवायु-प्रत्यास्थी फसलें: जोखिमों के संबंध में एक गतिशील समझ की आवश्यकता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि हमने अब तक जिन फसलों पर भरोसा किया है, क्या वे भविष्य में भी खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकने में सक्षम होंगी।
  - फसल की क्षति के विरुद्ध बीमा के प्रावधान की आवश्यकता है और मिश्रित फसल को बढ़ावा देना होगा।

## भारत में जनजातियों के अधिकार

### संदर्भ

भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन सांकेतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे इस पद को धारण करने वाली आदिवासी/जनजाति पृष्ठभूमि की पहली व्यक्ति होंगी।

- सुश्री मुर्मू का चुनाव जनजाति सशक्तीकरण की यात्रा में मील का पत्थर है। औपनिवेशिक भारत में जनजाति वर्ग के दो व्यक्तियों को पहली बार विधायी निकायों के लिये चुने जाने के 101 वर्ष बाद देश के सर्वोच्च पद पर इस वर्ग के व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है।
- हालाँकि भारतीय गणराज्य के संस्थापकगण जनजातीय लोगों की गैर-लाभपूर्ण स्थिति से पूर्णत: परिचित थे और उन्होंने संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूचियों जैसे विशेष प्रावधान किये, लेकिन उन्हें प्राप्त सुरक्षा उपायों के व्यवस्थित क्षरण, पुलिस द्वारा उनके उत्पीड़न एवं दमन और राज्य द्वारा जनजातीय स्वायत्तता के प्रति एक सामान्य असहिष्णुता के संबंध में जनजातीय कार्यकर्ताओं के बीच चिंता की वृद्धि हो रही है।

अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के चिह्नित होने के लिये कौन-सी आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहिये?

- लोकुर समिति (वर्ष 1965) के अनुसार, उनमें पाँच आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहिये:
  - आदिम लक्षणों के संकेत
  - विशिष्ट संस्कृति
  - बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच
  - भौगोलिक अलगाव
  - पिछड़ापन

नोट :

## अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा उपाय कौन से हैं?

- भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, यद्यपि 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribe) शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया था।
  - यह निर्धारित करता है कि ''राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।''
  - संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes' Advisory Council) की स्थापना का प्रावधान करती है।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:
  - अनुच्छेद 15(4): अन्य पिछड़े वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं) की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान
  - अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं) के हितों का संरक्षण
  - अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
  - अनुच्छेद 350: विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार
- राजनीतिक सुरक्षा उपाय:
  - अनुच्छेद 330: अनुसूचित जनजातियों के लिये लोकसभा में सीटों का आरक्षण
  - अनुच्छेद 337: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - अनुच्छेद 243: पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण।
- प्रशासनिक सुरक्षा उपाय:
  - अनुच्छेद 275: यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

## अनुसूचित जनजातियों के लिये हाल में सरकार द्वारा की गई पहलें:

- ट्राइफेड (TRIFED)
- जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation of Tribal Schools)
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास (Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups)
- प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools)

## भारत में जनजातियों के समक्ष विद्यमान समस्याएँ:

- प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण खोना: जैसे-जैसे भारत का औद्योगीकरण हुआ और जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज की गई, जनजातीय अधिकारों को क्षीण किया गया और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण ने जनजातीय नियंत्रण को प्रतिस्थापित कर दिया।
  - संरक्षित वनों और राष्ट्रीय वनों की अवधारणा के प्रचलन में आने के साथ, जनजातीय लोगों ने स्वयं को अपने सांस्कृतिक जड़ों से उखड़ा हुआ अनुभव किया और उनके पास आजीविका का कोई सुरक्षित साधन नहीं रहा।
- शिक्षा की कमी: जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है और वहाँ न्यूनतम शिक्षण सामग्री और यहाँ तक कि न्यूनतम स्वच्छता प्रावधान भी उपलब्ध नहीं हैं।
  - शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ न होने के कारण जनजातीय माता-पिता अपने बच्चों को लाभकारी रोज़गार में लगाना अधिक पसंद करते हैं।

नोट :

- अधिकांश जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम आधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किये गए हैं, जो आदिवासी छात्रों के लिये अपरिचित और दुर्बोध हैं।

- विस्थापन और पुनर्वास: बड़े इस्पात संयंत्रों, बिजली परियोजनाओं और बड़े बांधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमि के अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को सबसे अधिक हानि हुई है।
  - इन जनजातीय लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे शहरी जीवन शैली और मूल्यों से अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ: आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण, जनजातीय लोगों को मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसे रोगों के प्रसार संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - वे लौह तत्व की कमी एवं एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि कुपोषणजनित समस्याओं के भी शिकार हैं।
- लैंगिक मुद्दे: प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास, विशेष रूप से वनों के विनाश और तेज़ी से सिकुड़ते संसाधन आधार के कारण महिलाओं की स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है।
  - खनन, उद्योग और व्यावसायीकरण के लिये जनजातीय क्षेत्रों के खुलने से जनजाति समूह के पुरुष और महिलाएँ बाज़ार अर्थव्यवस्था के क्रूर संचालन के अधीन आ गए हैं जहाँ उपभोक्तावाद और महिलाओं के वस्तुकरण (commoditization of women) की वृद्धि हो रही है।
- अस्मिता का क्षरण: आदिवासियों की पारंपरिक संस्थाएँ और कानून आधुनिक संस्थानों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ रहे हैं जो आदिवासियों में अपनी अस्मिता (Identity) को बनाए रखने के बारे में आशंका को जन्म दे रहा है।
  - जनजातीय बोलियों और भाषाओं का विलुप्त होना चिंता का एक अन्य कारण है क्योंकि यह आदिवासी अस्मिता के क्षरण का संकेत देता है।

## भारत में जनजातियों को सशक्त बनाने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: दूरस्थ जनजातीय आबादी तक पहुँच में सुधार के लिये मोबाइल चिकित्सा शिविर एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
  - गर्भवती जनजातीय महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं तक प्रसूति देखभाल हेतु पहुँच के लिये आपातकालीन परिवहन का प्रावधान उनकी प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है।
  - जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य सुविधाओं और जनजातीय समुदायों के बीच रोगियों के मार्गदर्शन, चिकित्सकों के नुस्खे समझाने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में रोगियों की मदद करने और उन्हें निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य व्यवहारों के बारे में परामर्श देने के विषय में एक कड़ी बन सकते हैं।
- खाद्य और पोषण सुविधा में सुधार: आसान मानदंडों के साथ बड़े पैमाने पर लघु आंगनवाड़ियों (Mini-Anganwadis) का गठन और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम अनाज बैंकों (Village Grain Banks) का विस्तार कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में अब तक 'पहुँच से बाहर' के लोगों तक पहुँचने के लिये अपनाया जा सकता है।
- रोज़गार और आय सृजन: जनजातीय क्षेत्रों के लिये रोज़गार और आय सृजन के अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिये। उन्हें भुगतेय रोज़गार या स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और इस प्रकार उन्हें गरीबी और ऋणग्रस्तता की बेड़ियों से मुक्त किया जाना आवश्यक कदम होगा।
  - स्वरोज़गार उपक्रमों के लिये माइक्रो-क्रेडिट का विस्तार करने और कार्य अवसरों की अनुपलब्धता पर मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करने के भी प्रयास किये जाने चाहिये।
  - लघु वनोपजों (Minor forest produce) के संग्रहण और उनके विपणन को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- जल संसाधनों का प्रबंधन: जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल नीति का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पेयजल के प्रावधान (वाटरशेड प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जल बचत पद्धतियों पर विशेष बल देते हुए) को कवर किया जा सके।

नोट :

- प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन और जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लिये ग्रामीण और जनजातीय आबादी के बीच जन शिक्षा और जन जागरूकता का प्रसार भी आवश्यक है।

- जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण: जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:
  - संयुक्त वन प्रबंधन और पंचायती राज संस्थाओं में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा देना;
  - महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिये व्यापक अभियान के साथ-साथ जादू-टोना की संदिग्ध महिलाओं को पीड़ित करने के अभ्यास पर रोक के लिये कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय करना।
- जनजातीय आबादी का समावेशन:
  - औषधीय पौधों की खेती: जेनेरिक दवाओं के निर्यात में भारत विश्व में शीर्ष स्थान रखता है। जनजाति समूह के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे स्व-उपभोग के साथ-साथ बिक्री के लिये जंगल से औषधीय पौधों की पहचान एवं संग्रहण के साथ ही उपयुक्त पादप प्रजातियों की खेती के लिये सरकार के साथ सहयोग करें।
    - भारत सरकार ने इस व्यापार का लाभ उठाने का निर्णय लिया है और इसके लिये एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plant Board) की स्थापना की है।
  - अवसंरचना विकास: सरकार जनजातीय समूहों के साथ उनके स्थानीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये सहयोग कर सकती है।
    - मेघालय को इसके 'लिविंग रूट ब्रिज़' (Living root bridge) के लिये जाना जाता है। ये पुल पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित खासी और जयंतिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्होंने मेघालय के घने वन से प्रवाहित जलधाराओं के उभरे हुए किनारों पर इन पुलों का निर्माण करने की कला में महारत हासिल कर रखी है।
  - सामाजिक समावेशन: जनजातीय लोगों द्वारा अनुभव किया जाने वाला सामाजिक बहिर्वेशन मुख्य रूप से सामाजिक और संस्थागत स्तर पर भेदभाव के कारण होता है। इसने उनके अलगाव, शर्म और अपमान की स्थिति उत्पन्न की है और परिणामत: जनजातियों के बीच आत्म-बहिर्वेशन को अवसर दिया है।
    - जनजातीय लोगों की क्षमता और गरिमा की पहचान करने के लिये देश की गैर-आदिवासी आबादी के बीच जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है ताकि देश की एकता एवं अखंडता और बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित किया जा सके।

## भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा की भूमिका

### संदर्भ

राज्यसभा—जो संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद (Council of States) है, भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा की उत्पत्ति का मूल वर्ष 1918 की मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और इसके उपरांत आए भारत सरकार अधिनियम, 1919 (जिसने संसद के एक द्वितीय फेडरल चैंबर का उपबंध किया) में खोजा जा सकता है।

- भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर बल देते हुए राज्यसभा एक स्वस्थ द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameralism) को न केवल 'दूसरे विचार के एक सदन' (House for second thought) के रूप में सुनिश्चित करती है बल्कि 'सुधार के एक सदन' (House of correction) के रूप में राज्य के अधिकारों की संरक्षक भी है।
- देश में व्याप्त राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, राज्यसभा के कार्यों का सतर्क मूल्यांकन हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को प्रबल करने के लिये और भी आवश्यक हो जाता है।

### राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र में प्रासंगिक कैसे है?

- स्थायी निकाय: लोकसभा के विपरीत राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

नोट :

- इससे एक निरंतरता सुनिश्चित होती है और सदन में नए एवं पुराने सदस्यों के संलयन का एक अवसर भी मिलता है।
  - इस प्रकार की व्यवस्था को अतीत के साथ-साथ वर्तमान मतों/विचारों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने तथा सार्वजनिक नीति में निरंतरता बनाए रखने में मदद करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

- समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन संबंधी भूमिका: राज्यसभा कानूनों की गहन समीक्षा में मदद करती है, क्योंकि यह अधिकाधिक कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में निचले सदन या लोकसभा को पूरकता प्रदान करती है।
  - यह संशोधन एवं पुनर्विचार का प्रस्ताव कर लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में लाए गए और दोषपूर्ण एवं अनुत्तरदायी विधानों पर नियंत्रण का प्रयास करती है।
  - यह छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये एक मंच भी प्रदान करती है।
- 'चेक एंड बैलेंस' का सदन: चूँकि लोकसभा के निर्णय लोकलुभावनवादी हो सकते हैं और ये सदस्यों को सर्वोत्तम निर्णय के विपरीत जाने हेतु प्रवृत्त कर सकते हैं, राज्यसभा उस पर नियंत्रण और संतुलन रखती है।
  - ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के विपरीत राज्यसभा सदस्यों को वंशानुगत सदस्यता अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- राज्यों का प्रतिनिधित्व: अप्रत्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया भी भारतीय संसदीय प्रणाली में अपनी जगह रखती है जहाँ राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
  - यह राज्यों, लोगों और संसद के बीच एक वाहिका के रूप में कार्य करता है, जहाँ राज्यों को एक स्वतंत्र आवाज़ देकर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है।
  - संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा: राज्यसभा के 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 साल की अवधि के लिये मनोनीत किये जाते हैं।
  - राज्यसभा की यह विशेषता इसे और भी अधिक लोकतांत्रिक एवं सहभागी बनाती है क्योंकि इससे समाज में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रख्यात लोग भारतीय राजनीति के उच्चतम सोपानों तक अपनी राह नाते हैं।

## राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

- राज्य सूची के विषयों पर विधि-निर्माण: अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधि-निर्माण की अनुमति देता है, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।
- अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण: अनुच्छेद 312 संसद को संघ और राज्यों के लिये अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।
- राष्ट्रपति शासन की घोषणा: आमतौर पर ऐसी उद्घोषणाओं को संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - लेकिन उद्घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो, तब राज्यसभा अकेले ही राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर सकती है (अनुच्छेद 352, 356 और 360)।
    - वर्ष 1977 में तमिलनाडु एवं नगालैंड में राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने हेतु और वर्ष 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु विशेष रूप से राज्यसभा की बैठक आहूत की गई थी।
- उपराष्ट्रपति को पद से हटाना: उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिये राज्यसभा ही पहल कर सकती है।
  - अभिप्राय यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं (अनुच्छेद 67)।

## राज्यसभा से संबंधित चिंताएँ

- राज्यसभा के संघीय चरित्र को नष्ट करना: जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 'अधिवास' (Domicile) शब्द का विलोपन कर दिया है।
  - यह समस्या 'कुलदीप नैयर निर्णय' से और बढ़ गई जिसने अधिवास की शर्त को हटा दिया।

नोट :

- संशोधन के बाद, कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का न तो निवासी है और न ही अधिवासी, उस राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है।
  - सत्तारूढ़ दलों ने कई अवसरों पर लोकसभा चुनाव में पराजित रहे अपने उम्मीवारों को उच्च सदन में पहुँचाने के लिये राज्यसभा सीटों का इस्तेमाल किया है।

- धन विधेयकों से संबंधित सीमित शक्तियाँ: धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने या इसे अस्वीकृत करने की शक्ति भी नहीं रखती।
  - इसके लिये 14 दिनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं के साथ या उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस भेजना अनिवार्य है।
  - इस संबंध में लोकसभा राज्यसभा की किसी अनुशंसा या सभी अनुशंसाओं को स्वीकृत-अस्वीकृत कर सकने का स्वायत्त अधिकार रखती है।
  - दोनों ही मामलों में, इस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
- राज्यसभा को 'बायपास' करना:
  - कुछ मामलों में राज्यसभा को दरकिनार करते हुए हुए साधारण विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करते हुए देखा गया है, जो संसद के उच्च सदन की प्रभावशीलता को प्रश्नगत करता है।
- संयुक्त बैठक के प्रावधान से संबद्ध समस्याएँ: किसी गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। ऐसे मामले में बैठक लोकसभा के 'प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' द्वारा शासित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों द्वारा।
  - चूँकि संयुक्त बैठक में सामान्यत: लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, राज्यसभा पर लोकसभा की इच्छा ही अधिभावी होती है।
- अन्य सीमाएँ: अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) की पहल राज्यसभा में नहीं की जा सकती।
  - इसके अलावा, यह लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के कार्यकरण में सीमित भूमिका ही रखती है और प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

## गतिरोध की स्थितियाँ

- लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। गतिरोध इन तीन स्थितियों में बनता है:
  - यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है।
  - यदि विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंतत: असहमति जताई है।
  - यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किये बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक बीत चुके हैं।
- संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं।

## आगे की राह

- राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिये समान प्रतिनिधित्व के साथ संघवाद को उसके वास्तविक सार में सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र का होना आवश्यक है।
  - यह आवश्यक है ताकि बड़े राज्य सदन की कार्यवाही में हावी नहीं हो और हमारे लोकतंत्र का सुचारू संचालन हो सके।
- उच्च सदन में चर्चा/बहस की गुणवत्ता में सुधार के लिये मनोनयन की एक बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है।
- यह भी महत्त्वपूर्ण है कि राज्य-विशिष्ट चिंताओं को इंगित करने वाली अधिकाधिक आवाज़ों को अवसर मिले और सरकार की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाए।
- इसके अतिरिक्त, सदन के अंदर व्यवधानों पर कम और चर्चा एवं बहस पर अधिक समय दिये जाने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी विधान उपयुक्त और उत्पादक संसदीय संवीक्षा से होकर गुज़रें।

नोट :

### निष्कर्ष

- जीवंत बहसों एवं सूचना-पूर्ण चर्चाओं के साथ ही राष्ट्रहित में जटिल मुद्दों के प्रबंधन की क्षमता के साथ राज्यसभा ने एक यादगार यात्रा तय की है।
  - हालाँकि इसने गतिरोधों और व्यवधानों में वृद्धि भी देखी है जो निश्चित रूप से सभी हितधारकों के लिये चिंता का विषय है।
- लेकिन भारतीय राजनीति के उतार-चढ़ाव के बीच भी राज्यसभा राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्यों की संरक्षक बनी रही है, वह संस्कृति एवं विविधता का आदान-प्रदान स्थल है और समग्र रूप से, भारत नामक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की एक अथक ध्वजवाहक बनी रही है।

## भारत में शासन का डिजिटलीकरण

### संदर्भ

लोकतांत्रिक शासन तंत्र सूचना संचार प्रौद्योगिकी (Information Communication Technologies (ICTs) में निहित संभावनाओं और सुशासन की प्राप्ति हेतु इसके प्रवर्तन के प्रति अधिक ग्रहणशील होते जा रहे हैं। शासन के लिये ICTs के इस अनुप्रयोग को 'ई-गवर्नेंस' (E-governance) छत्र शब्दावली के अंतर्गत कवर किया जाता है।

लोकतांत्रिक, जनसांख्यिकीय और भौगोलिक रूप से विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में भारत अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये और समग्र आर्थिक विकास के लिये (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।

### भारत में ई-गवर्नेंस के लाभ

- डेटा-संचालित शासन: प्रौद्योगिकी संचार को सुविधाजनक बनाती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने उच्च मात्रा में डेटा के त्वरित प्रसारण को सक्षम किया है जो प्रभावी शासन (Effective governance) के लिये चारे के रूप में कार्य करता है।
- लागत बचत: सरकारी व्यय का एक बड़ा भाग आधिकारिक उद्देश्यों के लिये स्टेशनरी खरीद की लागत की ओर जाता है।
  - पत्र और लिखित रिकॉर्ड में बहुत अधिक स्टेशनरी की खपत होती है। उन्हें स्मार्टफोन और इंटरनेट से प्रतिस्थापित करने से हर वर्ष व्यय में करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है।
- पारदर्शिता: ई-गवर्नेंस का उपयोग व्यवसाय के सभी कार्यकरण को पारदर्शी बनाने में मदद करता है। सभी आधिकारिक जानकारी इंटरनेट पर अपलोड की जा सकती है।
  - नागरिक जो सूचनाएँ भी चाहें, जब भी चाहें, अपनी सुविधानुसार उस तक पहुँच प्राप्त करते हैं।
- जवाबदेही: पारदर्शिता प्रत्यक्षत: जवाबदेही से जुड़ती है। एक बार जब शासन के कार्य और सूचना नागरिकों को उपलब्ध हो जाते हैं तो सरकार अपने कार्यों के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाती है।
- भूमि अभिलेख निगरानी: विविध भूमि कार्यकाल प्रणाली वाले भारत जैसे विशाल विकासशील देश में प्रभावी भूमि निगरानी (land monitoring) की आवश्यकता है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि संपत्तियों से संबंधित लेनदेन (भौतिक लेनदेन सहित) धोखापूर्ण नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखरखाव भारत में ई-गवर्नेंस की एक प्रमुख विशेषता है।

### भारत में ई-गवर्नेंस से संबद्ध चुनौतियाँ

- 'इंटरऑपरेबिलिटी' की चुनौतियाँ: यह ई-गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। मंत्रालयों और विभागों के बीच यह अंत:संक्रियता या इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) दुरूह है और यह डेटा को संसाधित करने तथा साझा करने के मामले में एक बाधा बन जाता है।
  - राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा पेश की जा रही अधिकांश ई-गवर्नेंस सेवाएँ एकीकृत नहीं हैं।
- भाषाई बाधाएँ: देश की विविधता के कारण यह चुनौती सामने आती है। भारत में लोगों द्वारा बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएँ उनकी मूल भाषाएँ हैं।

नोट :

- अधिकांश ग्रामीण आबादी सरकारी नेतृत्व वाली परियोजना का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वे प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग करते हैं। यह परिदृश्य स्थानीय भाषा में शासन लागू करने की आवश्यकता को प्रकट करता है।

- डिजिटल निरक्षरता: ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 67% है, जिसमें ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 77% और ग्रामीण महिला साक्षरता दर 60% है।
  - भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई नरेगा (NREGA) जैसी कई योजनाओं में ग्रामीण लोगों को अंतिम उपयोगकर्त्ता के रूप में शामिल किया गया है।
    - प्रौद्योगिकीय जागरूकता और संबंधित ज्ञान की कमी के कारण उनमें से अधिकांश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
- डिजिटल अवसंरचना की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी का अभाव और बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना प्रभावी ई-गवर्नेंस के लिये एक बड़ी चुनौती है।
  - प्रमाणीकरण: सेवाओं के सही उपयोगकर्त्ता को जानना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, अन्यथा निजी प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
    - 'डिजिटल हस्ताक्षर' प्रामाणिकता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन यह महंगा है और इसे लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- निजता संबंधी मुद्दे: ऑनलाइन लेनदेन और निजता संबंधी मुद्दे तेज़ी से प्रमुख होते जा रहे हैं। बीमा, बैंकिंग, उपयोगिता बिल भुगतान—ये सभी सेवाएँ ई-गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं।
  - सरकार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के स्तर से नागरिक अभी भी असंतुष्ट हैं।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव: एक समयबद्ध और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के अभाव से गंभीर चुनौतियाँ संबद्ध हैं ।
  - विशेष रूप से बायोमीट्रिक पहचान त्रुटियाँ, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (जो कार्य स्थलों पर मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करती है) जैसे ऑनलाइन ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में विद्यमान त्रुटियाँ।
    - अधिकारी प्राय: अधिकार-धारक (Rights-holder) को तकनीकी व्यवधानों के लिये उत्तरदायी महसूस कराते हैं।

## भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये हाल की सरकारी पहलें

- MyGov पहल
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP)
- दर्पण पोर्टल
- डिजिटल लॉकर
- राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

## आगे की राह

- मध्यस्थों की तैनाती: योजनाकारों और लाभार्थियों के बीच रणनीतिक सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिये मध्यस्थों की तैनाती की जानी चाहिये। ई-गवर्नेंस से न केवल सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र की जवाबदेही में सुधार लाकर बल्कि शासन तंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाकर नागरिकों की संतुष्टि को अधिकतम करने की उम्मीद की जाती है।
  - उदाहरण के लिये, नीति कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों को शामिल करना जो सरकार और लोगों के बीच संचार की खाई को पाट सकेगा।
    - कार्यान्वयन-कर्त्ताओं को स्थानीय पहलों के लिये प्रोत्साहित करना।
- मांग प्रेरित सेवाएँ: अलग-अलग शहरी-ग्रामीण स्तर के सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस के माध्यम से योजना निर्माण के ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण के साथ सरकारी मंत्रालयों में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहाँ जनसंख्या की आवश्यकताओं की अविलंब पूर्ति के लिये डेटा संचालित नीतियों की पहचान, मूल्यांकन, निर्माण, कार्यान्वयन और निवारण शामिल है।

नोट :

- स्थानीय ई-गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करना: ई-गवर्नेंस को सरकार के सभी स्तरों को रूपांतरित करने की आवश्यकता है, लेकिन स्थानीय सरकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये क्योंकि स्थानीय सरकारें नागरिकों के सबसे निकट होती हैं और कई लोगों के लिये सरकार के साथ मुख्य 'इंटरफेस' का गठन करती हैं।
- बेहतर डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी: डिजिटल अवसंरचना में सुधार (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) के साथ ही बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस भारत जैसे देशों के लिये उपयुक्त होगा जहाँ विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोग इसके प्रतिभागी हैं।
- 'ई-रेडीनेस' को समझना: भारत के विभिन्न राज्य ई-रेडीनेस (e-Readiness) के भिन्न स्तरों पर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में ई-गवर्नेंस सुधारों को लागू करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक है।
  - वर्तमान में देश में कई सफल ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जो राष्ट्रव्यापी आधार पर कार्यान्वित हैं। इन सफल मॉडलों को पूरे देश में समान रूप से दुहराने और उन्नत करने की आवश्यकता है।

## भारत में चीतों की पुन:वापसी

### संदर्भ

चीता स्थल पर सबसे तेज़ दौड़ने वाले पशु है जिसे वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब एक बार फिर उसे भारत में लाने की योजना पर कार्य चल रहा है जिसके तहत मध्य प्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा। इन अफ्रीकी चीतों को भारत और अफ्रीका (मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से) के बीच एक अंतर-महाद्वीपीय स्थानान्तरण परियोजना के तहत लाया जा रहा है।

- आरंभ में ईरान से और अब अफ्रीकी महाद्वीप से चीतों को भारत लाने की योजना दशकों से चल रही है और यह पर्याप्त विवादग्रस्त रही है। भारत के कई जीव संरक्षणवादी इस योजना की सफलता पर संदेह रखते हैं और उन्हें भय है कि यह स्थानांतरण की आवश्यकता रखने वाली एशियाई शेर जैसी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से ध्यान भटकाएगा।

### चीता की पुन:वापसी के पीछे भारत का तर्क और संबंधित चुनौतियाँ:

- जैविक उद्देश्य: चीता के पूर्व आवास के प्रतिनिधि क्षेत्रों में इसकी पारिस्थितिकी तंत्र कार्य भूमिका को फिर से स्थापित करना और एक प्रजाति के रूप में चीता के संरक्षण की दिशा में वैश्विक प्रयास में योगदान करना।
  - चीता को वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहाँ 'बिग कैट' प्रजाति के पाँचों सदस्य—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता उपस्थित होंगे।
- आजीविका विकल्पों में वृद्धि: चीता का पुन:प्रवेश उन क्षेत्रों के और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों के लिये इकोटूरिज्म और संबंधित गतिविधियों से बढ़े हुए राजस्व के माध्यम से आजीविका की वृद्धि करेगा।
- खाद्य शृंखला को बरकरार रखना: शीर्ष शिकारी खाद्य शृंखला में सभी स्तरों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें खाद्य शृंखला के लिये छत्र प्रजाति (Umbrella Species) माना जाता है।
  - खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और फ़ूड वेब में संतुलन वापस लाने के लिये संसाधन जुटाने हेतु चीता एक प्रमुख और छत्र प्रजाति साबित हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन: यह चीता संरक्षण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली गतिविधियों के माध्यम से कार्बन जब्ती की भारत की क्षमता को बढ़ाएगा और इस तरह वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों में योगदान देगा।

### भारत में चीतों के विलुप्त होने का कारण:

- भारत में चीता ईसवी सन के पहले से इतिहास में दर्ज किया गया है। चीतों को पकड़े जाने का रिकॉर्ड 1550 के दशक का है।
- ऐतिहासिक आनुवंशिक अड़चन के कारण आनुवंशिक विविधता के स्तर में कमी, जिसके परिणामस्वरूप वन्य क्षेत्र में इसके उच्च शिशु मृत्यु दर और क़ैद में प्रजनन करने की इसकी कम क्षमता इसके विलुप्त होने के कुछ प्रमुख कारक थे।

नोट :

- शिकार मनोरंजन: शिकार मनोरंजन के लिये सदियों से वन्य क्षेत्रों से चीतों (नर और मादा दोनों) को व्यापक रूप से और लगातार पकड़ा जाता रहा।
  - 16वीं शताब्दी के बाद से मनुष्यों के साथ इसके संपर्क के विस्तृत विवरण उपलब्ध होते हैं जब मुग़लों और दक्कन के अन्य राज्यों द्वारा इसे दर्ज किया गया।
- 'बाउंटी किलिंग': अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में इसे मारने के लिये इनाम की घोषणा कर प्रजातियों के संकट को और बढ़ा दिया।
  - इसके विलुप्त होने का अंतिम चरण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ पूरा हुआ।
- यह दर्ज किया गया है कि अंतिम बचे चीतों को वर्ष 1947 में भारत में मार डाला गया और आधिकारिक तौर पर वर्ष 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया।

## भारत में चीता के स्थानांतरण से संबद्ध चुनौतियाँ

- बाड़े से वन्य क्षेत्र में संक्रमण: एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि बाड़े में रहने वाला और आहार के लिये मनुष्यों पर निर्भर कोई चीता वन्य क्षेत्र में मुक्त किये जाने पर क्या स्वयं शिकार कर सकने में सक्षम होगा।
  - उदाहरण के लिये, सुंदरी नामक एक बाघिन (जो ओडिशा के सतकोसिया से एक असफल पुनर्वास प्रयास के बाद लौटी थी) को अंततः जीवन भर के लिये भोपाल चिड़ियाघर में रखा गया।
- अनुकूलन क्षमता: पुनःप्रवेश कराई गई प्रजातियाँ उनके छोटे आकार और स्रोत एवं मूल पर्यावासों के बीच जलवायु एवं पारिस्थितिक अंतर के कारण बहाव (Drift), चयन और जीन प्रवाह विकासवादी प्रक्रियाओं के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती हैं।
  - अफ्रीकी चीतों को दौड़ने के लिये लंबी खुली जगह की आवश्यकता होती है। भारतीय उद्यान अफ्रीका के उद्यानों की तुलना में बहुत छोटे हैं; इस तरह उनके मुक्त गमन के लिये कम अवसर प्रदान करते हैं।
    - अफ्रीका में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि मादा चीता अकेले रहती है और बहुत दूर तक घूमती रहती है, जबकि नर अपने छोटे क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और उधर से गुज़रती मादाओं से संबंध बनाते हैं। यह प्रजनन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है।
- बड़े शिकारी जीवों के साथ सह-अस्तित्व: चूँकि अन्य कहीं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि चीता बिग कैट प्रजाति के अन्य जीवों के साथ रहा हो, इसलिये चीतों, शेरों, बाघों और तेंदुओं के सह-अस्तित्व का सुझाव देने के लिये वास्तविक जीवन का कोई अनुभव उपलब्ध नहीं है।
  - अध्ययनों से पता चला है कि अफ्रीका में तेंदुओं ने चीतों का भी शिकार किया है और कुनो के लिये भी इसी तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है, जहाँ लगभग 50 तेंदुए उसी मूल क्षेत्र के आसपास रहते हैं जहाँ चीतों को रखा जाएगा।
- पुनर्वास संबंधी चिंताएँ: चीता के आवास को पर्याप्त रूप से संरक्षित करने के लिये कई गाँवों को स्थानांतरित करना होगा, जो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को प्रभावित करेगा और अशांति एवं पलायन का कारण बनेगा।

## विश्व में अन्य पुनःप्रवेश कार्यक्रम

- बीसलपुर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट 2018: इस परियोजना ने जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों की कई प्रजातियों के अलावा 150 से अधिक लुप्तप्राय भारतीय मृगों को पुनर्स्थापित किया।
- गौर (इंडियन बाइसन): मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 19 गौरों के स्थानांतरण में अफ्रीका की एक सफारी कंपनी अग्रणी रही थी।
  - एक दशक में गौर झुंड की संख्या 70 से अधिक हो गई।
- अमेरिकन बाइसन: फर व्यापार के लिये अत्यधिक शिकार और वध के कारण अमेरिकी बाइसन की आबादी 1890 के दशक में 750 पशुओं तक कम हो गई थी।
  - संरक्षण पहल, पुनःप्रवेश और जनसंख्या प्रबंधन के माध्यम से आज इनकी संख्या लगभग 350,000 तक पहुँच गई है।
- ग्रे वुल्फ: 21 वर्ष पहले येलोस्टोन पार्क में ग्रे वुल्फ के पुनःप्रवेश ने इस अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान में बदतर पारितंत्र को सफलतापूर्वक व्युत्क्रमित करने में मदद की।

नोट :

### भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये अन्य पहल

- विधिक ढाँचा:
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  - जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग:
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
  - वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
  - जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
  - ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

### आगे की राह

- पुन:प्रवेश के बाद की निगरानी: पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण और अनुकूलन की सीमा के वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ निगरानी की एक उचित रणनीति की आवश्यकता है।
  - जंगलों में छोड़े गए चीतों और अन्य मांसाहारियों पर नज़र रखने के लिये ट्रैकिंग टीमों का संगठित होना आवश्यक है।
- जागरूकता अभियान: स्थानीय लोगों में जागरूकता प्रसार और युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिये उन्हें पुन:प्रवेश योजना से परिचित कराना होगा, जिसके लिये विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
  - चीता पुन:प्रवेश कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु आधिकारिक शुभंकर के रूप में चिंटू चीता को प्रस्तुत किया जाना इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
- प्राथमिकता सूची प्रबंधन: विभिन्न वन्यजीवों के संरक्षण हेतु नीतियों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिये प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र का होना आवश्यक है।
  - वर्ष 2017-2031 की अवधि के लिये वर्तमान योजना सहित राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना में चीता पुन:प्रवेश योजना मौजूद नहीं है, जबकि शेरों का स्थानानांतरण 1950 के दशक से ही राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल रहा है।
  - मूल स्थानीय प्रजातियों और उनके पर्यावास की सुरक्षा पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिये।
- उपयुक्त पुनर्वास तंत्र: उनकी सुरक्षा और संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच उपयुक्त संचार सहित उपयुक्त पुनर्वास नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

## 'मेटावर्स' और इसके अनुप्रयोग

### संदर्भ

मेटावर्स (Metaverse) हमारी वास्तविक दुनिया का डिजिटल आयाम में विस्तार है जो दुनिया भर में कहीं भी इस तक अभिगम बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये एक 'इमर्सिव' मल्टी-यूज़र अनुभव प्रदान करता है।

- इस आभासी दुनिया की अभिगम्यता के लिये इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके पीछे की प्रौद्योगिकी को 'ऑगमेंटेड रियलिटी' (AR) और 'वर्चुअल रियलिटी' (VR) के रूप में जाना जाता है।
- डिजिटल इंडिया के विकास भारत की बड़ी युवा आबादी ने गति प्रदान की है जो 'डिजिटल इंटरैक्शन' और 'रिक्रिएशन' से गहनता से परिचित है। जबकि मेटावर्स के लिये प्रौद्योगिकीय, जनसांख्यिकीय और नीतिगत नींव भारत में मौजूद प्रतीत होती है, मेटावर्स के निर्माण की कार्यान्वयन चुनौती बनी हुई है।

नोट :

## मेटावर्स के अनुप्रयोग

- ई-कॉमर्स: मेटावर्स भौतिक और आभासी दुनिया के बीच की खाई को भर सकता है, इस प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन वाणिज्य को संयुक्त कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि उपयोगकर्ता मेटावर्स के माध्यम से भौतिक दुनिया का अनुभव करने में डिजिटल रूप से सक्षम होंगे, जिससे ऑनलाइन खरीदारी अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
  - मेटावर्स से कंपनियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि यह न केवल उनके उपभोक्ता आधार को बढ़ाता है बल्कि यह नए उत्पादों पर समीक्षा प्राप्त करने की क्षमता भी रखता है; इस प्रकार उन्हें भविष्य के लिये सही दिशा की ओर निर्देशित करता है।
  - विभिन्न ब्रांड भूगर्भीय बाधाओं के बावजूद ई-कॉमर्स व्यवसाय ढाँचे में मेटावर्स के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के साथ अंत:क्रिया कर सकते हैं।
- कौशल वृद्धि: मेटावर्स नए अनुभवात्मक अधिगम (लर्निंग) के परिदृश्य विकसित करने के अपने अवसर के कारण दूरस्थ तरीके से कौशल वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- 'वर्चुअल टूरिज्म': 360° वर्चुअल टूर के साथ दर्शक न केवल रिकॉर्ड किये गए स्थान देख सकते हैं बल्कि वास्तविक प्रभावों के साथ वांछित स्थान पर डिजिटल रूप से उपस्थित भी हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्चुअल रियलिटी हॉलिडे 'ट्राई बिफोर यू फ्लाई' (Try before you Fly) संभावित पर्यटकों को उनके वांछित गंतव्यों की यात्रा करने में मदद करता है।
- शिक्षण और अधिगम: VR ने मेटावर्स के प्रभावों के साथ संयुक्त होकर अधिगम के अनुभव को गुणात्मकता के नए स्तर पर पहुँचा दिया है। छात्र अब अधिक गहन और उच्च गुणवत्तापूर्ण ज्ञान संसाधनों के साथ लाइव प्रयोग देख सकते हैं।
  - मेटावर्स का एक अन्य उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया 'मेश' (Mesh) है जो एक मिश्रित रियलिटी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ संकाय, कर्मचारी और छात्र अपने 3D अवतार का उपयोग कर संवाद कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल: उत्तर महामारी समय में 'टेलीमेडिसिन' और 'टेलीहेल्थ' मेटावर्स से समर्थित अवधारणा है जहाँ मरीज और चिकित्सक वर्चुअल 3D क्लीनिक में संवाद कर सकते हैं।

## मेटावर्स से संबद्ध चुनौतियाँ

- निजता और सुरक्षा: मेटावर्स में ऑनलाइन जोखिम बढ़ सकते हैं, जहाँ अवांछित संपर्क अधिक हस्तक्षेपकारी और व्यापक हो सकता है।
  - इसमें नागरिकों के डेटा को एकत्र करने और तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर्स को उन्हें बेचने की आशंका भी मौजूद है।
  - यदि मेटावर्स कमज़ोर सुरक्षा प्रक्रियाओं से ग्रस्त हो तो यह साइबर हमलों, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी और उत्पीड़कों, अपराधियों एवं फ्रिंज समूहों के लिये एक सुरक्षित आश्रय के लिये भी भेद्य हो सकता है।
  - वर्चुअल इंटरैक्शन में वृद्धि और डिजिटल अवतार जैसी अवधारणाओं के विकास से अवैध कंटेंट और साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग और इंटरसेप्टिंग अधिक कठिन हो जाएगी।
- परंपरा बनाम प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी अपनी विशाल सकारात्मकता के साथ ही परंपरा के लिये एक वृहत नकारात्मकता की उत्पत्ति भी करती है।
  - सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सोशल मीडिया के उदय ने छद्म सामाजिक व्यवहार की शुरुआत की है जिसने सामूहिकता और बंधुत्व के पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को कुछ कमज़ोर किया है।
- मेटावर्स की वैधता: इस असीमित डिजिटल दुनिया में लागू होने वाले कानूनों और अधिकार क्षेत्र का प्रश्न भी चिंता का प्रमुख विषय है जिस पर विधि-निर्माताओं द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।
  - बौद्धिक संपदा (IP) और स्वामित्व की सुरक्षा एक अन्य कानूनी मुद्दा है जिसके उभरने की संभावना है।
  - वर्चुअल स्पेस में कॉपीराइट उल्लंघनों को ट्रैक करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए कंटेंट निर्माताओं के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की रक्षा करना भी एक चुनौती होगी।
- अवसंरचना और कनेक्टिविटी की अपर्याप्तता: एक व्यावहारिक, सुदृढ़ और सुलभ मेटा-गवर्नेंस अवसंरचना का निर्माण कई कठिनाइयों से ग्रस्त है।

नोट :

- कम से कम इसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय अनुभव प्रदान करने के लिये 5G कनेक्शन की आवश्यकता होगी। अधिकांश ग्रामीण समुदाय अभी भी एक अबाधित 4G कनेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने के लिये संघर्षरत हैं।
  - इसके अतिरिक्त, वर्तमान में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा मेटावर्स द्वारा अपेक्षित ऊर्जा के दृष्टिकोण से अपर्याप्त है।
- 'डिजिटल डिवाइड': ITU के विश्व दूरसंचार/ICT संकेतक डेटाबेस 2020 के अनुसार, भारत में महज 43% आबादी ही इंटरनेट का उपयोग करती है।
  - इसने उस जनसांख्यिकी और उन क्षेत्रों के बीच की खाई को चौड़ा किया है जिनकी आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच है और जिनकी पहुँच नहीं है या सीमित पहुँच है।

## आगे की राह

- डिजिटल अंतराल को कम करना: आभासी दुनिया के शासन तंत्र को डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और भलाई को बढ़ावा देने वाले सशक्तीकारी और प्रवर्धनकारी प्रयासों के समर्थन की आवश्यकता होगी ताकि प्रतिभागी हानिकारक कंटेंट एवं व्यवहारों से सतर्क रूप से गुज़रते हुए ऑनलाइन समुदायों में सार्थक रूप से संलग्न हो सकें।
- नीति समर्थन: सरकार के लिये यह सही समय है कि वह इसके क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं के लिये मेटावर्स का लाभ उठाने के लिये उपयुक्त नीतिगत पृष्ठभूमि का सृजन करे।
  - सरकार को सूचना अभिगम्यता (Information Accessibility), सूचना उपयोग (Information Utilization) और सूचना ग्रहणशीलता (Information Receptiveness) पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सुरक्षित और सुदृढ़ मेटावर्स पारितंत्र: इस प्रौद्योगिकी के डीएनए के भीतर सुरक्षा, गोपनीयता और दृढ़ता के विशिष्ट तत्वों को संबोधित करने के लिये प्रभावी पारितंत्र को विकसित और विनियमित करने की प्रबल आवश्यकता है।
  - नागरिकों के अनुकूल मेटा-गवर्नेंस अवसंरचना के निर्माण के लिये किसी भी संभावित कानूनी बाधाओं को कम करने हेतु डिज़ाइनरों, बिजनेस मॉडल विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसमें निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता हो सकती है।
- मेटा हेल्प डेस्क: ई-गवर्नेंस में ICT के माध्यम से लक्षित दर्शकों के लिये आवश्यक सूचनाएँ जारी की जाती हैं। किसी मंत्रालय/अन्य सरकारी एजेंसी विशेष में स्थापित मेटा-हेल्प डेस्क या मेटा-डिवीजन आवश्यक महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
- पारदर्शी और सहमति-आधारित अनुप्रयोग: प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षा अभ्यासों में अधिक ज़िम्मेदार और पारदर्शी होने की आवश्यकता होगी।
  - व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते समय एक सूचित सहमति-आधारित मॉडल को बढ़ावा देना और डेटा न्यूनीकरण एवं उद्देश्य सीमा के सिद्धांतों (Principles of data Minimization and Purpose Limitation) का पालन करना अनियंत्रित डेटा प्रोसेसिंग और व्यावसायिक लाभ के लिये संग्रहण पर रोक लगाने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- वैश्विक सहयोग: मेटावर्स के लगातार विकास के साथ हम डिजिटल रूप से एक अधिक उन्नत सीमा-रहित विश्व की एक झलक देख रहे हैं जो संभावनाओं से परिपूर्ण है।
  - जबकि इस नई दुनिया का विस्तार जारी है, हमें हर नए विकास के साथ उभरने वाली चुनौतियों के बारे में भी जागरूक रहना होगा और दुनिया भर में सार्वभौमिक विनियमों की ओर आगे बढ़ना होगा।

# भारत में खेल शासन

## संदर्भ

राष्ट्रमंडल खेलों का 21वाँ संस्करण बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। प्रतिस्पर्द्धा में भारत एक प्रबल दल के रूप में आगे बढ़ रहा है।

- भारत की अर्थव्यवस्था और देश की युवा जनसांख्यिकी को देखते हुए भारत में खेलों का आख्यान एक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। लेकिन क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे कुछ खेलों को छोड़ दें तो भारत में खेल प्रतिस्पर्द्धाओं के प्रति बढ़ती दिलचस्पी आवश्यक रूप से समग्र खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन में रूपांतरित नहीं हो रही।

नोट :

- भारतीय खेल क्षेत्र में उच्च स्तर की जटिलता मौजूद है क्योंकि भारत में खेल के वितरण और प्रबंधन के लिये विविध संगठन (जैसे शासी निकाय, निजी कंपनियाँ, गैर-लाभकारी संस्थाएँ, आदि) ज़िम्मेदार हैं। इसके साथ ही भारत में खेल क्षेत्र का वृहत आकार और व्यापक जटिलताएँ इसके लिये कई प्रकार की विशिष्ट शासन चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

## भारत में खेल शासन का इतिहास

- 1950 के दशक की शुरुआत में केंद्र सरकार ने देश में खेलों के गिरते मानकों पर विचार करने के लिये अखिल भारतीय खेल परिषद (All India Council of Sports- AICS) की स्थापना की।
- वर्ष 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन दौरान देश में सर्वप्रथम एक खेल विभाग (Department of Sports) की स्थापना की गई जिसे वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग (Department of Youth Affairs and Sports) में बदल दिया गया।
- राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 में घोषित हुई।
- वर्ष 2000 में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में रूपांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 2011 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (National Sports Development Code of India 2011) को अधिसूचित किया।
- वर्ष 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, बैलूनिंग, ड्रोन, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग आदि के लिये राष्ट्रीय वायु खेल नीति, 2022 (NASP 2022) लॉन्च की गई।

## भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल

- खेल शासन के भारतीय मॉडल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOA), राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जैसे कई हितधारक संलग्न हैं।
- उनके मध्य व्यवस्थाओं का एक व्यापक स्तरीय ग्राफ़िक निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है:

## भारत में खेल शासन से संबद्ध समस्याएँ

- अधिकारों और उत्तरदायित्व का अस्पष्ट सीमांकन: खेल से कई अलग-अलग पक्षकार संबद्ध हैं। वर्तमान में भारतीय खेल के अंदर प्रबंधन और शासन के बीच बहुत कम अंतर है। कई भारतीय खेल संगठनों में कार्यकारी समिति (शासन के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी निकाय) आमतौर पर स्वयं ही प्रबंधन कार्य से भी संलग्न होती है।
  - नियंत्रण और संतुलन का अभाव: स्वायत्तता के नाम पर बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के उन्हें किसी भी तरह से कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी: वर्तमान खेल मॉडल में जवाबदेही की समस्याएँ हैं (जैसे कि उन्हें प्राप्त असीमित विवेकाधीन शक्तियाँ), जबकि राजस्व प्रबंधन में अनियमितता के साथ ही निर्णय लेने में पारदर्शिता के अभाव की स्थिति नज़र आती है।
  - उदाहरण के लिये, जुलाई 2010 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दिखाया गया कि भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की 14 परियोजनाओं में अनियमितताएँ बरती गई थीं।
  - वर्ष 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी का मामला उजागर हुआ जब दिल्ली पुलिस ने कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में तीन क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया।
    - इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोढ़ा समिति की नियुक्ति की गई जिसे मामले के विश्लेषण के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में सुधार के लिये कार्यान्वयन योग्य अनुशंसाएँ करनी थी।
- अपर्याप्त व्यावसायीकरण: कई भारतीय खेल संगठनों, विशेष रूप से शासी निकायों ने व्यावसायिक और पेशेवर क्षेत्र की संबद्ध चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिये संरचनात्मक अनुकूलन की स्थापना नहीं की है।
  - ये संगठन बढ़े हुए कार्यभार को संभालने के लिये कुशल पेशेवरों को कार्य नियुक्त करने के बजाय संगठन के कार्यकरण प्रबंधन के लिये अभी भी स्वयंसेवकों पर निर्भर बने हुए हैं।

नोट :

- शौक बनाम पेशा: भारत में खेल को इसकी निम्न सफलता दर, शैक्षणिक दबाव और जॉब-सीकर मानसिकता के कारण मुख्यत: एक शौक के रूप में ही देखा जाता है, जिससे युवाओं के लिये खेल को एक पेशे के रूप में लेकर आगे बढ़ाना कठिन हो जाता है।
- पर्याप्त अवसंरचना का अभाव: भारत में खेल अवसंरचना की स्थिति अभी भी वांछित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। यह देश में खेल की संस्कृति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
  - भारत के संविधान के अनुसार खेल राज्य सूची का विषय है, इसलिये पूरे देश में एकसमान रूप से खेल अवसंरचना के विकास के लिये कोई व्यापक दृष्टिकोण मौजूद नहीं है।
- प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएँ: खेल क्षेत्र में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (Performance Enhancing Drugs) का उपयोग अभी भी एक बड़ी समस्या है। देश में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के निर्माण के बावजूद इस समस्या को अभी भी प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है ।

## खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सरकार की विभिन्न पहलें

- फिट इंडिया मूवमेंट
- खेलो इंडिया
- SAI प्रशिक्षण केंद्र योजना
- खेल प्रतिभा खोज पोर्टल
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना
- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

## आगे की राह

- अवसंरचना में पर्याप्त निवेश: एक अग्रणी खेल राष्ट्र बनने के लिये भारत को सभी प्रमुख खेलों पर पर्याप्त ध्यान देने के अतिरिक्त विभिन्न खेल संस्थानों में खेल प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, अनुसंधान एवं विश्लेषण में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के साथ एक आधुनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु भारी निवेश करना होगा।
  - अवसंरचना की गुणवत्ता को ग्राम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रीय केंद्र उन लोगों के लिये उपलब्ध कराये जाने चाहिये जो अपने खेल को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाने के प्रति गंभीर हैं।
- प्रभावी विधायी समर्थन: प्रबल कानून के अभाव में खेल प्राधिकरणों के कार्यों में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावा, पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति भी हो सकती है जिसे आसानी से विसंगतियों को दूर करने वाले एक अच्छी तरह से तैयार किये गए कानून के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
- शासन और प्रबंधन का पुनर्गठन: संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिये भारतीय खेल क्षेत्र से संलग्न विभिन्न निकायों के बीच भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उचित सीमांकन होना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि खेल की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई अंतराल न हो।
  - हालाँकि इसे संलग्न हितधारक क्षेत्रों के संयोजन में किये जाने की आवश्यकता है और यह तानाशाहीपूर्ण नहीं हो; इसके साथ ही रणनीतिक एवं प्रबंधन पदों पर पेशेवरों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - प्रायोजनों/स्पांसरशिप, मीडिया अधिकारों और सरकारी वित्तपोषण के प्रबंधन के लिये पृथक कॉर्पोरेट कार्यसमूह के गठन से राजस्व प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।
- खेल जागरूकता पैदा करना: बच्चों के दैनिक जीवन में खेलों को शामिल करने से यह न केवल उनके आत्मविश्वास, आत्म-छवि और व्यक्तित्व को बढ़ावा देगा, बल्कि खेल में एक संभावित करियर के द्वार भी खोलेगा।
  - ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण: देश में खेल संस्कृति के निर्माण के लिये प्राथमिक शिक्षा स्तर से परिवर्तन की शुरुआत करनी होगी।
    - बच्चों के समग्र विकास में खेलों को समान महत्त्व देने के लिये शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।
- एक संभावित प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकास: भारत में विभिन्न खेलों में विशाल अनुभव के साथ प्रचुर कोचिंग प्रतिभा मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेलों के लिये प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भारत के विकास के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।

नोट :

- इटेन (Iten) का उदाहरण: केन्या में इटेन नामक एक छोटा सा क़स्बा है। इसने पिछले कुछ दशकों में एथलेटिक्स में 10 से अधिक विश्व चैंपियन दिए हैं।
  - दुनिया में लगभग प्रत्येक मध्यम दूरी का धावक अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार प्रशिक्षण के लिये इटेन अवश्य गया है।

## धन शोधन निवारण अधिनियम

### संदर्भ

धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है। यह एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

- वर्ष 2002 में तैयार किये गए धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act- PMLA) में धन शोधन के अपराध से निपटने के लिये इसे और प्रबल बनाने हेतु समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं।
- देश भर में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं जो PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) को अपराधपूर्ण तरीके से अर्जित आय मानी जाने वाली संपत्तियों की तलाशी, जब्ती, जाँच और कुर्की करने के लिये सौंपी गई अबाध शक्तियों पर सवाल उठाती हैं।

### धन शोधन निवारण अधिनियम ( PMLA ), 2002

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य वैसे धन के रूपांतरण से है जो गैरकानूनी स्रोतों और विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है।
- यह भारत में एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले में आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेते हैं।
- PMLA को भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) की अनुक्रिया में धन शोधन की समस्या का मुकाबला करने के लिये अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल हैं:
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988
  - सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
  - धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की चालीस सिफारिशें, 1990
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1990 में अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम
- PMLA सभी पर लागू होता है जिसमें व्यक्ति, कंपनियाँ, फर्म, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमन और उपर्युक्त में से किसी के भी स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा शामिल हैं।

### PMLA में हाल के संशोधन

- अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण: अपराध से अर्जित आय (Proceeds of crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
- मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में परिवर्तन: इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध (Predicate offence or Scheduled offence) के रूप में जाना जाता है।
  - संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानने का प्रयास किया है।
  - PMLA की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है।
    - आय छिपाना
    - स्वामित्व

नोट :

- अधिग्रहण
- बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना
- बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

- अपराध की निरंतर प्रकृति: इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस स्तर तक शामिल माना जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल मिल रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

## PMLA में संशोधनों के बारे में प्रकट की गई चिंताएँ

- शक्तियों का संभावित दुरुपयोग: इस बात की प्रबल संभावना है कि PMLA को किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या विरोधी के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कार्रवाई स्वयं में एक दंड की तरह है।
- ECIR से संबद्ध समस्याएँ: ECIR (Enforcement Case Information Report), जो FIR के समान है, एक 'आंतरिक दस्तावेज़' माना जाता है और आरोपी को नहीं सौंपा जाता है।
  - पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप के तथ्य भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि एकमात्र दस्तावेज जिसमें आरोप दर्ज़ होता है, वह ECIR है जो आरोपी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाता है।
- सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत: PMLA सामान्य आपराधिक कानून से अलग है।
  - सामान्य आपराधिक कानून में दोषी साबित होने तक प्रत्येक आरोपी निर्दोष माना जाता है।
  - लेकिन PMLA में यह बोझ आरोपी व्यक्तियों पर स्थानांतरित कर दिया गया है वे अपना निर्दोष होना स्वयं साबित करें।
- अभियुक्त को साक्षी बनने के लिये बाध्य करना: PMLA की धारा 63 में कहा गया है कि आरोपी द्वारा सूचना प्रदान करनी होगी; झूठी सूचना या सूचना छुपाने को एक अन्य आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
  - अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिये बाध्य करना आत्म-दोष के विरुद्ध निषेध के अधिकार (Right against Self-Incrimination) का उल्लंघन है ।
- ED की अक्षमता: इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की दोषसिद्धि दर बहुत कम है; जबकि हज़ारों मामले दर्ज किये गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया गया।
  - भारत की संसद में सरकार द्वारा उद्धृत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 से 2013-14 के बीच शून्य दोष सिद्ध हुए। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक ED द्वारा जाँच किये गए 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ।

## प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्यरत एक विशेष वित्तीय अन्वेषण एजेंसी है।
- वर्ष 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग में विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
- वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।
- ED निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

## PMLA में संशोधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख

- सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने PMLA के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इसे एक 'अद्वितीय और विशेष कानून' कहा है। इसने पूछताछ करने, लोगों को गिरफ्तार करने और संपत्ति को कुर्क करने की ED की शक्तियों को भी रेखांकित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि PMLA और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती।

नोट :

- न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित अपराध के संबंध में रोकथाम, जाँच या परीक्षण के संबंध में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तंत्र से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

- न्यायालय ने यह भी माना है कि ECIR की तुलना FIR से नहीं की जा सकती है।
  - ECIR को ER का आंतरिक दस्तावेज स्वीकार किया गया और कहा गया कि आरोपी को ECIR की प्रति सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है और गिरफ्तारी के दौरान केवल कारणों का खुलासा करना ही पर्याप्त है जहाँ उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में केवल सूचित किया जा सकता है।

## आगे की राह

- आंतरिक नियंत्रण और संतुलन: यह तथ्य है कि कानून ने ED को अभियुक्तों से निपटने के लिये प्रबल शक्तियाँ प्रदान की हैं जो इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा सकती है।
  - लेकिन PMLA के तहत प्रावधान की संवैधानिकता का पालन करने के लिये अधिनिर्णयन प्राधिकरण और ED अधिकारियों के बीच एक आम सहमति होनी चाहिये ताकि जाँच अधिकाधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी हो।
- कार्रवाई की प्रक्रिया अपने-आप में ही दंडात्मक नहीं हो: ED की विस्तारित शक्तियों का स्वागत मामलों को तेज़ी से निपटाने की अधिक प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिये, ताकि न्यायपालिका और प्रवर्तन एजेंसियां दोनों त्वरित परीक्षण और दोषसिद्धि के साथ आगे बढ़ सकें।
- कार्यात्मक निगरानी: प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकरण और वर्तमान प्रकृति की लगातार निगरानी होनी चाहिये यदि यह स्पष्टीकरण दोषसिद्धि दर में सुधार ला सके (जो अभी आधे प्रतिशत से भी कम है)।
  - यदि कार्यान्वयन के मामले में कोई कमी हो तो चूँकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इन अंतरालों को उपयुक्त कानून, कार्यकारी कार्रवाई या शीर्ष न्यायालय के संशोधित आदेश के माध्यम से भरा जा सकता है।

The Vision

नोट :

## दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. हमारी संसद और राज्य विधानसभाओं में बहस को दबाने में दलबदल विरोधी कानून उल्लेखनीय रूप से ज़िम्मेदार रहा है। टिप्पणी कीजिये।
2. ग्रीन बॉण्ड भारत की जलवायु प्रत्यास्थता की कुंजी रखते हैं। टिप्पणी कीजिये।
3. असम की अनूठी स्थलाकृति, जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ इसे बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। टिप्पणी कीजिये।
4. जाँच के वैज्ञानिक तरीके अपनाने से लेकर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने तक के वृहत प्रयासों के बावजूद भारत में हिरासत में मौतें आम परिदृश्य है। टिप्पणी करें।
5. वर्तमान में प्लास्टिक हमारे समक्ष सर्वाधिक दबावकारी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है। देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित वर्तमान परिदृश्य और प्राप्त किये जा सकने वाले लक्ष्यों के विवरण दीजिये।
6. भारतीय न्यायिक प्रणाली में ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें और इसके कार्यान्वयन से संबद्ध प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें। (150 शब्द)भारत में फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) क्षेत्र के विकास को मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों में परिदृश्य के सुधार के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके विकास के लिये उत्तरदायी प्रेरक कारकों की चर्चा कीजिये।
7. हाल में सोशल मीडिया पर अकाउंट्स और पोस्ट्स को सरकार द्वारा निरुद्ध किया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संकट को प्रकट करता है। टिप्पणी कीजिये।
8. शहरी गरीब मुख्यत: शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने वाले ग्रामीण गरीबों के अतिप्रवाह से उत्पन्न हुए हैं। शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हेतु समाधानों पर चर्चा करें।
9. ''ऊर्जा निर्धनता भारत में विकास को अवरुद्ध कर रही है।'' तर्क दें। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों ने भारत के ऊर्जा संक्रमण को किस हद तक आकार दिया है?
10. श्रीलंका को मौजूदा संकट से उबारने में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति एक अतिरिक्त कदम आगे बढ़ा सकती है। अपने विचार की पुष्टि करें।
11. I2U2 के लक्ष्यों और उद्देश्यों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है?
12. विकेंद्रीकरण पर संवैधानिक अधिदेश के बावजूद शहरी स्थानीय निकायों का विकास असमान और धीमा रहा है। टिप्पणी कीजिये।
13. आपके अनुसार राज्य की स्वायत्तता की मांग ने भारत में संघवाद की प्रकृति को कहाँ तक आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिये कुछ उदाहरण दीजिये।
14. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को कहाँ तक आगे बढ़ा सकेगा? चर्चा कीजिये।
15. ''भारत के जनसांख्यिकी लाभांश ने देश के वृद्धि और विकास के संदर्भ में अवसर की खिड़की खोली है और इस खिड़की के बंद होने से पहले इसका लाभ उठा लेने की आवश्यकता है।'' टिप्पणी कीजिये।
16. ''स्टार्टअप घातीय वृद्धि का इंजन हैं जो नवाचार की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।'' भारत में स्टार्टअप पारितंत्र के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।
17. सोशल मीडिया ने भारत में राजनीतिक गतिशीलता को गहनता से प्रभावित किया है। टिप्पणी कीजिये।
18. ग्रीष्म लहरें भारत के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य भागों तक क्यों सीमित हैं? उन रणनीतियों की चर्चा करें जिन्हें भारत को ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिये अपनाने की आवश्यकता है।
19. भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर प्रकाश डालें। उनके सशक्तीकरण के लिये कुछ समाधान प्रस्तुत करें।
20. अधिकाधिक कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में राज्यसभा की भूमिका के संबंध में भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के महत्त्व का आकलन करें।

नोट :

21. भारत में ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा करें और समाधान बताएँ।
22. भारत में चीतों के विलुप्त होने के कारणों की विवेचना कीजिये। भारत में चीतों के पुन:प्रवेश से संबद्ध पारिस्थितिक चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
23. ''जबकि मेटावर्स के लिये प्रौद्योगिकीय, जनसांख्यिकीय और नीतिगत नींव भारत में मौजूद प्रतीत होती है, मेटावर्स के निर्माण की कार्यान्वयन चुनौती बनी हुई है।'' व्याख्या करें।
24. ''खेल शासन के मौजूदा मॉडल की जटिलता भारत में खेल संस्कृति के विकास के मार्ग की विभिन्न चुनौतियों में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है।'' टिप्पणी कीजिये।
25. ''प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के तहत लगभग पूर्ण शक्तियाँ सौंप दी गई हैं।'' टिप्पणी कीजिये।

दृष्टि The Vision

नोट :